लोव -सभा
वाद-विवाद

तृतीय माला

खण्ड ८, १९६२/१८८४ (शक)

[३ से ७ सितम्बर १९६२/१२ से १६ भाद्र, १८८४ (शक)]

Chamber Fumigated 18/X/73

3rd Lok Sabha

Preservation Unit
14-5-97
Fumigated
8-12-83
Parliament Library

दूसरा सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड ८ में अंक २१ से २५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय–सूची

[तृतीय खण्ड माला, खण्ड ८—अंक २१ से २५–३स ७ सितम्बर, १९६२ १२ से १६ भाद्र १८८८४ (शक)]

अंक २१—सोमवार, ३ सितम्बर, १९६२।१२ भाद्र, १८८४ (शक)— पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— . . .

तारांकित प्रश्न संख्या ७४३, ७४४, ७४६ से ७६० और ७६२ . २५८५—१६११

अल्पसूचना प्रश्न संख्या १० . . २६११–१२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४५, ७६१, ७६३, ७६४ से ७६६ . २६१२—१४

अतारांकित प्रश्न संख्या २१४४ से २१५४, २१५६ से २१९० और २१९२ से २२०९ . . . . २६१४—४३

अल्प सूचना प्रश्न सख्या ९ २६४३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना २६४३—४६

(१) पश्चिम बंगाल में वियासवाड़ी सीमा चौकी के निकट सशस्त्र पाकिस्तानी आक्रमणकारियों द्वारा दो भारतीयों के मारे जाने का कथित समाचार . . .

(२) श्री जी० डी० सोंधी द्वारा जकार्ता में दिये गये कथित वक्तव्यों और उन पर इण्डोनेशिया सरकार की प्रतिक्रिया । . .

लद्दाख में चीनी सैनिक के चौकियों के बारे में वक्तव्य . २६४६–४७

सभा पटल पर रखे गये पत्र २६४७–४८

राज्य सभा से सन्देश २६४८

विधेयक पुरस्थापित— . .

(१) बिजली (संभरण) संशोधन विधेयक . . . २६४८

(२) भाण्डागार निगम विधेयक . . ९

भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक— २६४९

विचार करने का प्रस्ताव . . २६४९—५१

खंड १ से ७ . . . २६५१

पारित करने का प्रस्ताव २६५१

बैंकिंग समवाय (सशोधन) विधेयक २६५२

विचार करने का प्रस्ताव .

खंड २ से ८ तथा १ २६६०

पारित करने का प्रस्ताव . २६६०–६१

गन्ना नियंत्रण (अतिरिक्त शक्तियां) विधेयक— २६६१—८६

विचार करने का प्रस्ताव . . . .

कार्यमंत्रणा समिति — २६८६

छठा प्रतिवेदन . . . .

दैनिक संक्षेपिका . . २६८७—९२

अंक २२—मंगलवार, ४ सितम्बर, १९६२/१३ भाद्र, १८८४ (शक)—

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६७७, ६७८, ७७०, से ७७३ ७७६, ७७७, ७७९ से ७८१, ७८४ और ८८५ . . . २६९३—२७१९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ११ और १२ . . . २७२०—२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तरांकित प्रश्न संख्या ७६९, ७७४, ७७५, ७७८, ७८२ और ७८६ से ७९० . . . . . २७२२—२६

अतारांकित प्रश्न संख्या २२१० से २२५१, २२५३ से २२५४ और २२५६ से २२६१ . . . २७२६—५७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना— २७५७—६२

(१) नागा लैंड में पैंटिंग फोम को गोली से मार दिया जाना।

(२) मोजाम्बिक से भारतीयों का निकाला जाना . .

(३) जकार्ता के भारतीय दूतावास पर आक्रमण . .

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . २७६२—६३

राज्य सभा से संदेश २७६३

अनुपस्थिति की अनुमति . . २७६३

धर्मपरिवर्तन करने वालों का विवाह विच्छेद विधेयक—पुरस्थापित . . २७६४—६५

कार्य मंत्रणा समिति— २७६५

छटा प्रतिवेदन . . . . .

गन्ना नयंत्रण (अतिरिक्त शक्तियां) विधेयक . . . २७६५—६६

विचार किरने का प्रस्ताव .

खंड २ तथा १ . .

पारित करने का प्रस्ताव . .

ईरान के भूकम्प के बारे में २७६

विषय	पृष्ठ
नियम ६६ के परन्तुक के निलम्बन के बारे में	२७६७–६८
संविधान (चौदहवां संशोधन) विधेयक, १९६२	२७६८—८८
विचार करने का प्रस्ताव	
खंड २ से ७ और १	२७८८—९५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	२७९५—२८०१
खाद्य उत्पादन के बारे में आधे घंटे की चर्चा	
दैनिक संक्षेपिका	२८०२—०८
अंक २३—बुधवार, ५ सितम्बर, १९६२।१४ भाद्र, १८८४ (शक)—	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७९१, से ७९३, ७९३—क, ७९४ और ७९७ से ८०४	२८१९—४०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७९५, ७९६, ८०४—क, और ८०५ से ८१९	२८४१—४८
अतारांकित प्रश्न संख्या २२६२ से २३६६, २३६८ से २३७१ और २३७१—क से २३७१—ञ	२८४८—२९११
राज्य सभा में सन्देश	२९११
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	
आठवां प्रतिवेदन	२९१२
सदस्य का निलम्बन	२९१२—१४
तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (संशोधन) विधेयक	
विचार करने का प्रस्ताव	२९१५—१९
खंड २ से ५ तथा १	२९१९–२०
पारित करने का प्रस्ताव	
उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक	२९२०—३५
विचार करने का प्रस्ताव	
खंड २ तथा १	२९ ३५
पारित करने का प्रस्ताव	२९३५–३६
परिसीमन विधेयक—	
सहमति प्रकट करने का प्रस्ताव	२९३६—३८
बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा	२९३८—७१
सदस्य की गिरफ्तारी और रिहाई	२९७१

विषय	पृष्ठ
आसाम में पाकिस्तानियों के अवैध प्रवेश के बारे में आधे घंटे की चर्चा .	२९७१—७८
दैनिक संक्षेपिका	२९७९—८६

अंक २४—गुरुवार, ६ सितम्बर, १९६२/ १५ भाद्र, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ८२०, ८२२ से ८२८ और ८३० से ८३७	२९७७—९१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८२१, ८२९ और ८३८ से ८४७	२९९९—३००५
अतारांकित प्रश्न संख्या २३७२ से २४३६, २४३८ से २४६३ और २४६३—क	३००५—४६
दिनांक ३—९—६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१६४ के उत्तर में शुद्धि .	३०४६
निधन संबंधी उल्लेख . . .	३०४७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना .	३०४७—४८
जुनारदेव के निकट मोटर ट्रक और हल्के इंजिन के बीच टक्कर	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३०४८—५१
गैरसरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंन्धी समिति .	३०५१
कार्यवाही सारांश	
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति . .	३०५१
कार्यवाही का सारांश	
याचिका संबंधी समिति	३०५१
कार्यवाही सारांश	
बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा . . .	३०५२—९१
अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित आदिम जाति आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	३०९२—३११३
औद्योगिक लायसेंस के दिये जाने के बारे में आधे घंटे की चर्चा . .	३११३—१६
दैनिक संक्षेपिका	३११७—२४

अंक २५—शुक्रवार, ७ सितम्बर, १९६२/१६ भाद्र १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८४८, ८५१ से ८५६ और ८५८ से ८६२ .	३१२५—४६
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ और १४ . . .	३१४६—५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

विषय	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या ८४६, ८५०, ८५७ और ८६३ से ८७४	३१५०–५७
अतारांकित प्रश्न संख्या २४६४ से २४६८, २४७० से २५१६, २५२१ से २५२४, २५२६ से २५३७ और २५३६ से २५४८	३१५७–६५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	३१६५–६७
(१) नकली रेशम के धागे के आयात पर कथित प्रतिबंध तथा उसके फलस्वरूप बेकारी	
(२) उत्तर प्रदेश में भूमि का लगान बढ़ाने के बारे में स्थिति	
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	३१६७
कार्यवाही से निकालने के बारे में	३१६७–६६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३२००
औचित्य प्रश्न के बारे में	३२००–०३
संसदीय समितियों के कार्यवाही सारांश—	३२०४
(१) अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	
(२) सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	
राज्य सभा से संदेश	३२०४–०५
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	३२०५
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति—	३२०५
पहला प्रतिवेदन	
प्राक्कलन समिति—	३२०५–०६
पहला और दूसरा प्रतिवेदन	
तारांकित प्रश्न संख्या १४११ और १६२६ के उत्तरों में शुद्धि	३२०६
डुमराव दुर्घटना के संबंध में जांच आयोग के बारे में वक्तव्य	३२०६–०७
कच्चा लोहा और इस्पात के प्रतिधारण मूल्यों के बारे में वक्तव्य	३२०७–०६
संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव	३२०६–१२
श्रमजीवी पत्रकार (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित	३२१३–१४
अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित आदिम जाति आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	३२१४–३१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति आठवां प्रतिवेदन	३२३१
अनुसधान कर्त्ताओं और वैज्ञानिक कर्मचारियों के काम की दशाओं के बारे में संकल्प	३२३२–३८

विषय	पृष्ठ
साम्प्रदायिक संस्थाओं पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में संकल्प .	३२३९–४४
'जिंक' के भवन के लिये दिये गये अग्रिम धन के बारे में आधे घंटे की चर्चा	३२४४–५०
दैनिक संक्षेपिका	३२५१–५९
दूसरे सत्र का कार्यवाही संक्षेप . . .	३२६०–६२

GMGIPND—LS III—815 (Ai) LSD—4-1-63—140.

विषय	पृष्ठ
आसाम में पाकिस्तानियों के अवैध प्रवेश के बारे में आधे घंटे की चर्चा .	२९७१—७८
दैनिक संक्षेपिका	२९७९—८६
अंक २४—गुरुवार, ६ सितम्बर, १९६२/ १५ भाद्र, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ८२०, ८२२ से ८२८ और ८३० से ८३७	२९७७—९९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८२१, ८२९ और ८३८ से ८४७	२९९९—३००५
अतारांकित प्रश्न संख्या २३७२ से २४३६, २४३८ से २४६३ और २४६३-क ३००५—४६	
दिनांक ३-९-६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१६४ के उत्तर में शुद्धि .	३०४६
निधन संबंधी उल्लेख	३०४७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना .	३०४७-४८
जुनारदेव के निकट मोटर ट्रक और हल्के इंजिन के बीच टक्कर	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३०४८—५१
गैरसरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंन्धी समिति .	३०५१
कार्यवाही सारांश	
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति . .	३०५१
कार्यवाही का सारांश	
याचिका संबंधी समिति	३०५१
कार्यवाही सारांश	
बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा . . .	३०५२—९२
अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित आदिम जाति आयोग के प्रतिवदन के बारे में प्रस्ताव	३०९२—३११३
औद्योगिक लायसेंस के दिये जाने के बारे में आधे घंटे की चर्चा . .	३११३—१६
दैनिक संक्षेपिका	३११७—२४
अंक २५—शुक्रवार, ७ सितम्बर, १९६२/१६ भाद्र १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८४८, ८५१ से ८५६ और ८५८ से ८६२ .	३१२५—४६
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ और १४ . . .	३१४६—५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

विषय	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या ८४६, ८५०, ८५७ और ८६३ से ८७४	३१५०–५७
अतारांकित प्रश्न संख्या २४६४ से २४६८, २४७० से २५१६, २५२१ से २५२४, २५२६ से २५३७ और २५३६ से २५४८	३१५७–६५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	३१६५–६७
(१) नकली रेशम के धागे के आयात पर कथित प्रतिबंध तथा उसके फलस्वरूप बेकारी	
(२) उत्तर प्रदेश में भूमि का लगान बढ़ाने के बारे में स्थिति	
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	३१६७
कार्यवाही से निकालने के बारे में	३१६७–६६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३२००
औचित्य प्रश्न के बारे में	३२००–०३
संसदीय समितियों के कार्यवाही सारांश—	३२०४
(१) अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	
(२) सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	
राज्य सभा से संदेश	३२०४–०५
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	३२०५
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति—	३२०५
पहला प्रतिवेदन	
प्राक्कलन समिति—	३२०५–०६
पहिला और दूसरा प्रतिवेदन	
तारांकित प्रश्न संख्या १४११ और १६२६ के उत्तरों में शुद्धि	३२०६
डुमराव दुर्घटना के संबंध में जांच आयोग के बारे में वक्तव्य	३२०६–०७
कच्चा लोहा और इस्पात के प्रतिधारण मूल्यों के बारे में वक्तव्य	३२०७–०६
संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव	३२०६–१२
श्रमजीवी पत्रकार (संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित	३२१३–१४
अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित आदिम जाति आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	३२१४–३१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति आठवां प्रतिवेदन	३२३१
अनुसंधान कर्त्ताओं और वैज्ञानिक कर्मचारियों के काम की दशाओं के बारे में संकल्प	३२३२–३८

विषय	पृष्ठ
साम्प्रदायिक संस्थाओं पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में संकल्प .	३२३९–४४
'लिंक' के भवन के लिये दिये गये अग्रिम धन के बारे में आधे घंटे की चर्चा	३२४४–५०
दैनिक संक्षेपिका	३२५१–५९
दूसरे सत्र का कार्यवाही संक्षेप	३२६०–६२

GMGIPND—LS III—815 (Ai) LSD—4-1-63—140.

लोक सभा

शुक्रवार, ७ सितम्बर, १९६२

१६ भाद्र, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पश्चिम बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों को केन्द्रीय सहायता

\+

†*८४८. { श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० उ० मिश्र :

क्या निर्माण, आवास और संभरण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों की समस्या हल करने के लिए १९६०–६१, १९६१–६२ और १९६२–६३ वर्षों के लिये केन्द्रीय सहायता की मांग की थी ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने मांगी गयी राशि मंजूर कर दी है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी राशि मंजूर की गई ?

†निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :(क) जी, हां ।

(ख) और (ग). पश्चिम बंगाल सरकार को पूर्व पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये प्रतिवर्ष धन दिया जाता है । वर्ष १९६०-६१ और १९६१-६२ में क्रमशः ५८७.४३ लाख रुपये और ४५१ लाख रुपये की धनराशि मंजूर की गयी । वर्ष १९६२–६३ के आय-व्ययक प्राक्कलन में ४६१.९८ लाख रुपये की धनराशि का उपबन्ध किया गया है ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस मंजूर की गयी राशि की मांग की गयी राशि से क्या तुलना है । यह मांगी गयी राशि है या उससे अधिक है या उससे कम है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना**: इन वर्षों में जो सामान्य तरीका रहा है, वह यह है । हमें पश्चिम बंगाल सरकार से प्रार्थना प्राप्त होती है । इनकी परीक्षा की जाती है और राज्य सरकार से बातचीत की जाती है । वित्त मन्त्रालय को आवंटन का सुझाव दिया जाता है और आय व्ययक के समय प्रत्येक मंत्रालय के लिये कुछ उपबन्ध किया जाता है । उसके आधार पर हम राज्य सरकारों को आवंटन करते हैं ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने अपने मुख्य मन्त्री के जरिये अभ्यावेदन किया है कि केंद्र द्वारा मंजूर की गयी धनराशि पर्याप्त नहीं है और बाकी समस्या को सुलझाने के लिय उन्हें केन्द्र से अधिक सहावता चाहियें ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैं नहीं समझता कि यह बात ठीक है । बाकी समस्या पर मैंने भूतपूर्व मुख्य मन्त्री और वर्तमान मुख्य मन्त्री के साथ बातचीत की थी । इन बातचीत के बन्द ही यह धनराशि निर्धारित की गयी है । कहीं पर कुछ मामूली अंतर हो सकता है परन्तु वैसे हमारे में पूर्ण सहमति है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : वर्ष १९६०–६१, १९६१–६२ और १९६२-६३ में राज्य सरकार ने कितनी धनराशि की मांग की थी और मंजूर की गयी धनराशि से उसकी क्या तुलना है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : श्री इंद्रजीत गुप्त के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मैं इसका उत्तर दे चुका हूं ।

†**बा० रानेन सेन** : क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य मत्री ने हाल में इस कार्य के लिये केन्द्रीय सरकार से ५१ करोड़ रुपय की सहावता मांगी है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : जी नहीं । वास्तव में हमने हाल में ही बाकी समस्या के प्रश्न पर विचार किया था और कुछ मामलों के अतिरिक्त हमारी राय में कोई अन्तर नहीं है ।

†**श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या पश्चिम बंगाल सरकार बाकी समस्याओं के लिय योजनायें भेजती है और फिर मंजूरी दी जाती है और फिर उनकी सभी के लिये मांग रखी जाती है और फिर केन्द्रीय सरकार इस पर विचार करती है और धनराशि मंजूर करती है ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : शेष समस्या पर हमने विचार किया है और उसका परीक्ष किया है । इस प्रश्न में इस बात पर संकेत है—शेष समस्या कितनी है, मांगी गयी धनराशि और हमारे और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच सहमत हुई धनराशि ।

†**श्री ह० प० चटर्जी** : पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में आये विस्थापित व्यक्तियों, मेरा मतलब हाल ही में आये ११,००० व्यक्तियों से है, के लिये कितनी धनराशि मांगी है ? क्या यह सच है कि ये व्यक्ति निराश्रित है और इनके पास खाने को भी नहीं है और ये बड़े कष्ट में हैं ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नकारात्मक है । हमने उनको पुनर्वासित करने का प्रयत्न किया है, हमने उनको सहायता देने का प्रयत्न किया है । परन्तु उनका पता नहीं चल रहा है । जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, इसमें पश्चिम बंगाल सरकार बीच में नहीं आती क्योंकि भारत सरकार ने उनको दण्डकारण्य

---

†मूल अंग्रेजी में

ले जाने और वहां बसाने की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली है और इसका सारा व्यय भारत सरकार वहन करेगी ।

†**श्री ब० कु० दास** : क्या बस्तियों और अनधिकृत बस्तियों में रहने वाले शरणार्थियों को नागरिक सुविधायें देने के लिये की गयी अपील पर कलकत्ता के निगम को कोई धनराशि दी गयी है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : कलकत्ता के निगम द्वारा की गयी किसी विशिष्ट प्रार्थना के बारे में मुझे स्मरण नहीं है । कलकत्ता में अनधिवासियों की समस्या को दो भागों में बांटा जा सकता है– एक तो वे जो सामान्यत: कलकत्ता में आते हैं और दूसरे व जो टालीगंज योजना का भाग हैं । उस योजना का विस्तार से परिक्षण किया गया है । एक योजना बनाई जानी है । उस योजना में तीन पक्ष होंगे—कलकत्ता निगम, पश्चिम बंगाल सरकार और भारत सरकार । हम भारत सरकार की ओर से जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं ।

पटसन का उत्पादन

†*८५१. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, १९६१ में पटसन के उत्पादन की क्या स्थिति रही है और हम ने अपने उत्पादन में कितनी वृद्धि की है ;

(ख) क्या बाजार में भाव गिरने के फलस्वरूप कारखानों में पटसन से बनी वस्तुओं के बड़े स्टाक इकट्ठे हो गये हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठाने का इरादा रखती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय अन्तर्राष्ट्रीय में व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जुलाई, १९६२ में १०३,५०० टन पटसन के सामान का उत्पादन हुआ और पिछले १५ वर्षों में किसी एक महीने में उत्पादन से यह सर्वाधिक है ।

(ख) और (ग). बढ़ते हुए उत्पादन और मांग ओर निर्यात को देखते हुए भण्डार असामान्य नहीं हैं ऽ

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या भारतीय पटसन मिल संघ ने एक अभ्यावेदन किया है कि पाकिस्तान की पटसन मिलों की स्पर्धा के कारण वे ३० रुपये का न्यूनतम पटसन मूल्य नहीं बनाय रख सकते और यदि हां, तो इस पर सरकार का क्या रवैया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जैसा में चालू सत्र में और पहले भी सदन में कई बार बता चुका हूं, सरकार ने फैसला किया है कि आसाम के लिये कलकत्ता में ३० रुपय प्रति बंगाल मन मूल्य की नीति चालू रखी जाये और वही नीति चालू है ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या घनी मांग वाले क्षेत्रों में मूल्य ३० रुपये नहीं है और यदि हां, तो क्या सरकार इस बारे में कोई संतोषजनक व्यवस्था करेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मुझे प्रसन्नता है कि यह प्रश्न उठाया गया है । भारतीय पटसन मिल संघ ने जो बड़ा भंडार बनाया है उसे पर्याप्त अथवा पूर्ण रूप से संतोषजनक नहीं समझा जाता है । अत:

†मूल अंग्रेजी में

भारत सरकार ने निर्णय किया है कि राज्य व्यापार निगम मंडी में प्रवेश करे और इस तरीके से खरीद करे कि उत्पादन को चालू मूल्य का अत्याधिक लाभ मिले ।

श्री विभूति मिश्र : अब कलकत्ते में जूट का भाव ३० रुपये मन है तो मैं जानना चाहता हूं कि हमारे बिहार में कटिहार, चकिया और विभिन्न जगहों पर सरकार की कौन सी एजेंसियां यह जूट खरीदेंगी और जट का हम लोगों को कम से कम क्या दाम मिलेगा ?

श्री मनुभाई शाह : फिलहाल प्रोग्राम ऐसा है कि इंडियन जूट मिल्स एसोसियेशन का जितना सहयोग मिल सके और अच्छे तरीके से मिल रहा है वह चालू रहेगा । उस के उपरान्त स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन और नेशनल कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन के द्वारा और जितनी प्राइमरी सोसाइटीज बिहार, उड़ीसा, असम और वैस्ट बंगाल में हो सकेंगी उन के द्वारा भी माल खरीदा जायेगा । उस का परिणाम यह है कि जहां तक हो सकेगा जो हमारी औपरेशनल प्राइस ३० रुपये मन कलकत्ते में है वह रहे ।

श्री क० ना० तिवारी : बिहार में जूट १७ और १८ रुपये मन खरीदा जाता है और वही जट कलकत्ते में जाने के बाद और उस का बोरा बनने के बाद १६५ रुपये प्रति सौ बोरा बिकता है, तो यह अनएकोनोमिक प्राइस जो जूट ग्रोअर्स को मिल रही है उस को बढ़ाने के सम्बन्ध में क्या सरकार कुछ विचार कर रही है ?

श्री मनुभाई शाह : अब दोनों के बीच में कोई मुकाबला हीं नही है क्योंकि रेलवे और गोडाउन्स के अखराजात और किराये को भी ध्यान में रखना होगा । लेकिन जूट ग्रोअर्स को उन के माल का ठीक और मुनासिब दाम मिले उसी के लिये यह इंतजाम किया जा रहा है ।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : क्या यह सच नहीं है कि उत्पादकों को ३० रुपया प्रति मन का न्यूनतम मूल्य देने के लिये सरकार के प्रयत्नों के बावजूद, अधिकांश उपादकों को यह मूल्य नहीं मिल रहा है ? क्या यह इस कारण नहीं है कि इस मामले में पटसन उद्योग ने सरकार के साथ सहयोग नहीं किया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : माननीय सदस्य की इस बात से मैं अंशत: सहमत हूं कि कुछ मामलों में यह मूल्य बनाये नहीं रखा गया है । परन्तु मैं सदन को स्मरण करा दूं कि सारे वर्ष भर मूल्य अच्छी तरह बनाये रखे गये और वह भारतीय पटसन मिल संघ के सहयोग से रहा है । परन्तु, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं, उन का कार्य संतोषजनक अथवा पर्याप्त नहीं है और इसीलिये हम इस में कड़ाई कर रहे हैं ।

†**श्री विश्राम प्रसाद** : क्या फालतू पटसन को कपडा उत्पादन जैसे अन्य उद्योगों में इस्तेमाल करने की सरकार का कोई योजना है और यदि नहीं, तो क्या कदम उठाये जायेंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह** : सामान्यत: पटसन से मानव-प्रयोग के लिये कोई कपड़ा नहीं बनाया जा सकता । हम इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि कुर्सी आदि पर चढ़ाने वाला कपड़ा, कवर और विभिन्न किस्म के पर्दे जैसा सामान पटसन से बनाया जा सके । परन्तु आज हमारे पास इस के लिये फालतू पटसन नहीं है । अभी हम इस का अधिक निर्यात कर सकते हैं और बोरों और टाट की बढ़ती हुई घरेलू मांग को भी पूरा कर सकते हैं ।

†**डा० रानेन सेन** : क्या भारत सरकार को पता है कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा नियुक्त की गयी पटसन जांच समिति ने कच्चे पटसन का न्यूनतम मूल्य ३५ रुपये प्रति मन निर्धारित किया था और यदि हां, तो भारत सरकार द्वारा मल्य कम किये जाने के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मनुभाई शाह : एसा कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया गया था। विभिन्न पक्षों की विभिन्न समितियों ने कच्चे पटसन के मूल्य की सिफारिश की थी। एक माननीय सदस्य के रूप में उन्हों ने पहले कहा था कि उद्योग यह समझता है कि यह मूल्य बहुत अधिक हैं, पहले उत्पादकों के हितों से मूल्य भिन्न स्तर पर रहे। परन्तु भारत सरकार ने, विचार के बाद पहले वर्ष घोषित की गयी नीति को जारी करने का फैसला किया और वह यह थी कि मूल्य ३० रुपये प्रति मन रहें। वह चालू मूल्य चालू सीजन के लिये आज भी चालू है और उस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

†श्री दशरथ देव : ३० रुपये का न्यूनतम मूल्य उत्पादक को मुश्किल से ही मिलता है और यह केवल मध्यकालीन क्रेताओं को मिलता है। यदि ऐसा है, तो सरकार यह देखने के लिये, कि यह मूल्य उत्पादकों को मिले, क्या कदम उठा रही है ?

†श्री मनुभाई शाह : यही बात मैं ने कही है। अब सहकारी समितियों को सुदृढ़ किया जा रहा है। राष्ट्रीय सहकारी विपणन फैडरेशन भी अब मंडी में खरीद कर रही है। राज्य व्यापार निगम भारतीय पटसन मिल संघ के सहयोग में बड़ा भंडार बनाने का सर्वोपरि अभिकणर होगा। यह सारी योजना इस बात को सुनिश्चित करने के लिये है कि उत्पादकों को चालू मूल्य का अधिकतम लाभ मिले।

सेठ अचल सिंह : क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस तरीके से काश्तकारों के लिय कैश क्रैडिट प्राप्त करन के लिये अनाज के लिये गोडाउन खोले गये हैं, क्या उसी तरह जूट के लिये भी गोडाउन खोले गये हैं ?

श्री मनुभाई शाह : जी हां।

†डा० पं० शा० देशमुख : बड़ा भंडार बनाने के लिय जो अभिकरण स्थापित किया गया था, उस ने संतोषजनक रूप से काम नहीं किया है, क्या सरकार बड़ा भंडार बनाने के लियें सहकारी समितियों का उपयोग करेगी ?

†श्री मनुभाई शाह : जी, हां।

पाकिस्तान को फिल्मों का निर्यात

†*८५२. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि भारत से फिल्मों के आयात पर पाकिस्तान द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध का भारतीय चलचित्र उद्योग पर कोई प्रभाव हुआ हो तो, वह क्या है ?

†सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों के आयात पर वर्ष १९५४ में कटौती आरम्भ की थी जिस के परिणामस्वरूप इस संसाधन से भारतीय आय वर्ष १९५४ में १५ लाख रुपये से वर्ष १९६१ में लगभग ३.३ लाख रुपये की कमी हुई। भारतीय फिल्मों के विदेश भेजे जाने से कुल आय में वर्ष १९५४ में ९७ लाख रुपये से वर्ष १९६१ में लगभग १६३ रुपये की वृद्धि हुई। इस प्रकार, यद्यपि, हाल में लगाये गये पूर्ण प्रतिबन्ध के फलस्वरूप लगभग ३.३ लाख रुपये आय पर प्रभाव पड़ने की संभावना है, यह हमारी कुल आय की महत्वपूर्ण भाग नहीं है। बंगाल में फिल्म उद्योग पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि पूर्वीबंगाल में उन की बहुत जाती थीं।

†श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : हमारी फिल्मों के लिये अन्य विदेशी मंडियां स्थापित करने के लिये और क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शाम नाथ :** इस बारे में हमारे प्रयत्न जारी है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या वहां पर हमारी भारतीय फिल्मों के आयात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाये जाने के कोई कारण बताये गये हैं ?

†**श्री शाम नाथ :** कोई कारण नहीं बताये गये हैं परन्तु कारण स्पष्ट है । वास्तव में पाकिस्तान सरकार ने एक समिति, फिल्म-तथ्य निर्धारण समिति नियुक्त की थी, जिस ने सिफारिश की कि पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों के आयात पर पूर्ण प्रतिबन्ध हो ।

†**श्री अन्सार हरवानी:** क्या सरकार भारतीय निर्माताओं को अरबी और फारसी में भारतीव फिल्में बनाने के लिये कोई सहायता देगी ताकि पूर्वी देशों में उन की मांग बढ़े ।

†**श्री शामनाथ :** वह भिन्न मामला है । परन्तु भारतीय उत्पादकों को हम जो भी प्रोत्साहन दे सकते हैं, वह देंगे ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या इस सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार से कोई पत्र-व्यवहार किया गया था ; यदि हां, तो उन्होंने इस सम्बन्ध में क्या उत्तर दिया था ?

श्री शाम नाथ : जिस वक्त जनवरी के महीने में यह बैंन लगाया गया, तो इंडियन हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट किया और मार्च के महीने में एक ऐड-मेम्वार (Aide-Memoire) भी उन को दिया जिस के बाद ब्रसल्ज़ में हमारे ट्रेड रिप्रेज़ेन्टेटिव ने पाकिस्तान के रिप्रेज़ेन्टेटिव से बातचीत की और उन्होंने यह कहा कि हम इस मामले को देखेंगे ।

श्री रघुनाथ सिंह: मैं यह जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने सिर्फ़ हिन्दुस्तान की फ़िल्मों को ही बैंन किया है या और देशों की फ़िल्मों को भी बैन किया है ।

†**श्री शामनाथ :** इसकी मुझे पता नहीं है परन्तु मैं समझता हूं कि वे अपने उद्योग को संरक्षण देना चाहते हैं और क्योंकि भारतीय फिल्में उनकी फिल्मों से प्रतिस्पर्धा करती हैं, केवल इसलिये संभवतः भारतीय फिल्मों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ।

†**श्री शाम नाथ :** कौन कौन से अफ्रीकी देश हमारी फिल्मों का आयात कर रहे हैं और क्या पाकिस्तान ने अफ्रीकी देशों को फिल्मों के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध लगाया है ?

†**श्री शाम नाथ :** इसका मुझे पता नहीं है ।

पाकिस्तानी सीमा सैनिकों द्वारा मारे गये भारतीय मछुए

*८५३. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी:** क्या प्रधान मंत्री १४ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या २८७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार से उन दो मछुओं के परिवार के सदस्यों के लिये कोई नकद मुआवजा मांगा गया है जो २८ जुलाई, १९६२ या उस के आस-पास पाकिस्तान सीमा सैनिकों द्वारा की गई गोलीबारी के फलस्वरूप मर गये थे : और

(ख) क्या पाकिस्तान सरकार से मुआवजे की इस मांग का कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) :** (क) और (ख). जी, हां । मृत और घायल मछुओं की ओर से पाकिस्तान सरकार से पर्याप्त मात्रा में औपचारिक रूप से क्षतिपूर्ति

†मूल अंग्रेजी में

की मांग की गयी है । उनका उत्तर अभी प्रतीक्षित है और हम इस मामले में पाकिस्तान सरकार पर निरन्तर दबाव डाल रहे हैं ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : इस बात को देखते हुए कि गोली चलाये जाने के मामलों और क्षतिपूर्ति की मांग के बारे में हमारे विरोध-पत्रों का अब तक कोई उत्तर नहीं दिया गया है, क्या सरकार सीमा के भारतीय ओर, विशेषत: नदी वाली सीमांत पर कुछ कदम उठाने के बारे में विचार कर रही है ताकि उन मछुओं को, जो भारतीय नदियों में मछली पकड़ते हैं, अधिक कार्यकारी संरक्षण दिया जा सके ?

†**श्री दिनेश सिंह** : जी, हां । इन मामलों का इस सदन में कई बार उल्लेख हुआ है । हम अधिक संरक्षण देने के लिये कदम उठा रहे हैं । इस बिशेष मामले में यह मामला मुख्य सचिवों की बैठक में भी उठाया गया था और हम क्षतिपूर्ति पर जोर दे रहे हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार इस बात से संतुष्ट है कि भारत-पाकिस्तान सीमा पर हमारे सुरक्षा उपाय बहुत पर्याप्त और संतोषजनक हैं ? सरकार सीमान्त पर बार बार इन घटनाओं का कैसे मुकाबला करती है ?

†**श्री दिनेश सिंह** : भारत-पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा के मामले पर इस सदन में कई बार चर्चा हुई है । सरकार सभी संभव उपाय कर रही है । यह बहुत बड़ी सीमा है और इस प्रकार इसकी प्रत्येक इंच की सुरक्षा करना संभव नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह जानना चाहते हैं कि क्या सुरक्षा उपाय पर्याप्त हैं ।

†**श्री दिनेश सिंह** : जी, हां ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने उत्तर दे दिया है कि वह पर्याप्त है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : उत्तर आपने दिया है, न कि उन्होंने ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने उनसे प्रश्न पूछा था कि क्या उसकी पर्याप्त रूप से सुरक्षा की जाती है और उन्होंने उत्तर दिया कि वह पर्याप्त है ।

†**श्री हेम बरुआ** : प्रश्न के दूसरे भाग का क्या हुआ ? वह हर बात टाल रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति ।

†**श्री हेम बरुआ** : मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार बार बार दुर्घटनाओं का कैसे मुकाबला करती है ? क्या सरकार यह कहना चाहती है कि यह केवल पाकिस्तानी नेताओं की मनोवृत्ति के कारण है, जिसका कि प्रधान मंत्री जी ने एक अन्य दिन उल्लेख किया था या कोई अन्य कारण हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह इस भाषण का उत्तर चाहते हैं ?

†**श्री हेम बरुआ** : मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । कोई उत्तर नहीं दिया गया है ।

†**एक माननीय सदस्य** : अध्यक्ष महोदय क्या कर सकते हैं ?

†**श्री हेम बरुआ** : उनको सरकार को उत्तर देने के लिये बाध्य करने का अधिकार है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†श्री हरि विष्णु कामत : प्रधान मंत्री भी चुप हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : श्री बनर्जी ।

†श्री स० मो० बनर्जी : अब जब कि पाकिस्तान सरकार इन मछुओं के परिवारों को क्षतिपूर्ति देने के बारे में अब तक शान्त है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारी सरकार ने इन परिवारों को कोई वित्तीय सहायता अथवा सहायता दी है ।

†श्री दिनेश सिंह : उनको सहायता देने के लिये स्थानीय प्राधिकारी, जो कुछ संभव है, करते हैं । उनमें से घायल दो व्यक्ति अस्पताल में हैं और उनकी देखभाल की जाती है ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने कोई सहायता दी है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): मैं नहीं समझता कि केन्द्रीय सरकार ने कोई सहायता दी है । यदि आवश्यक हुआ तो ऐसा करेंगे । सामान्यत : राज्य सरकार सहायता देती है ।

†श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमन्, मेरा प्रश्न स्पष्ट था । पाकिस्तान सरकार ने कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी है और मुझे विश्वास है कि वह नहीं देंगे । मैं यह जानना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान ने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की है, क्या हम उनको कोई क्षतिपूर्ति देंगे ।

†अध्यक्ष महोदय : जब कि केन्द्रीय सरकार ने पाकिस्तान सरकार को लिखा है, क्या हम उनकी अस्वीकृति मान कर पहले से क्षतिपूर्ति दे सकते हैं । हम यह नहीं कल्पना कर सकते कि वे नहीं देंगे । वह ऐसा मान सकते हैं परन्तु सरकार नहीं मान सकती ।

†श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या नदी सीमांत पर सीमान्त चौकियों में नौकायें हैं ताकि वे कभी कभी नदी के किनारों के भारतीय और गश्त लगा सकें ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं समझता हूं कि जरूर होनी चाहियें । निश्चित रूप से मैं नहीं कह सकता । व्यक्तिगत रूप से मुझे पता नहीं है । परन्तु मैं समझता हूं कि जरूर होंगी ।

†श्री हेम बरुआ : फिर वही गोलमाल उत्तर । इसी प्रकार हम अपनी सीमाओं को शत्रुओं के लिये खोल रहे हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय इतना भी नहीं कह सकते कि वह किसी विशिष्ट प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते ? यदि किसी समय उनके पास उत्तर न हो तो उनसे जानकारी प्राप्त करने और फिर वह जानकारी देने को कहा जा सकता है । परन्तु उनको कम से कम यह अधिकार तो है कि उस समय उनके पास वह जानकारी नहीं है ।

†श्री हेम बरुआ : उन्होंने कहा "मैं समझता हूं," "हो सकता है" आदि ।

†श्री वी० चं० शर्मा : श्रीमन्, मेरा सुझाव है कि माननीय सदस्य के ये शब्द 'इसी प्रकार हम अपनी सीमाओं को शत्रुओं के लिये खोल रहे हैं' सभा की कार्यवाही से निकाल दिये जायें ।

†श्री हेम बरुआ : वह बात मैं सैंकड़ों बार कहूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति ।

†श्री ह० प० चटर्जी : क्या यह सच है कि इन नदियों में मछली पकड़ने वाले मछुओं ने हमारी सरकार से शिकायत की कि उनको कोई संरक्षण नहीं मिल रहा है और उसके बाद भी उन्हें कोई संरक्षण नहीं दिया जा रहा है ?

†श्री दिनेश सिंह : पिछले दिन ही मछली पकड़ने वाले मछुओं के बारे में, जिन पर पाकिस्तान की ओर से हमला किया गया था, एक प्रश्न आया था । उस समय हमारी पुलिस वहां गयी थी, उसने उनकी सहायता की थी और उनको वापस ले आयी थी । अतः संरक्षण दिया जा रहा है ।

रूसी अन्तरिक्ष यात्री

*८५४. श्री भक्त दर्शन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में सोवियत रूस के दो उड़ाकों ने अन्तरिक्ष में पृथ्वी की जो कई बार परिक्रमा की थी, क्या भारत की अनुसन्धानशालाओं ने उनकी गतिविधियों का अवलोकन व अध्ययन किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस अवलोकन और अध्ययन के बारे में एक विस्तृत विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) उन अध्ययनों से भारत में लाभ उठाने की क्या योजना बनाई गई है या बनाई जा रही है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) हाल ही में सोवियत रूस के मेजर निकोलाएव और कर्नल पापोविच ने अन्तरिक्ष में जो द्वेध कक्षीय उड़ान की उसके व्यवस्थित अवलोकन और अध्ययन के लिए भारतीय अनुसन्धानशालाओं में कोई व्यवस्था नहीं की गई थी ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

श्री भक्त दर्शन : इस बीसवीं शताब्दी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारे देश की वेधशालाओं यानी आवजरवेटरीज में अभी तक इसकी व्यवस्था नहीं हुई है, इसका क्या कारण है और क्या इस के लिये कोई उपाय किये जा रहे हैं ?

प्रधान-मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) यह इसलिये है कि हम और कार्यों में ज्यादा मशगूल हैं इस वक्त ।

श्री भक्त दर्शन : क्या इसका यह अर्थ है कि कभी भी वह समय नहीं आएगा जब कि भारत का प्रथम उड़ाका इन दो नवयुवकों की तरह से पृथ्वी की परिक्रमा कर सकेगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह मैं नहीं कह सकता हूं कि कभी नहीं आएगा । कभी न कभी जरूर आएगा । लेकिन कब आएगा में नहीं कह सकता हूं ।

†श्री वी० बं० शर्मा : पहले नैनीताल में वेधशाला में चन्द्रमा की ओर उड़ान करने वाले इन व्यक्तियों की उड़ान का अध्ययन किया जाता रहा । क्या मैं जान सकता हूं कि अब नैनीताल वैधशाला ने इन दोनों व्यक्तियों की उड़ान का रिकार्ड क्यों नहीं किया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दिनेश सिंह** : मैंने यह नहीं कहा कि इसने रिकार्ड नहीं किया। इन अन्तरिक्ष यानों के बारे में रिकार्ड करना क्रमिक अध्ययन से भिन्न है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या सरकार ने अधिकृत रूप से या औपचारिक रूप से या अन्य किसी प्रकार यह सुना है कि अमरीका सरकार अथवा रूस सरकार इस को अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाना चाहती है ; और यदि हां, तो क्या सरकार स्वर्ग की ओर—मेरा मतलब है कि स्वर्ग के निकट—अन्तरिक्ष में जाने के लिये किसी भारतीय को प्रशिक्षित करेगी ? क्या रूस अथवा अमरीका का ऐसा कोई प्रस्ताव है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या उन्होंने बताया है कि वे स्वर्ग गये हैं ?

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैंने कहा कि स्वर्ग के समीप, न कि स्वर्ग में।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य को यह समझना चहिये कि हमारी फिलासफी कुछ भिन्न है; स्वर्ग और नरक तो हमारे भीतर ही हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : वह भिन्न बात है। प्रश्न का एक भाग यह है कि क्या रूस अथवा अमरीका ने कोई प्रस्ताव रखा है।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह उसका उत्तर दे रहे हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हमें प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव करने का कोई प्रश्न नहीं है। हम एक व्यक्ति को प्रशिक्षित कर सकते हैं परन्तु इसके साथ सभी सामान और अन्य बातों का क्या होगा ? यह केवल एक व्यक्ति को प्रशिक्षित करने का प्रश्न नहीं है। इसका इस्तेमाल करना-एक कठिनाई है। हमें एक नींव बनानी है। फिर, वास्तव में, एक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग होगा और हो सकता है कि हमसे भी उसमें भाग लेने को कहा जाये। परंतु उसका स्पूतनिक से कोई सम्बन्ध नहीं है। वह भिन्न चीज है।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या रूस से यह पता लगा लिया गया है कि इन दो अन्तरिक्ष यात्रियों ने अन्तरिक्ष में भगवान को देखा था ?

†**श्री हरि विष्णु कामत** : वह अपनी आंखों से उनको नहीं देख सकते।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह पता लगा लिया गया है कि क्या इन दो अन्तरिक्ष यात्रियों ने अन्तरिक्ष में भगवान को देखा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जब कि कोई उत्तर नहीं दिया गया है फिर भी वह प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो प्रश्न उन्होंने पूछा है उसका कोई उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

†**श्री नम्बियार** : क्या हमारी सरकार ने अन्तरिक्ष अनुसंधान के लिये कोई सेल अथवा अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : अहमदाबाद में राष्ट्रीय प्रयोगशाला में डा० विक्रम साराभाई के अधीन एक छोटा सा केन्द्र है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, माननीय उपमंत्री जी ने बताया है कि इस चीज़ का बाकायदा अध्ययन नहीं किया गया है, अर्थात् सिस्टमेटिक स्टडी नहीं की गई है। अतः थोड़ा बहुत जो अध्ययन किया गया है, उससे क्या पता लगा है, क्या इस पर प्रकाश डाला जाएगा ?

श्री दिनेश सिंह : थोड़े बहुत अध्ययन का मतलब यह है कि कितनी मर्तबा यह पृथ्वी के चारों तरफ घूमा, कितने मील गया, कितने घंटे आसमान में रहा इत्यादि। इसके बारे में एक बात यह है कि वहां से जो खबरें वह भेजता है, वे कोड में आती हैं और वह बहुत ही एक तरह से खुफिया बात होती है और किसी दूसरे के लिये इसके बारे में स्टडी करना आसान नहीं होता है। जो रेडियो सिगनल आए वे हम ने भी सुने लेकिन क्या मतलब है, यह निकालना आसान नहीं होता है।

†**श्री कृ० चं० पन्त :** क्या सरकार को पता है कि नैनीताल में वेधशाला में अन्तरिक्ष यानों को उड़ान का अध्ययन करने के लिये पूरा साज सामान है ? यदि हां, तो इन अन्तरिक्ष यात्रियों के क्रमबद्ध अध्ययन के लिये इनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न पूछा जा चुका है।

कारतूस आदि का आयात

†*८५५. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्पोर्टिंग राइफल तथा शाट गन के लिये कारतूस आदि के आयात पर १९५९-६० और १९६१-६२ में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** वर्ष ९५९, १९६० और १९६१–६२ में क्रमानुसार ८,२४.००० रु०, ८,०४,००० रु० और ३१,००० रु० के मूल्य का आयात हुआ।

†**श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह :** इस आवंटित विदेशी मुद्रा से कितने बोर के कारतूस आयात किये गये ?

†**श्री मनुभाई शाह :** विभिन्न आकार हैं :— .२२ इंच राइफल, ३०२ और अनेक अन्य श्रेणियां जिनका उल्लेख मैं अनेक बार सभा में कर चुका हूं।

†**श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह :** पर्यटकों तथा खिलाड़ियों के लिए कारतूसों की क्या स्थिति है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** कुछ 'हैवी-बोर' के कारतूसों के बारे में जो अभी भारत में नहीं बनते है मैं आश्वासन दे सकता हूं कि यदि माननीय सदस्य या इण्डियन राइफल एसोसियेशन हमें इसकी सूचना दे, तो थोड़ा कोटा निर्धारित कर दिया जायेगा।

†**श्री त्यागी :** इस बात का ध्यान रखकर कि हमारे आयुध कारखाने यह सब बना सकते हैं, हम इनका आयात विदेशों से क्यों करते हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** हम इसका आयात नहीं कर रहे और ठीक प्रश्न यही है। पिछली बार माननीय सदस्यों ने कुछ रुचि दिखाई थी और सुझाया था कि हम कुछ आयात करें। मैं यह बता दूं कि हम जिनका निर्माण देश में कर सकते हैं, उनका हम पूर्ण निर्माण कर रहे हैं और इसी कारण पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। राइफलों और बन्दूकों के विभिन्न आकार हैं जिनका उपयोग देश में होता है और प्रत्येक के लिये कारतूस देश में नहीं बनाये जा सकते।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री त्यागी : . २२ का यहां निर्माण हो रहा है।

†श्री भानु प्रकाश सिंह : नेशनल राइफल एसोसियेशन को आयात मात्रा में से कितना कोटा दिया जाता है और क्या इस में कुछ रियायत दी जाती है ?

†श्री मनुभाई शाह : आयात मूल्य धन सामान्य व्यय पर इसका आवंटन होता है। इस में से अधिकतर मान्यता प्राप्त राइफल एसोसियेशनों को दिया जाता है जिसमें नेशनल राइफल एसोसियेशन भी शामिल है।

बस्तर में रेयन की लुगदी और प्लाईवुड बनाने के कारखाने

*८५६. श्री राम सेवक : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिड़ला बन्धु मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में रेयन की लुगदी बनाने तथा प्लाईवुड बनाने के कारखाने लगाने की योजना बना रहे हैं ;

(ख) ये कारखाने कब तक उत्पादन करने लगेंगे तथा उनमें केन्द्रीय सरकार किस प्रकार की सहायता देगी ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र में भी ऐसे कारखाने स्थापित करने की कोई योजना है ; और

(घ) यदि हां, तो कहां पर और वे कब तक स्थापित हो जायेंगे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). सरकार एक आवेदन-पत्र पर विचार कर रही है। यह आवेदन-पत्र बस्तर में केवल व्यापारिक प्लाईवुड बनाने का एक कारखाना खोलने के लिये औद्योगिक लाइसेंस दिये जाने के बारे में प्राप्त हुआ है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

†श्री राम सेवक : क्या सरकार का विचार वास्तविक सूत के अतिरिक्त मानव निर्मित सूत का उत्पादन करने की कोई अन्य योजना है ?

†श्री कानूनगो : यह प्लाईवुड के बारे में है। प्लाईवुड बनाने के अनेक अन्य कारखाने हैं। मानव निर्मित सूत के उत्पादन के लिए भी अनेक अन्य कारखाने हैं।

†श्री भागवत झा आजाद : क्या प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र में उल्लेख किया है कि कारखाने में बनने वाले माल का क्या मूल्य होगा और क्या इसका कारण यह है कि हमारे पास इसका अभाव है ?

†श्री कानूनगो : प्लाइवुड की मांग बहुत अधिक बढ़ रही है क्योंकि इस से लकड़ी की बचत होती है। इस लाइसेन्स पर विचार किया जा रहा है और मध्य प्रदेश सरकार की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है कि इस कार्य के लिए पर्याप्त लकड़ी उपलब्ध है या नहीं ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, यह बतलाया गया कि बिड़ला बन्धुओं की ओर से यह कारोबार शुरू किया जा रहा है। इस में वास्तव में कितनी प्रगति हुई है और इस के कब तक स्थापित होने की आशा की जा सकती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री कानूनगो : अभी स्थापित होने का तो सवाल ही नहीं है, अभी तो यह जांच की जा रही है कि लकड़ी है या नहीं ।

श्री बड़े : यह जो प्लाईवुड की फैक्टरी स्थापित होने वाली है इस पर क्या एक साल ज्यादा समय से विचार हो रहा है, और क्या उन्होंने रेयन के वास्ते भी एप्लीकेशन दी हुई है ।

श्री कानूनगो : रेयन के वास्ते कोई एप्लीकेशन नहीं दी है। सिर्फ कमर्शियल प्लाईवुड के लिए एप्लीकेशन है और उस के बारे में मैं ने कहा है कि टिम्बर एवेलेबिल है या नहीं इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट अपेक्षित है।

†श्री बड़े : मेरा प्रश्न यह था कि यह कितने समय से अनिश्चित पड़ा है।

अध्यक्ष महोदय : उनका सवाल था कि क्या इस पर एक साल से विचार हो रहा है।

श्री कानूनगो : मुझे ठीक वक्त तो नहीं मालूम, लेकिन एक साल से तो नहीं है। इस पर विचार होते ६ महीने से भी कम समय हुआ है।

श्री सिंहासन सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि इस का पेड अप कैपीटल क्या है और क्या इसने गवर्नमेंट से भी लोन प्राप्त करने की कोशिश की है, और यदि सरकार से लोन मांगा है तो कितना ?

श्री कानूनगो : इसने गवर्नमेंट से तो लोन नहीं मांगा है। इसका पेड अप कैपिटल कितना है यह मैं नहीं जानता ।

श्री अचल सिंह : क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि रेयन पल्प पैदा करने के वास्ते और कितनी फैक्टरियां हिन्दुस्तान में चल रही हैं ?

श्री कानूनगो : करीब आधा दर्जन चल रही हैं।

श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह : अभी मंत्री महोदय ने बतलाया कि लकड़ी के लिए मध्य प्रदेश से पूछा जा रहा है । मैं पूछना चाहता हूं कि जब यहां पर फारेस्ट डिपार्टमेंट के चीफ आफिसर रहते हैं और मध्य प्रदेश की लकड़ी की यहां काफी बिक्री होती है, तो यह कैसे कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में लकड़ी की कमी है ?

श्री कानूनगो : मैं ने कहा कि उनकी रिपोर्ट अपेक्षित है।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स लिमिटेड

†*८५८. श्रीमती सरोजिनी महिषी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स लिमिटेड द्वारा स्थापित किये गये कारखाने में उत्पादन कब आरम्भ होगा ;

(ख) क्या इस कारखाने के लिये आवश्यक कच्चा माल आयात से या देशी संसाधनों से प्राप्त किया जायेगा ; और

(ग) यदि वह देशी संसाधनों से प्राप्त किया जायेगा, तो कच्चे माल का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता हैं।

विवरण

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड कच्ची फिल्म का एक कारखाना बना रहा है और आशा है कि उस में वर्ष १९६३ में उत्पादन आरम्भ हो जायेगा।

पहिले दो या तीन वर्षों में उत्पादन के लिये आवश्यक कच्चे सामान का आयात करना होगा। आशा है कि उस समय तक वह सामान देश में उपलब्ध हो जायेगा। सरकार देश में उन के उत्पादन के लिये आवश्यक कार्यवाही कर रही है और इस के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत उन कारखानों को लाइसेन्स दिया है जिन्होंने कच्चे सामान की अनेक वस्तुयें बनाने के लिए प्रार्थना की थी।

†**श्रीमती सरोजिनी महिषी** : इस बात का ध्यान रखकर कि इस वस्तु (ट्राइएस्टेट) का उत्पादन महत्वपूर्ण है और इस के उत्पादन में शीघ्रता होनी चाहिये, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कोई ऐसी एजेंसियां हैं जिनकी विदेशों के साथ भारत में संयंत्र स्थापित करने की शर्तें पूरी हो गई हैं?

†**श्री कानूनगो** : हां। अनेक रसायन हैं। मैसूर सुगर कम्पनी के पास यह वस्तु बनाने का लाइसेन्स है। उन्होंने प्रस्ताव समाप्त कर दिया है। अन्य योजनाओं की जांच की जा रही है।

†**श्रीमती सरोजिनी महिषी** : मेरा प्रश्न यह था कि क्या कोई ऐसी ऐजेंसी हैं जिसने सहयोग की शर्तें पूरी कर ली हैं?

†**श्री कानूनगो** : अभी नहीं।

†**श्री इंद्रजीत गुप्त** : विवरण से पता लगता है कि दो या तीन वर्ष कच्चा सामान देश में उपलब्ध करने की योजना है। क्या इस कार्य के लिए मशीन, संयंत्र और सामान के बारे में भी ऐसी ही योजना है और क्या इसका आयात किया जायेगा और मशीन के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी?

†**श्री कानूनगो** : कुछ सामान देश में उपलब्ध होगा परन्तु अधिकतर विदेशों से मंगाना होगा।

†**श्री इंद्रजीत गुप्त** : कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी?

†**श्री कानूनगो** : परियोजना पर नगर बसाने का व्यय लगाकर कुल ८३५ लाख रु० व्यय होंगे।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : मशीन और सामान का आयात करने में कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी?

†**श्री कानूनगो** : मैं आंकड़े नहीं दे सकता। कुल लागत ८३५ लाख रु० है जिसमें से वस्ती की लागत कम करनी होगी।

†**श्री जोकीम आल्वा** : जिस समय इस कारखाने के लिये सहयोग की योजना रखी जा रही थी, अनेक विदेशी सहयोग कर्ताओं ने अपनी सेवाओं का प्रस्ताव किया और उनमें से कुछ सस्ते व कुशल भी थे। क्या आपने गलत व्यक्ति चुने हैं और क्या उत्पादन में देर होने का यही कारण है?

†**श्री कानूनगो** : हमें इस बारे में बहुत ही सावधानी से काम लेना है। पर्याप्त विचार करने पर हमने यह सहयोग करने का निश्चय किया है क्योंकि इससे हमें अधिक लाभ होने की संम्भावना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री शिवरंजप्पा : मैसूर सुगर कम्पनी को सैलूलोज ट्राइएस्टेट बनाने का लाइसेंस दिया गया था। इस में क्या प्रगति हुई है ?

†श्री कानूनगो : उन्होंने प्रस्ताव समाप्त कर दिया है।

†श्री भागवत झा आजाद : क्या यह सच है कि अन्तिम पुनः निर्धारण के अनुसार अनुसूची के अनुसार उत्पादन होने की कोई संभावना नहीं है ?

†श्री कानूनगो : नहीं। आशा है कि संयंत्र में उत्पादन छः मास में आरम्भ हो जायेगा।

†अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

योजना की परियोजनाओं का मूल्यांकन

†*८५९. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना की परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने के लिये योजना आयोग का क्या संगठन है तथा कितने कर्मचारी हैं ;

(ख) वर्ष १९६२–६३ में मूल्यांकन का क्या कार्य आरम्भ किया गया है ; और

(ग) क्या बिना विभाग के मंत्री भी योजना आयोग के साथ मिलकर ऐसा ही कार्य करते हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). योजना आयोग के विवेक पर (१) ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योजना प्रोग्रामों के व्यापक मूल्यांकन के लिये प्रोग्राम मूल्यांकन संगठन है और (२) योजना की परियोजनाओं संबंधी समिति हैं जो चुनी हुई परियोजनाओं और प्रोग्रामों का अध्ययन करने के लिये दल बनाती है। प्रोग्राम मूल्यांकन संगठन और योजना की परियोजना संबंधी समिति के कर्मचारी तथा वर्ष १९६२–६३ में उनके द्वारा किये गये मूल्यांकन कार्य दर्शाने वाला विवरण लोक सभा की मेज पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ४४५/६२]

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या मूल्यांकन करने के लिये और कार्य को देख भाल करने के लिये कार्यकारी मंत्रालयों के अपने स्वायत्त संगठन हैं और यदि हां तो क्या मूल्यांकन के लिये सहयोग मंत्री महोदय का भी अपना संगठन है और क्या मैं जान सकता हूं कि इन सब विभिन्न संगठनों में समन्वय कैसे होता है और मूल्यांकन का प्रोग्राम कैसे निश्चित होता है ?

†श्री हाथी : योजना की परियोजनाओं की कार्यान्विति के लिये मूल रूप में प्रशासी मंत्रालय जिम्मेदार हैं। योजना की परियोजनाओं मूल्यांकन प्रोग्राम के लिये बिना विभाग के मंत्री के पास कोई प्रशासी व्यवस्था नहीं है। यह दूसरी बात है। तीसरी बात पर, मूल्यांकन संगठनों और संबंधित मंत्रालयों में समन्वय के लिये योजना आयोग की योजना की परियोजनाओं संबंधी विभिन्न समितियां हैं, जैसे सिंचाई, इमारतों के लिये योजना की परियोजनाओं संबंधी समिति। वे संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से कार्य का मूल्यांकन करते हैं। वे अग्रेतर आयोजन तथा अन्य अपेक्षित बातों की प्रक्रिया बनाते हैं।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : उत्तर से मैं समझता हूं कि विभिन्न मंत्रालयों द्वारा नियुक्त किये गये अनेक अध्ययन दल निश्चित प्रथा के अनुसार नहीं हैं या योजना आयोग की अनुमति के अनुसार नहीं हैं। हम देखते हैं कि विभिन्न मंत्रालयों द्वारा नियुक्त किये गये अनेक अध्ययन

†मूल अंग्रेजी में

दल तथा मूल्यांकन दल यहां वहां जाते हैं। क्या मैं यह समझूं कि उनमें कोई समन्वय नहीं है और वे योजना आयोग से कोई पूर्व परामर्श नहीं करते ?

†श्री हाथी : योजना आयोग से उनका सहयोग है परन्तु कार्यकारी दल बनाने वाले मंत्रालयों का विचार सर्वथा एक नहीं है कि प्रोग्राम मूल्यांकन संगठन का वस्तुत: क्या कार्य है। प्रोग्राम मूल्यांकन संगठन का मुख्य उद्देश्य मूल्यांकन करना है, अर्थात्, यह जानना है कि क्षेत्र विशेष में योजना परियोजना का क्या प्रभाव पड़ा है, क्या आयोजन की प्रविधि उचित रूप में अपनाई गई है, क्या आयोजन की प्रविधि में और कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता है आदि। कार्यकारी दल कार्यान्विति देखते हैं और देखते हैं कि क्या उचित लाभ प्राप्त हुए हैं या नहीं, वे योजना आयोग के साथ भी समन्वय करते हैं। प्राय: योजना आयोग के सलाहकार कार्यकारी दलों में शामिल किय जाते हैं।

†श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच नहीं है कि बिना विभाग के मंत्री की नियुक्ति के बाद मंत्रालयों में और उनके बीच कुछ कार्य दोहरा हो गया है या छूट जाता है और यदि हां, तो कार्य दोहरा होना या छोड़ा जाना दूर करने के लिये सर्वोच्च समन्वयकर्ता के रूप में प्रधान मंत्री ने क्या कार्यवाही की है ?

†श्री हाथी : यह कार्य समन्वय का नहीं अपितु मूल्यांकन का है।

†श्री हरि विष्णु कामत : प्रश्न के भाग (ग) में बिना विभाग के मंत्री द्वारा किये गये कार्य का भी उल्लेख है।

†श्री हाथी : यह प्रश्न योजना की परियोजनाओं के मूल्यांकन करने का है।

†श्री हरि विष्णु कामत : परन्तु दोनों ही यह कार्य कर रहे हैं; बिना विभाग के मंत्री भी यह कार्य कर रहे हैं और वे भी यह कार्य कर रहे हैं।

†श्री हाथी : प्रत्यक्ष रूप में वह यह कार्य नहीं कर रहे हैं।

†अध्यक्ष महोदय: यह साधारण समन्वय नहीं है अपितु इस मूल्यांकन कार्य का समन्वय है।

†श्री हरि विष्णु कामत : मैं ने यही कहा था। समन्वय में अतिव्याप्ता आ जाती है। हम चाहते हैं कि हमें उत्तर राज्य मंत्री दें या प्रधान मंत्री दें।

†श्री हाथी : प्रोग्राम मूल्यांकन संगठन जांच पड़ताल, आयोजन, और मूल्यांकन अध्ययन की रूप रेखा बनाना तथा परिणाम प्रस्तुत करने के लिये विभिन्न समस्याएं चुनता है। जहां तक परियोजनाओं की कार्यान्विति का प्रश्न है, यह कार्यों की कार्यान्विति का समन्वय है। यह एक संगठन है जो आरम्भ किये गये प्रोग्रामों का मूल्यांकन करता है।

†श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमान्, औचित्य के एक प्रश्न पर। कार्य कार्य है, चाहे वह कार्यान्विति हो या मूल्यांकन। यह कार्य है, और यह समन्वय कार्य है। मैंने कार्यान्विति के लिये समन्वय की बात नहीं कही। मेरा प्रश्न था कि क्या मंत्रालयों में और उनके बीच काम का दोहरापन नहीं है, और यदि हां, तो इसे दूर करने के लिये प्रधान मंत्री ने क्या कार्यवाही की है ?

†श्री हाथी : काम का कोई दोहरापन नहीं है।

---

†भूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : यह प्रोग्राम मूल्यांकन समिति विभिन्न मंत्रालयों के साथ अपने कार्य का समन्वय कैसे करती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह सब प्रश्नकाल में अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में बताया जा सकता है ?

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे अन्य मंत्रालयों से समन्वय करते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसके लिये बड़े उत्तर की आवश्यकता है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : इस विवरण ने हमें भ्रम में डाल दिया है। हम स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : विवरण में ५ पृष्ठ हैं, और यदि अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो अन्य पांच, दस पृष्ठों की आवश्यकता होगी ।

†**श्री स०मो० बनर्जी** : क्या प्रोग्राम मूल्यांकन समिति अन्य मंत्रालयों के साथ समन्वय करती है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ।

†**श्री हाथी** : प्रोग्राम मूल्यांकन संगठन जब भी किसी परियोजना विशेष का मूल्यांकन करता है, उस समय सम्बन्धित मंत्रालय से सदैव परामर्श किया जाता है और मूल्यांकन करते समय मंत्रालय के साथ समन्वय रहता है । उदाहरणार्थ, सिंचाई की छोटी व बड़ी परियोजनाओं को लीजिये । वे देखते हैं कि छोटी व बड़ी परियोजनाओं का लाभ जनता को उपलब्ध हुआ है या नहीं, क्या कठिनाइयां हैं, आदि । इन प्रश्नों पर सम्बन्धित मंत्रालय के साथ विचार विमर्श किया जाता है । अतः मंत्रालयों तथा इस संगठन के बीच समन्वय होता है ।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : क्या योजना आयोग का अनुभव यह नहीं है कि मूल्यांकन निकाय की सच्ची रिपोर्टों से कुप्रबन्ध के लिये उत्तरदायी व्यक्ति क्रुद्ध होते हैं और इससे कोई लाभ नहीं होता ?

†**श्री हाथी** : मेरा ख्याल है कि स्थिति यह नहीं है ।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या मूल्यांकन दल के मतों के आधार पर आयोजन प्रविधि में कोई बड़ा परिवर्तन करने का विचार है ?

†**श्री हाथी** : यह बात प्रत्येक परियोजना पर निर्भर है । हम साधारणीकरण नहीं कर सकते ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : परियोजनायें चुनने का दल का क्या सिद्धान्त है ?

†**श्री हाथी** : योजना की परियोजनाओं सम्बन्धी दल क्षेत्र का बिना विचार किये बड़ी बड़ी परियोजनायें चुनता है । संगठन के लगभग ४२ ऐसे यूनिट समूचे देश में फैले हैं । वे राज्यों, योजना आयोग और केन्द्रीय मंत्रालयों के सुझाव पर समूचे देश में एक या दो परियोजनायें लेते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री विभूति मिश्र : ब्लाक्स में जो इन का प्रोग्राम है उस के मुताबिक देहातों में किसानों की आमदनी किस मात्रा में बढ़ी है और शहरों के लोगों की आमदनी किस मात्रा में बढ़ी है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** बहुत लम्बा सवाल है ।

†**श्री त्यागी :** विवरण से पता लगता है कि इस संगठन में ११५ राजपत्रित, ३४७ राजपत्रित अधिकारी और ७६ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं । इन परियोजनाओं के लिए कर्मचारियों की अनुमति कौन देता है, वित्त मंत्रालय या योजना आयोग स्वीकार करता है—चतुर्थ श्रेणी के इतने अधिक कर्मचारी हैं ?

†**श्री हाथी :** यह प्रश्न इस से उत्पन्न नहीं होता । स्वीकृति वित्त मंत्रालय की होना आवश्यक है ।

†**श्री त्यागी :** यह योजना आयोग अपने कर्मचारियों का आयोजन नहीं कर सकता, तो देश की योजनायें क्या बनायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति । वह तर्क कर रहे हैं ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** क्या सरकार योजनायें बनाने में स्वयं अपने कार्य की न्यायोचित जांच करने और योजनाओं के लिए आवंटन करने के लिए एक स्वायत्त मूल्यांकन आयोग बनाने पर गंभीरता से विचार कर रही है ?

†**श्री हाथी :** अभी ऐसा कोई विचार नहीं है ।

अमरीका को 'जूट बैकिंग क्लॉथ' का निर्यात

†*८६०. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका में 'जूट बैकिंग क्लॉथ' की मांग बढ़ रही है ;

(ख) क्या भारत के पटसन मिल 'जूट बैकिंग क्लॉथ' का बड़ी मात्रा में निर्यात कर रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो वर्ष १९६१ में कितना निर्यात किया गया ; और

(घ) क्या बढ़ती मांग के कारण इस मामले में साख-पत्र की आवश्यकता नहीं है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). हां, श्रीमान ।

(ग) और (घ). पटसन के पार्श्व-वस्त्र के निर्यात का अलग रिकार्ड नहीं रखा जाता। वर्ष १९६१-६२ में लगभग ४१,६४० टन निर्यात होने का अनुमान है जिस का मूल्य ११.६५ करोड़ रु० था । भुगतान विधि अन्तर्राष्ट्रीय प्रथानुसार प्रत्येक पार्टी के साथ अलग अलग है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** पटसन पार्श्व वस्त्र का मूल्य अमरीका में बहुत अधिक है और उस में बहुत लाभ है । यदि हां, तो वर्ष १९६१ में हम ने इस से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : हां, मैं ने यही कहा था । वह काफ़ी बढ़ रहा है । वास्तव में, पिछले पांच वर्षों में कालीन पार्श्व-वस्त्र का निर्यात १.४४ करोड़ रु० से बढ़ कर ११ करोड़ रु० हो गया है । यही कारण है कि हम इस वस्त्र के अधिक उत्पादन के लिये चौड़े करघे लगाने को प्राथमिकता दे रहे हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : जैसाकि प्रश्न के भाग (घ) में उल्लेख है, क्या यह सच है कि किसी कमीशन की आवश्यकता नहीं है तथा कुछ उपक्रम हैं जो निर्यात करते हैं और कमीशन लेते हैं जो बनावटी आंकड़े हैं और उस का उद्देश्य विदेशी मुद्रा संचय करना है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : कमीशन का प्रश्न इस वस्त्र के लिए या इस की विक्रयता या लाभ-प्रदता के लिए अनौखा नहीं है । यह तो सभी वाणिज्यिक उपक्रमों के संचालन का भाग है कि जो भी अधिक निर्यात करने में सहायता करता है उसे कुछ थोड़ा कमीशन दिया जाता है—यह खरीदार और बेचने वाले के बीच में होता है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : इस कालीन पैकिंग की विदेशी मुद्रार्जन क्षमता का ध्यान रख कर, क्या सरकार ने पटसन मिलों को यह वस्त्र बनाने के लिये हजारों चौड़े करवे लगाने की अनुमति दे दी है, और यदि हां, तो ऐसे कितने चौड़े करघे लग गये हैं और कितने करघे लगने को जा रहे हैं और उन पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हम ९०० चौड़े करघे लगा चुके हैं और २,१०० अधिक चौड़े करघों की अनुमति दी जा चुकी है । हाल में ही हम ने ३ करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा की अनुमति दी है जिस में से १.५ करोड़ तत्काल मुक्त कर दी गई है ।

नागपुर से विविध भारतीय कार्यक्रम

†*८६१. **श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के नागपुर केन्द्र से विविध भारतीय कार्यक्रम आयोजित करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या नागपुर को ऐसे कार्यक्रमों का अखिल भारतीय केन्द्र बनाया जायगा ; और

(ग) आकाशवाणी के नागपुर केन्द्र की कितनी क्षमता बढ़ाने का विचार है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : (क) और (ख) सम्पूर्ण देश के लिए विविध भारती कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए नागपुर को एक केन्द्र बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । फिर भी स्थानीय श्रोताओं के लिए विविध भारतीय कार्यक्रमों के लिये नागपुर में मीडियम वेव का १ किलोवाट का ट्रांसमीटर लगाने का विचार है ।

(ग) और किसी प्रकार से नागपुर स्टेशन की क्षमता बढ़ाने का कोई विचार नहीं है ।

†**श्री बालकृष्ण वासनिक** : नागपुर केन्द्र किन किन क्षेत्रों की सेवा करता है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शामनाथ :** यहां स्थापित किये जाने वाले १ किलोवाट के मीडियम वेव के ट्रांसमीटर के लग जाने से नागपुर और उस के आसपास की शहरी जनता विविध भारती कार्यक्रम अच्छी तरह सुन सकेगी ।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :** क्या आकाशवाणी की नयी भाषा नीति से इन विविध भारती कार्यक्रमों के आयोजन पर कोई प्रभाव पड़ेगा ?

†**श्री शाम नाथ :** यह एक अलग सवाल है लेकिन सरकार की वर्तमान नीति का प्रभाव विविध भारती कार्यक्रमों पर पड़े इस के लिए कोई कारण नहीं है, क्योंकि सरकार की नीति में कोई रद्दोबदल नहीं हुआ है ।

†**श्रीमती यशोदा रेड्डी :** क्या अब इस के बाद विविध भारती कार्यक्रम केवल नागपुर से ही प्रसारित किये जायेंगे और दिल्ली से नहीं ?

†**श्री शामनाथ :** जी नहीं, विविध भारती कार्यक्रम दिल्ली में तैयार किया जाता है और तब वह हाई-पावर शार्ट वेव ट्रांसमीटरों के जरिये बम्बई और मद्रास से तथा मीडियम वेव ट्रांसमीटरों के जरिये कुछ अन्य केन्द्रों से रिले किया जाता है । छः केन्द्रों में यह ट्रांसमीशन पिछले अगस्त में ही चालू किया गया था । जिन २४ केन्द्रों में १ किलोवाट के मीडियम वेव ट्रांसमीटर कायम किये जा रहे हैं उन से यह कार्यक्रम रिले किया जा सकेगा ।

†**श्री शि० रा० देशमुख :** क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि नागपुर अपनी भौगोलिक स्थिति के विविध भारती और राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए आदर्श केन्द्र होगा ?

†**श्री शाम नाथ :** मैं ने अभी अभी बताया है कि यह कार्यक्रम दिल्ली में तैयार किया जाता है और तब वह दूसरे केन्द्रों से रिले किया जाता है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : माननीय मंत्री जी ने आल इंडिया रेडियो में सरल हिन्दी की शुरुआत की है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह "विविध भारती" को "हिन्दुस्तानी मुख्तलिफ़ गाने" कहेंगे या क्या कहेंगे ।

श्री शामनाथ : मान्यवर, इस के मुताल्लिक कुछ ग़लतफ़हमी मालूम होती है । मैं नहीं समझता कि अब तक जो गवर्नमेंट की पालिसी रही है, उस में कोई तब्दीली हो रही है ।

विश्व युवक समारोह

\+

*८६२. **श्री राम सेवक यादव :**
श्री किशन पटनायक :
श्री बागड़ी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त १९६२ में हेलसिंकी में हुए विश्व युवक समारोह में भाग लेने के लिये किन-किन संस्थाओं के प्रतिनिधि भारत से गये ;

(ख) कितने प्रतिनिधि थे तथा उन की क्या आयु थी ; और

(ग) कितनी अवधि के लिये पासपोर्ट जारी किये गये थे तथा प्रत्येक प्रतिनिधि को कितनी विदेशी मुद्रा दी गई थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) एक ब्यौरा सदन की मेज़ पर रखा दिया है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १००]**

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, इस ब्यौरे से पता चलता है कि नेशनल प्रिपेरेटरी कमेटी, आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और इण्डियन आरगेनाईजिंग कमेटी फ़ार ट्रेनिंग प्रोजैक्ट्स इन वर्क कैम्प मेथ्ड्स एण्ड टैक्नीक्स इन साउथ ईस्ट एशिया, इन तीन संस्थाओं को रुपया नहीं दिया गया है । मैं यह बताना जानता हूं कि किन कारणों से इन संस्थाओं को रुपया नहीं दिया गया और दूसरी संस्थाओं को दिया है ।

श्री दिनेश सिंह : जो लोग नेशनल प्रिपेरेटरी कमेटी के जरिये से आ रहे थे, वे वहां डेलीगेट होकर जा रहे थे । उन्होंने हमसे कोई फारेन एक्सचेंज नहीं मांगा । बाकी लोग अपने खर्च और खास कर रेल के खर्चे के लिये रुपया चाहते थे । वह हमने उनको दे दिया ।

श्री रामसेवक यादव : मैं यह जानना चाहता हूं कि नेशनल प्रिपेरेटरी कमेटी में, जिसकी तरफ से ८२ प्रतिनिधि गए थे, किन किन संस्थाओं के सदस्य थे ।

श्री दिनेश सिंह : उनके नाम हैं : आल इण्डिया यूथ फ़ैडरेशन, समाजवादी युवक सभा, आल इण्डिया यूथ कांफरेंस, फैडरेशन आफ़ इण्डियन यूथ, यंग बुद्धिस्ट्स एसोसियेशन, आल इंडिया स्टूडेंट्स फैडरेशन, यंग वर्कर्ज़ कमेटी, प्राग्रेसिव राइटर्ज़ एसोसियेशन, इंडियन पीपल्ज़ थियेटर एसोसियेशन, केरला पीपल्ज़ आर्ट क्लब, नेशनल फ़ेडरेशन आफ़ इंडियन विमेन और यूनिवर्सिटी स्टुडेंट्स यूनियन्ज़ आफ़ कलकत्ता, अलीगढ़, बड़ौदा, मद्रास, यादवपुर, और स्टेट फ़ेस्टीवल कमेटीज़ आफ़ वेस्ट बंगाल, बम्बई, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, त्रिपुरा, मणिपुर, आन्ध्र, आसाम एण्ड दिल्ली ।

श्री किशन पटनायक : क्या यह सही है कि जो यूथ कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, उनको रिज़र्व बैंक की तरफ से सौ पौंड की अनुमति मिली थी और दूसरों को सिर्फ ७५ रुपए की ?

श्री दिनेश सिंह : मैं सवाल को समझा नहीं हूं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या यह ठीक है कि कुछ को ७५ रुपए की इजाज़त मिली और दूसरों को उससे ज्यादा ।

कुछ माननीय सदस्य : सौ पौंड ।

श्री दिनेश सिंह : यूथ कांग्रेस के अठारह आदमी गए थे । उनको सौ पौंड की विदेशी मुद्रा की इजाज़त दी गई । भारत युवक समाज के नौ आदमी थे और उनको पचास पौंड की इजाज़त दी गई ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार को मालूम है कि ये युवक समारोह परस्पर विरोधी विचार-धाराओं का एक मंच बन गया था और उसके परिणामस्वरूप हेलसिन्की पुलिस को अश्रु गैस छोड़ना पड़ा और यदि हां, तो क्या इन समारोहों में भाग लेने वाले हमारे आदमियों के राजनैतिक विचार क्या हैं ?

†**श्री दिनेश सिंह** : हमारे लोगों में सभी राजनैतिक विचारधाराओं के लोग थे । वह एक लम्बी सूची है । उसमें सभी विचारधाराओं के लोग थे ।

†**श्री त्यागी** : इस प्रदर्शन में कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

†**श्री दिनेश सिंह** : मैं समझता हूं कि वह लगभग ४,७०१ रुपया थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अंसार हरवानी :** क्या सरकार को मालूम है कि इस देश में बहुत बड़ी जनसंख्या है जिनमें से आधे लोग शान्ति परिषद् की सहायता से पूर्व की ओर जाते हैं और आधे लोग पश्चिम की ओर जाते हैं और यदि हां, तो सरकार उस बारे में क्या कर रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** फिलहाल हम केवल पूर्व की ओर जा रहे हैं, पश्चिम की ओर नहीं ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या विश्व युवक समारोह में सम्मिलित होने वाले हिन्दुस्तान के विभिन्न युवक प्रतिनिधियों ने मन्त्रालय को कोई रिपोर्ट दी है और वहां की कार्यवाहियां के सम्बन्ध में कुछ प्रकाश डाला है ?

श्री दिनेश सिंह : कुछ लोगों ने इसका जिक्र किया है । कोई रिपोर्ट तो मैंने नहीं देखी है ।

श्री बागड़ी : क्या यह सत्य है कि समाजवादी युवक सभा के जो प्रतिनिधि गए थे उनको सिर्फ ७५ रुपए ही दिये गये थे और अगर यह सत्य है तो मैं पूछना चाहूंगा कि जब कांग्रेस वालों को सौ पाउण्ड दिया गया तो इनको ७५ रुपये ही क्यों दिये गए, इस अन्तर का क्या कारण है ?

श्री दिनेश सिंह : मैंने अभी इसका विस्तारपूर्वक उत्तर दिया है । जो यहां से, जो हिन्दुस्तान से बाहर जाते हैं, जिनको इजाजत रिजर्व बैंक देता है, वे ७५ रुपये की विदेशी मुद्रा ले जा सकते हैं । भारत समाजवादी युवक सभा जो थी वह प्रैप्रेटरी कमेटी जो बनी थी, उसमें शामिल थी । इन्होंने कोई और विदेशी मुद्रा हम से नहीं मांगी ।

श्री बागड़ी : यह नहीं बताया गया है कि कांग्रेस वालों को क्यों सौ पाउण्ड दिया और इनको क्यों केवल ७५ रुपए दिये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अल्प सूचना प्रश्न ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

नेपाल के विमान की दुर्घटना

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री यु० द० सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायल नेपाल एयर लाइन्स के उस विमान का कोई पता मिला है जो पोलिश हवाई अड्डे से रविवार २६ अगस्त, १९६२ को उड़ा था ;

(ख) यदि हां, तो वह विमान कब और किस अवस्था में पाया गया;

(ग) उस विमान में कुल कितने यात्री थे और उनमें कितने भारतीय थे; और

(घ) क्या मृत भारतीय अफसरों के परिवारों को कोई मुआवजा दिया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) से (ग) आवश्यक जानकारी देने वाला एक विवरण मैं सभा पटल पर रखता हूं ।

विवरण

नेपाल सरकार का पाइलेट्स पीसी ६ पोर्टर एयर क्राफ्ट ९ एन–ए ए एफ २६ अगस्त, १९६२ को लगभग १४,०००–१६,००० फीट की ऊंचाई पर बरसे धुरी नामक स्थान पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया जबकि वह पोखरा से धोरपाटन के लिये उड़ चुका था । विमान के सभी छ यात्री मर गये और विमान जल कर नष्ट हो गया ।

२. १ सितम्बर, १९६२ को नयी दिल्ली में यह सूचना प्राप्त हुई कि एक स्विस ग्राउण्ड सर्च पार्टी शेरपा को बरसेधुरी में जहाज का मलवा ढूंढने में सफलता मिली थी । वह जहाज पूरी तरह जल गया था और उस पर सवार सभी यात्री मर गये थे ।

३. उस विमान में निम्नलिखित यात्री सवार थे :—

(१) श्री आर० एस० रंधावा—चालक—भारतीय

(२) श्री ए० एम० एन० शास्त्री, दुर्घटना निरीक्षक, असैनिक उड्डयन विभाग—भारतीय ।

(३) श्री बी० डी० शर्मा, प्रथम सचिव, भारतीय दूतावास, काठमांडू

(४) श्री आर० बुहारीवाला, आर एन एसी इंजीनियर भारतीय

(५) श्री रामेश्वर प्रसाद, पुलिस सुपरिन्टेंडेट, पोखरा, —नेपाली और

(६) डा० एम० एम० दिक्षित—नेपाली

४. मृत पदाधिकारियों की सेवा की शर्तों के अनुसार उनके परिवारों को मालिकों द्वारा क्षतिपूर्ति दी जायगी । भारतीय अफसरों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति का ब्यौरा अभी तुरन्त उपलब्ध नहीं है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या सरकार ने यह पता लगाया है कि वह हवाई जहाज किस ऊंचाई पर उड़ रहा था ?

†**श्री जगजीवन राम** : वह ऊंचाई निर्धारित करना कठिन नहीं है । उस क्षेत्र और तराई में कुछ ग्रामीण लोगों ने उसे देखा और उसकी सूचना दी गयी । तब पुलिस और अन्य अधिकारियों ने वह जगह देखी ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : पदाधिकारी मर गये हैं क्या उन्हें हमारी सरकार से क्षतिपूर्ति मिलेगी या नेपाल सरकार से मिलेगी ?

†**श्री जगजीवन राम** : यह ब्यौरे की बात है । लेकिन सेवा की शर्तों के अनुसार हमारे पदाधिकारी कुछ मुआवजे, पेंशन और दूसरी चीजों के हकदार होते हैं आगे हम इस बात की छानबीन कर रहे हैं कि जिन विशेष परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई उनके कारण क्या उन्हें कुछ असाधारण क्षतिपूर्ति देनी होगी ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या इस दुर्घटना का कारण मालूम करने के लिये नेपाल सरकार ने कोई जांच की है और क्या हमारी सरकार जांच में हाथ बंटा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जगजीवन राम :** वह एक औपचारिकता है । शायद माननीय सदस्य को मालम होगा कि यह जहाज पिछले डकोटा हवाई जहाज की दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिये अफ़सरों को ले जा रहा था । इसकी भी वही गति हुई । मैं नहीं जानता कि वे और आगे जांच करेंगे या नहीं और कोई विमान चालक उस प्रदेश में विमान उड़ाने का साहस करेगा या नहीं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** चूंकि यह इस ढंग की दूसरी दुर्घटना है, क्या सरकार इस बात की छानबीन करेगी कि किन्हीं विद्रोहियों द्वारा जहाज को गोली मारने के कारण यह दुर्घटना नहीं हुई? क्या इस पहलू की ज़ांच की जायगी ?

†**श्री जगजीवन राम :** यह पता लगाना नेपाल सरकार का काम है । माननीय सदस्य भूल रहे हैं कि यह दुर्घटना हमारे इलाके में नहीं हुई बल्कि यह नेपाली राज्य क्षेत्र में हुई ।

†**श्री स० मो० बनर्जी:** मैं माननीय मन्त्री के कथन से पूरी तरह सहमत हूं । लेकिन इस दुर्घटना में भारतीय दूतावास का एक पदाधिकारी फंस गया था और जो छ लोग मर गये उनमें चार भारतीय थे । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या दूसरी दुर्घटना के बाद भारत सरकार भी इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी और यह मालूम करेगी कि ये दुर्घटनायें केवल दुर्घटनाएं ही हैं और उनका और कोई कारण नहीं था ।

†**श्री जगजीवन राम :** प्रत्येक दुर्घटना की जांच पड़ताल की जाती है और इस दुर्घटना की भी जांच पड़ताल की जायेगी । मैं नहीं समझ पाता कि माननीय सदस्य यह किस तरह चाहते हैं कि हम इसकी जांच पड़ताल करें और यह पता लगायें कि क्या इसमें दुर्घटना के अलावा भी और कोई बात थी ।

†**श्री दाजी :** क्या भारत सरकार नेपाली सरकार से यह प्रार्थना करेगी कि इन दुर्घटनाओं की जांच पड़ताल में वह हमारे पदाधिकारियों को शामिल करे ?

†**श्री जगजीवन राम :** वास्तव में, माननीय सदस्यों को याद रखना चाहिये कि नेपाल सरकार ने हमारी प्रार्थना के बगैर ही, दुर्घटना के कारणों की जांच पड़ताल के लिये हमारे एक विमान निरीक्षक की सेवायें मांग कर उन्हें मदद करने की हम से प्रार्थना की थी ।

†**श्री दाजी :** और अब ?

†**श्री जगजीवन राम :** अब सुझाव देना आसान है लेकिन उस क्षेत्र में जांच पड़ताल का काम शुरू करने के लिये अपने किसी पदाधिकारी को राजी करना आसान नहीं है ।

†**श्री जोकीम आल्वा :** पहली और दूसरी विमान दुर्घटना की अवधि में क्या संचार मन्त्रालय ने, इण्डियन एयर लाइन्स के जरिये, उस तराई में सर्वेक्षण तथा अन्य उपकरण उधार देकर यार डार सहायता के तौर पर किसी प्रकार की कोई दीर्घकालीन या अल्पकालीन सहायता देने का कोई तरीका ढूंढ निकाला था ?

†**श्री जगजीवन राम :** उस क्षेत्र में रडार सहायता क्या है ?

†**श्री जोकीम आल्वा :** वह एक अच्छे पड़ोसी की सहायता है ।

†**श्री जगजीवन राम :** काठमांडू और दूसरे महत्वपूर्ण हवाई अड्डों के लिए ही रडार सहायता पर विचार किया जा सकता है । उस पर विचार तभी किया जा सकता है जब संबंधित सरकार से प्रार्थना प्राप्त हो, अन्यथा नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कुरनूल जिले में खाद्याभाव की स्थिति

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४. श्री वेंकटासुब्बैया : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश में करनल जिले के पथीकुन्डा, अबुर, द्रोणाचलम् और अडोनी तालुकों में अनाज की भारी कमी की स्थिति विद्यमान है ;

(ख) क्या कई गांवों में पीने के पानी और अनाज की कमी है ; और

(ग) क्या राज्य सरकार ने जनता का कष्ट दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) जुलाई, १९६२ के महीने में कम वर्षा हुई थी और बाद की बरसात से खड़ी फसलों की हालत सुधर गयी । इन तालुकों में गंभीर दुर्भिक्ष जैसी स्थिति नहीं है ।

(ख) और (ग) : जी नहीं ।

†**श्री वेंकटासुब्बैया :** क्या जनता का कष्ट दूर करने के लिए कोई कार्यवाही करने का सरकार का विचार है, क्योंकि अब बरसातों से उनका कष्ट नहीं दूर होगा ?

†**श्री अ० म० थामस :** हमें राज्य सरकार से जो सबसे ताजी जानकारी मिली है उसके अनुसार बाद में वर्षा हुई है जिससे चिन्ता दूर हो गयी है और खड़ी फसल की हालत सुधर गयी है ।

†**श्री वेंकटासुब्बैया :** क्या सरकार को यह बात मालूम हुई है कि अलूर तालुक से काफी संख्या में लोग जा रहे हैं क्योंकि वहां पीने के पानी की भारी कमी है जिसका परिणाम यह हुआ कि सरकार को लारियों से पानी भेजना पड़ा, और यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षत्र में पानी की पुरानी कमी दूर करने के लिए कोई सहायता देने जा रही है ?

†**श्री अ० म० थामस :** यह ठीक है कि अलूर रायलसीमा क्षेत्र का एक भाग है और उसमें अक्सर ही सूखा पड़ता है । राज्य सरकार आवश्यक कार्यवाही कर रही है । अभी हाल में रायलसीमा क्षेत्र के लिए ८ करोड़ रुपये के निदेश की एक योजना का प्रारूप उसने भेजा है । इसलिए जो भी संभव उपाय हैं, वे किये जा रहे हैं । कष्ट निवारण कार्य के लिए राज्य सरकार ने २५,००० मंजूर किये हैं और पीने के पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिए और १४,००० रुपया मंजूर किया जा चुका है । राष्ट्रीय जलपूर्ति और सफाई कार्यक्रम के अधीन, इन दो तालुकों के लिए एक योजना है जिसमें जल पूर्ति के लिए लगभग ६७ गांवों को शामिल किया गया है । इस मामले में, अधिक कुएं खोदने के लिए कोई दीर्घकालीन कार्यक्रम बनाना होगा । सभा को मालम है कि आयोजना आयोग ने छोटी सिंचाई के लिए नियत रकम अब बढ़ा दी है और आन्ध्र प्रदेश की सरकार अवश्य ही इस अतिरिक्त नियतन से लाभ उठायेगी ।

†**श्री रंगा :** क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अनन्तपुर और करनूल जिलों के लोगों को सहायता देने के लिए भारत सरकार से अल्पावधि सहायता की सिफारिश की है ?

†**श्री अ० म० थामस :** अभी हाल में हमने आन्ध्र प्रदेश के कृषि मंत्री के साथ इस विषय पर चर्चा की थी । अनाज की सप्लाई के बारे में कोई कठिनाई नहीं होगी । उचित मूल्य वाली लगभग ५०० दूकानें हैं और उन्हें यह आश्वासन दिया गया है कि इन दूकानों द्वारा वितरण के लिए

---

†मूल अंग्रेजी में

उनकी सभी जरूरत पूरी कर दी जायेंगी क्योंकि सेन्ट्रल रिजर्व में काफी स्टाक है। दूसरे मामले के संबंध में, केन्द्रीय सरकार एक योजना पर विचार कर रही है जिस पर ८.७ करोड़ रुपया खर्च होगा ।

†**श्रीमती यशोदा रेड्डी :** मुझे मालूम हुआ है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार को ८.७१ करोड़ रुपया दिये जाने के लिए उसने एक अग्रिम याजना केन्द्रीय सरकार के पास भेजी है । यदि एसा है तो क्या केन्द्रीय सरकार वह रकम देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†**श्री अ० म० थामस :** राज्य सरकार द्वारा भजी गयी तथा कथित अग्रिम योजना के अन्तर्गत अधिकांश योजनाएं राज्य सरकार की तीसरी आयोजना की योजनाओं में सम्मिलित की गयी हैं और छोटी सिंचाई परियोजनाओं और दूसरी बातों के लिए कोई भी अतिरिक्त रकम उन्हें दे दी जायेगी ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अब, ध्यान दिलाने की सूचना

प्रश्नों के लिखित उत्तर

नेपाल को भारतीय तीर्थ यात्री

*४९. **श्री रा० स० तिवारी :**
श्री बा० वर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीयों के नेपाल की सीमा में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है और महात्मा बुद्ध की जन्मभूमि, लुम्बिनी, जाने वाले तीर्थयात्रियों से नेपाली सिक्के में पथ-कर देने के लिए कहा जाता है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या पग उठोए हैं कि यात्रियों को न रोका जाये ; और

(ग) क्या इस संबंध में भारत सरकार का नेपाल सरकार से पत्र-व्यवहार हो रहा है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) :** (क) नेपाल में भारतीयों के प्रवेश पर या तीर्थयात्रियों के लुम्बिनी जाने पर कोई रोक टोक नहीं है । नेपाल की अपनी मुद्रा (करेंसी) है और स्थानीय अधिकारियों को इसकी छूट है कि व चाहें तो अपन टोल-टैक्स और अन्य स्थानीय प्रभारों (ड्यूज़) की अदायगी नेपाली मुद्रा में मांगें ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रेशम का आयात

†*८५०. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्रा **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में १९६०–६१ और १९६१–६२ में कुल कितना रेशम आयात किया गया तथा उसका मूल्य कितना था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस रेशम पर उक्त अवधि में कुल कितना शुल्क वसूल किया गया ; और

(ग) क्या भारत में बड़े पैमान पर रेशम चोरी-छिपे लाया जाता है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(मात्रा लाख किलोग्राम में)
(मूल्य लाख रुपयों में)

वर्ष	आयात की गयी मात्रा	लागत, बीमा, भाड़ा सहित मूल्य	इकट्ठा किया गया सीमा शुल्क
१९६०–६१ . .	०.६९	२९.८७	१६.४९
१९६१–६२ . .	१.३१	७२.००	३६.७६

(ख) जी नहीं ।

दिल्ली में होटल

†*८५७. **श्री प्र० चं० देवभंज** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी यात्रियों के लिए नयी दिल्ली में होटलों की भारी कमी को देखते हुए शहर में और अधिक होटल बनाने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) और (ख). जनपथ होटल का विस्तार करने और मिन्टो रोड पर एक होटल बेनाने का विचार है । ब्यौरा अभी तैयार किया जा रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार

†*८६३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण भारतीय चाय उद्योग ने यह प्रस्ताव किया है कि भारत को बाजारों में माल को भरमार से बेचने के लिये अन्य चाय-उत्पादक देशों के साथ एक अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार करना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सरकार की राय यह है कि और अधिक निर्यात के लिए, अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार को पुन: लागू करके उत्पादन कम करने की बजाय अधिकाधिक उत्पादन पर जोर दिया जाना चाहिये। अधिक निर्यात और अधिक घरेलू खपत के लिए बहुत ज्यादा गुंजाइश है और इस कारण उत्पादन कम करने की आवश्यकता नहीं है।

मध्य प्रदेश में औद्योगिक बस्तियां

†*८६४. **श्री हरिविष्णु कामत :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में मध्य प्रदेश में कितनी औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने का विचार है ;

(ख) अब तक कितनी बस्तियां स्थापित की गयीं हैं ; और

(ग) इन औद्योगिक बस्तियों में किस प्रकार के उद्योग स्थापित किय जायेंगे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) ३१ औद्योगिक बस्तियां और ५० वर्कशेड।

(ख) कोई नहीं।

(ग) चूंकि औद्योगिक बस्तियां/वर्कशेड कायम करने की तकनीकी योजनाएं अभी बनायी जा रही हैं इसलिए इस समय यह बताना संभव नहीं है कि किस प्रकार के या किस श्रणी के उद्योग इन बस्तियों में स्थापित किय जायेंगे।

पश्चिम पाकिस्तान से प्रव्रजन

†*८६५. **श्री ब्रजराज सिंह :**
श्री बड़े :
श्री कछवाय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम पाकिस्तान से भारत आने के इच्छुक कितने व्यक्तियों ने चालू वर्ष में अब तक प्रव्रजन प्रमाणपत्रों के लिये आवेदन-पत्र दिय हैं ; और

(ख) उनमें से कितनों को प्रव्रजन प्रमाणपत्र दिये गये हैं और कितने आवेदन-पत्र कराची में भारतीय उच्चायोग के कार्यालय में विचाराधीन हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह)**: (क) और (ख). १ जनवरी से ३१ अगस्त, १९६२ तक की अवधि में कराची स्थित हमारे उच्चायोग को ८०० व्यक्तियों के संबंध में प्रव्रजन प्रमाणपत्रों के लिए कुल ३४१ आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इनमें से ६२९ व्यक्तियों के संबंध में २७३ प्रव्रजन प्रमाणपत्र दिये जा चुक हैं और ५४ व्यक्तियों के लिए २१ प्रमाणपत्रों पर अभी औपचारिक कार्रवाई पूरी नहीं हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

लौह अयस्क, डोलोमाइट तथा चने के पत्थर की खानों के लिये मजूरी बोर्ड

†*८६६. **श्री काशी नाथ पांडे :**
श्री रा० शि० पाण्डेय :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार लौह अयस्क, डोलोमाइट तथा चूने के पत्थर की खानों के मजदूरों की विभिन्न श्रेणियों के लिए मंजरी निश्चित करने के संबंध में एक मजरी बोर्ड बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई प्रगति हुई है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** :(क) और (ख). इस विषय पर विचार किया जा रहा है ।

चीन-पाकिस्तान सीमा सम्बन्धी बातचीत

†*८६७. **श्री हेम बरुआ :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री बागडी :
श्री बड़े :
श्री ब्रजराज सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने चीन-पाकिस्तान द्वारा सिकियांग और पाक-अधिकृत कोश्मीर की सीमा का सीमांकन करने के विरोध में भारत द्वारा भेजे गये विरोधपत्र का उत्तर भेज दिया है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). पाकिस्तान सरकार का नोट और उस पर हमारा उत्तर यथासमय सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमि ड, कानपुर

†*८६८. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार तथा भारत का जीवन बीमा निगम ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लिमिटड, कानपुर के अंशधारी हैं;

---

†मूल अंग्रजी में

(ख) यदि हां, तो प्रत्यक के कितने-कितने अंश हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार का विचार ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन के प्रबंध का नियंत्रण किसी गैर सरकारी व्यक्ति को सौंप देने का है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय सरकार के पास, कम्पनी के खातों में दर्ज, पांच-पांच रुपये के ११,५४,७७३ सामान्य शेअर हैं । उसने अभी हाल में पांच-पांच रुपय के और ३,०६,९८३ सामान्य शयर लिये हैं और वे अभी कम्पनी के खातों में दर्ज नहीं हुए हैं ।

जीवन बीमा निगम के पास सौ सौ रुपय के १५,२८५ प्रिफरेन्स शेयर हैं और पांच पांच रुपये के १०,८१,००१ सामान्य शेयर हैं ।

(ग) जी नहीं सरकार का शेयर रखने का अधिकार किसी गैर-सरकारी व्यक्ति को देने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

काश्मीर में तोड़ फोड़ की कार्यवाही करने वाले पाकिस्तानी

†*८६९. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पूंछ क्षेत्र में तोड़ फोड़ की कार्यवाही में प्रशिक्षित पाकिस्तानी राष्ट्र जन युद्ध विराम रेखा को पार करके आ गये हैं और उन्होंने कई स्थानों पर विस्फोट करने आरम्भ कर दिये हैं और उस क्षेत्र में दो बिना फटे हुए बम जिन पर "मेड इन यू० एस० ए०" लिखा है मिले हैं और इस महीने के तीसरे सप्ताह में विस्फोटों के छः मामलों का समाचार मिला था ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : यह सभी जानते हैं कि पाकिस्तानी उपद्रवी लोग तोड़ फोड़ करने के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य में घुस आते हैं । १३ से १९ अगस्त के सप्ताह में तोड़ फोड़ की तीन घटनाओं का समाचार मिला था । इन में विस्फोट की एक घटना १९ अगस्त को जिला पूंछ (मेंढर) में हुई थी । दो विस्फोटक बम १७ अगस्त को हीरानगर क्षेत्र (जिला जम्मू) से बरामद किय गये थे ।

"मेडा इन यू० एस० ए०" वाला कोई बम बरामद नहीं हुआ है ।

हड़तालें तथा तालाबंदी

†*८७०. **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री नम्बियार :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या उन्होंने मजदूरों तथा मालिकों के केन्द्रीय संगठनों को अलग-अलग पत्र भेजे थे जिनमें यह सुझाव दिया गया था कि ऐसे संगठनों को हड़तालों अथवा तालाबन्दियों के बारे में पूर्व सूचना सम्बन्धित राज्य मंत्रियों को दे देनी चाहिए जिससे कोई निवारक कार्यवाही की जा सकें; और

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव पर क्या सामान्य प्रतिक्रिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, हां ।

(ख) इस सुझाव का केन्द्रीय कार्यकर्ताओं एवं मालिकों के सभी संघों द्वारा स्वागत किया गया है ।

विकास शाखा के लिए त्रिसदस्यीय तालिका

†*८७१. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विकास शाखा की दक्षता बढ़ाने की संभावनाओं की जांच के लिए एक त्रिसदस्यीय तालिका बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो इस तालिका का गठन करने की आवश्यकता किन कारणों से हुई; और

(ग) इसके मुख्य कृत्य किस प्रकार के होंगे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** :(क) से (ग). सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

प्राक्कलन समिति ने वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की विकास शाखा के बारे में १९६०–६१ में अपने १२३वें प्रतिवेदन में बताया था कि विकास शाखा ने "अब इतनी अधिक अवधि तक काम कर लिया है कि उसके कार्यवहन तथा क्षमता का विस्तृत पुनरीक्षण किया जाय तथा देश के औद्योगिक विकास पर उसके प्रभाव को जाना जा सके ।" सरकार ने सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और विकास शाखा के कार्यवहन का पुनरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों की एक समिति स्थापित की है :—

१. श्री एस० बूथालिंगम	सभापति
२. श्री एस० सी० श्रीवास्तव, सलाहकार, योजना आयोग	सदस्य
३. श्री एस० एस० कुमार, भूतपूर्व सभापति, केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग	सदस्य
४. श्री जी० रामनाथन, इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में लोहा तथा इस्पात विभाग में उप-सचिव	सचिव

समिति आयोजित औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में विकास शाखा के कार्यवहन की जांच करेगी और निम्न के सुधार के लिए सुझाव देगी :—

(१) उसका ढांचा तथा संगठन;

(२) उसके कार्यों की परिभाषा; और

(३) उसके कार्यवहन का तरीका ।

इसके साथ साथ यह समिति इस विकास शाखा के, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय तथा भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों और योजना आयोग की तुलना के कार्यों का स्तर पर भी विचार करेगी । और इस पर भी विचार करेगी कि सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों से इसका

†मूल अंग्रेजी में

क्या सम्बन्ध है तथा औद्योगिक आंकड़ों को इकट्ठा करने तथा उनका समन्वय करने में इसकी क्या जिम्मेदारी है ।

समिति अपना प्रतिवेदन तीन महीनों की अवधि में पेश कर देगी ।

समिति की स्थापना का सरकारी संकल्प, उसके गठन, निर्देश पद आदि का ब्यौरा दिनांक १८ अगस्त, १९६२ के भारत के गजट में (भाग १, अनुभाग १) में प्रकाशित हो चुका है ।

चीन-भारत सीमा विवाद

†*८७२. **श्री हेम बरुआ :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान १३ और १४ अगस्त, १९६२ को लोक-सभा में प्रधान मंत्री द्वारा भारत-चीन स्थिति के सम्बन्ध में दिये गये वक्तव्यों के सम्पादित संस्करण की ओर गया है जिसको सरकारी चीन समाचार एजन्सी 'सिन हुआ', द्वारा लन्दन में परिचालित किया गया था तथा जिसमें उनके वक्तव्य का गलत अर्थ लगाया गया था कि वह चीन से बातचीत न करके युद्ध का आह्वान है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** :(क) जी, हां । सरकार का ध्यान १३ और १४ अगस्त, १९६२ को सभा में प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में १८ अगस्त, १९६२ के हसिन्हुआ समाचार अभिकरण के समाचार की ओर दिलाया गया है ।

(ख) यह पहला अवसर नहीं है जब भारतीय संसद् में दिये गये वक्तव्यों का नई चाइना न्यूज एजेंसी ने बिना प्रसंग उल्लेख किया है । सब से प्रभावी खंडन यह होता है कि दिल्ली स्थित विदेशी समाचार पत्रों को प्रधान मंत्री के वक्तव्यों का पूर्व पाठ वितरित कर दिया जाय और विदेशों में उपयोग के लिये हमारे सभी मिशनों को भी भेज दिये जायें ।

पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश

†*८७३. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री बिशन चंद्र सेठ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में ही आसाम के मुख्य सचिव, मुख्य सचिवों के उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए ढाका गये थे जिसमें आसाम और त्रिपुरा में पाकिस्तानियों के अवैध प्रवेश तथा वहां से भारतीय मुसलमानों के कथित निर्वासन पर चर्चा हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उसमें इस समस्या से सम्बन्धित किन मामलों पर चर्चा हुई थी; और

(ग) बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी, हां। आसाम का मुख्य सचिव १ और २ अगस्त, १९६२ को ढाका में हुए मुख्य सचिवों के सम्मेलन में नहीं आया, जब पाकिस्तान से अवैध रूप से आये हुए लोगों को वापिस भेजने की समस्या का भी उल्लेख किया गया था।

(ख) और (ग). क्योंकि पाकिस्तान ने नई दिल्ली में अपने उच्च आयुक्त के द्वारा भारत सरकार के साथ यह मामला उठाया था, मुख्य सचिवों ने पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ केवल वास्तविक स्थिति की चर्चा की।

परमाणु परीक्षण

†*८७४. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न क्षेत्रों में परमाणु 'फाल आउट' का स्तर क्या है;

(ख) क्या किसी क्षेत्र में यह खतरे के स्तर तक भी पहुंच गया है; और

(ग) यदि हां, तो कहां ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दिनेश सिंह)** : (क) से (ग) तक. अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०१]**

शरणार्थियों के लिये वैकल्पिक स्थान

†२४६४. **श्री कपूर सिंह :**
श्री बूटा सिंह :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि दिल्ली में वैकल्पिक उपयुक्त स्थान के आवंटन के लिये बहुत से शरणार्थियों को दिये गये वचन १९४९ से पूरे नहीं किये गये हैं ;

(ख) क्या दिल्ली के गोदाम उन को नियमित दुकानों का आवंटन होने तक शर्त पर आवंटित किये गये थे;

(ग) क्या उनको दुकानें दिये बिना ही गोदामों के निकाल दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार दिल्ली में उन को कब तक वैकल्पिक उपयुक्त स्थान आवंटित करने का विचार करती है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** :(क) उन सभी विस्थापित व्यक्तियों को वैकल्पिक स्थान आवंटित किया गया था, जिन को वचन दिया गया था, और जिन्होंने उस के लिये प्रार्थना की है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ). सवाल पैदा नहीं होते ।

मकानों से निकाले गये शरणार्थियों के लिये निवास स्थान

†२४६५. **श्री बूटा सिंह :**
श्री कपूर सिंह :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि पुनर्वास नियमों १९५० और १९५५ के अन्तर्गत श्रेणी ३ और ६ के अन्दर आने वाले उन शरणार्थियों को, जिन्हें सम्पदा निदेशक, नई दिल्ली द्वारा मकानों से निकाल दिया गया था, अभी तक वैकल्पिक स्थान नहीं दिया गया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : इस विषय पर कोई नियम नहीं बनाये गये थे किन्तु २१ जून, १९५१ को एक प्रैस नोट जारी किया गया था, जिस में विस्थापित व्यक्तियों को स्थान देने के सम्बन्ध में अग्रतायें निर्धारित की गई थीं । श्रेणी ३ का संबंध सरकारी क्वार्टरों के अनधिकृत कब्जे किये हुए विस्थापित लोगों से है । उन के लिये मकान सम्पदा, अधिकारी को दे दिये गये थे और उन्हों ने इस श्रेणी में अधिकांश अर्ह विस्थापित व्यक्तियों को आवंटन किये । श्रेणी ६ का संबंध उन विस्थापित सरकारी कर्मचारियों से था जिन को सम्पदा अफसर द्वारा स्थान दिया गया था और जिन्हें छंटनी, इस्तीफे, दरखास्तगी, सेवानिवृत्ति या मृत्यु के कारण उन को खाली करना करना पड़ा था और जिन के पास रहने का कोई अन्य स्थान नहीं था उन विस्थापित व्यक्तियों को दिल्ली राज्य सकार द्वारा मार्च, १९५६ तक जब कि इस अग्रतम का आवंटन उन के २३ मार्च, १९५६ के प्रैस नोट के द्वारा बन्द कर दिया गया था, स्थान दे दिया गया था ।

निष्क्रांत सम्पत्तियों का आवंटन

†२४६६. **श्री कपूर सिंह :**
श्री बूटा सिंह :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५० से लेकर दिल्ली में, शरणार्थियों के लिये अभिप्रेत निष्क्रान्त एवं अन्य सम्पत्तियों के झूठे, दोहरे या अधिक आवंटन कितने गये थे, और कितने रद्द किये गये थे, और

(ख) क्या अभी कुछ और ऐसे आवंटनों को रद्द किया जाना है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) दिल्ली में, १९५० से ले कर किये गये झूठे, या दोहरे या अधिक आवंटनों तथा तत्पश्चात् रद्द किये गये आवंटनों का कोई पृथक अभिलेख नहीं रखा जाता और मांगी गई सूचना नहीं दी जा सकती ।

(ख) प्रत्येक मामले पर जब वह उठता है, उस के गुण दोषों के आधार पर फैसला किया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा राज्य को सहायता

†२४६७. **श्री उलाका :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजनावधि में उड़ीसा सरकार को, भूमिहीन कृषि कार्यकर्ताओं के लिये मकान बनाने के स्थान प्राप्त करने और गलियों तथा नालियों को सुधारने के लिये पंचायतों को सहायता देने के लिये कितनी राशि नियत की गई थी;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार की ओर से १९६१–६२ और १९६२–६३ के लिये यह सहायता देने का कोई प्रस्ताव आया है; और

(ग) यदि हां तो अब तक कितनी राशि दी गई है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) से (ग) तक. उड़ीसा ने किसी सहायता के लिये विशिष्ट रूप से प्रार्थना नहीं की, किन्तु अभी किये गये एक निर्णय के अनुसार सब राज्य सरकारें अब, भूमिहीन कृषि कार्यकर्ताओं को मकान बनाने के स्थान देने के लिये ग्राम्य आवास परियोजनायें योजना के अन्तर्गत आवंटन के उन के वार्षिक आवंटन की एक तिहाई राशि का उपयोग कर सकती है। गलियों और नालियों का सुधार भी इस वार्षिक नियतन से करना पड़ता है। इन सुधारों की वित्त व्यवस्था के ढांचे की घोषणा शीघ्र ही की जाने की आशा है।

ग्राम्य आवास योजनाओं के लिये राज्यों को धन दिया जाना

†२४६८. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १ मई, १९५२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६२–६३ के लिय ग्राम्य आवास योजनाओं के लिये विभिन्न राज्य सरकारों को कितना धन दिया गया था ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना):** एक विवरण संलग्न है जिस में ग्राम्य आवास परियोजनाओं योजना के लिये वर्ष १९६२–६३ के लिये राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को किये गये धन का नियतन दिया गया है। **(देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०२)**

उड़ीसा में श्रम कल्याण केन्द्र

†२४७०. **श्री उलाका :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उड़ीसा में कितने श्रम कल्याण केन्द्र हैं;

(ख) वे किन स्थानों पर हैं; और

(ग) यदि उन को सरकार द्वारा अनुदान दिया गया है तो प्रत्येक को कितना ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी):** (क) से (ग) तक. चूंकि इस मामले का संबंध राज्य सरकार से है, अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है।

उड़ीसा के लिये वार्षिक आवंटन

†२४७१. **श्री उलाका :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९६०–६१ और १९६१–६२ में उड़ीसा की योजनाओं के लियें कितना वार्षिक आवंटन किया गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उपरोक्त प्रत्येक वर्ष में कितनी कितनी २ राशि खर्च की गई ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** :(क) और (ख). १९६०–६१ में २१.४७ करोड़ रुपये के अनुमानित योजना परिव्यय के मुकाबले में, वास्तविक व्यय १९.६६ करोड़ रुपये बताया जाता है। १९६१–६२ के लिये योजना परिव्यय का २४.७५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वास्तविक व्यय के आंकड़ों की सूचना अभी राज्य सरकार द्वारा नहीं दी गई।

उड़ीसा में तेल की घानियां

†२४७२. **श्री उलाका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी तथा ग्राम्य उद्योग आयोग के अधीन उड़ीसा के विविध जिलों में (यदि संभव हो तो नामों और स्थानों के ब्यौरे समेत) इस समय कुल कितने तेल की व्यवस्था की गई है ; और

(ख) तेल की घानियां खोलने के लिये ग्रामीणों को क्या सुविधायें प्रदान की गई हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** :(क) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

(ख) सहायक दर पर बहतर किस्म की घानियों के संभरण के लिये निम्न कार्यों के लिये ऋणों और अनुदानों के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है :

(१) घानी निर्माण कारखानों की स्थापना,

(२) वर्कशैडों का निर्माण,

(३) तेल का विपणन

(४) वर्तमान परम्परागत घानियों को बेहतर किस्मों की घानियों में परिवर्तित करना।

(५) तेल के बीजों का क्रय एवं भण्डारण

(६) मिस्त्रियों की सहकारी संस्थाओं का निर्माण,

(७) तेलियों, मिस्त्रियों और निरीक्षकों का प्रशिक्षण,

(८) संस्थापन व्यय पूरे करना।

उड़ीसा में बिजली के करघे

†२४७३. **श्री उलाका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीसरी योजना अवधि में उड़ीसा में बिजली के करघे आरम्भ करने के लिये कोई लाइसेंस दिये हैं या देने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में शिक्षित बेरोजगार लोग

†२३७४. **श्री उलाका** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५० से १९६१ तक की अवधि में वर्षवार कितने शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति उड़ीसा में थे ;

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने लोग हैं ;

(ग) कितने शिक्षित लोगों को तीसरी योजना में उड़ीसा में रोजगार मिलेगा ; और

(घ) तीसरी योजना अवधि की समाप्ति तक उड़ीसा में शिक्षित बेकारों की अपेक्षित संख्या कितनी होगी ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख) सही अनुमान उपलब्ध नहीं है। तथापि शिक्षित लोगों की संख्या (मैट्रिक और ऊपर वाले) उड़ीसा के रोजगार दफ्तरों के प्रचलित रजिस्टर में तथा उनमें से, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष के अन्त में	प्रचलित रजिस्टर में शिक्षित लोगों की संख्या	स्तम्भ (२) में सम्मिलित लोगों की संख्या	
		अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां
१	२	३	४
१९५७	२५८१	४१	३०
१९५८	३९३५	५४	३९
१९५९	४२९०	३५	२२
१९६०	५९९६	१९१	१४७
१९६१	८६६४	१४९	१०४

(ग) और (घ). उपलब्ध नहीं हैं ।

आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिये रेडियो

†२४७५. **श्री उलाका** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ में केन्द्रीय सरकार की सामुदायिक श्रवणन योजना के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश के ग्राम्य क्षेत्रों में कितने रेडियो सेट दिये गये हैं ; और

(ख) क्या सरकार को पता है कि इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से दिये गये बहुतेरे रेडियो खराब हुए पड़े हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : (क) इस योजना के अन्तर्गत १०७० सामुदायिक श्रवणन रेडियो सैट आन्ध्र प्रदेश सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में लगाने के लिये १९६१–६२ में दिये गये थे ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सामुदायिक रेडियो का वितरण एवं मरम्मत आदि राज्य सरकारों के उत्तरदायित्व का विषय है ।

राज्य सरकार से ३१–३–६१ को समाप्त होने वाले तीन महीनों की रिपोर्ट के अनुसार लगाये गये ६५५६ रेडियो में से, इन त्रैमासों के अन्त में २१२ सैट खराब पड़े थे ।

आंध्र प्रदेश में दस्तकारी उद्योग

†२४७६. **श्री उलाका :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को १९६१–६२ और १९६२–६३ में दस्तकारी उद्योगों को सहायता देने के लिये आन्ध्र प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव मिला है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) से (ग) तक. वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार राज्य सरकारों को दस्तकारी समेत विविध उद्योगों के विकास के लिये, प्रत्येक वर्ष के लिये उनके द्वारा पेश की गई वार्षिक योजनाओं के आधार पर किया जाता है । उनको निर्धारित आवंटनों के अन्दर, राज्य सरकार द्वारा किये गये वास्तविक व्यय के आधार पर वर्ष के अन्त में वित्तीय सहायता मंजूर की जाती है । तदनुसार ८ लाख रुपये की राशि आन्ध्र प्रदेश सरकार को १९६१–६२ में दस्तकारियों के लिये आवंटित की गई थी । उनके द्वारा किये गये वास्तविक व्यय के आधार पर उस वर्ष के लिये केन्द्रीय सहायता के तौर पर ०.९५ लाख रुपये का अनुदान तथा १.२६ लाख रुपये का ऋण मंजूर किया गया था ।

इसी प्रकार ५.७० लाख रुपये की राशि १९६२–६३ में दस्तकारियों के विकास के लिये आन्ध्र प्रदेश सरकार को आवंटित की गई थी । उनको वास्तविक व्यय के आधार पर यथा समय वित्तीय सहायता मंजूर की जाएगी ।

आंध्र प्रदेश में अम्बर चर्खा प्रशिक्षण कोर्स

†२४७७. **श्री उलाका :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में दूसरी योजना अवधि में कितने अम्बर चर्खा प्रशिक्षण कोर्स आयोजित किये गये ;

(ख) उनमें कितने शिक्षणार्थियों ने भाग लिया ; और

(ग) इस अवधि में कितना व्यय किया गया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) दूसरी योजना अवधि में आन्ध्र प्रदेश में आयोजित अम्बर चरखा प्रशिक्षण कोर्सों की संख्या सम्बन्धी सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) ५८५७९ ।

(ग) ६५.८८ लाख रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आंध्र प्रदेश में रेशम के कीड़े पाने का उद्योग

†२४७८. **श्री उलाका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६१–६२ में रेशम के कीड़े पालने के उद्योग के विकास के लिये आन्ध्र प्रदेश सरकार को केन्द्रीय सरकार की ओर से कोई वित्तीय सहायता दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) १९६२–६३ में कितनी राशि देने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां ।

(ख) १ लाख रुपये का ऋण और ७५००० रुपये का अनुदान ।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने १९६२–६३ में आन्ध्र प्रदेश में रेशम के कीड़े पालने के उद्योग के विकास के लिये २.७० लाख रुपये का कुल परिव्यय अनुमोदित किया है । राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार की सहायता की मात्रा, उनके द्वारा किये गये वास्तविक व्यय के आधार पर निर्धारित की जाएगी और अन्तिम रूप से देय राशि की मंजूरी मार्च १९६३ में जारी की जाएगी ।

आंध्र प्रदेश में नवीन उद्योग

†२४७९. **श्री उलाका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना अवधि में आन्ध्र प्रदेश में कौन कौन से बड़े नवीन उद्योगों की स्थापना की सम्भावना है ; और

(ख) उनका ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख)

१. **सरकारी-क्षेत्र**––

परियोजना	स्थान	अनुमानित लागत
१. संश्लेषात्मक औषध परियोजना	सरनतनगर	१० करोड़ रुपये
२. भारी बिजली सामान परियोजना	रामचन्द्रपुरम	३५ करोड़ रुपये

२. **सरकारी-क्षेत्र**---कोई सही सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि गैर सरकारी क्षेत्र में उद्योगों का विकास गैर-सरकारी उपक्रमकर्ताओं की प्रेरणा पर मुख्यत: निर्भर करती है ।

अन्तरिक्ष की खोज

†२४८०. **श्री प्र० के० देव :**
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाह्य अन्तरिक्ष की खोज से उत्पन्न हुए विभिन्न प्रश्नों के बारे में जेनेवा में होने वाली बैठकों में भारत ने भाग लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** :

(क) तथा (ख) बाह्य अन्तरिक्ष के शान्तिपूर्ण उद्योगों सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रीय समिति

†मूल अंग्रेजी में

के सदस्य के नाते भारत ने (१) वैज्ञानिक और प्रविधिक उपसमिति (२) विधिक उपसमिति की बैठकों में भाग लिया था। ये बैठकें जेनेवा में मई और जून, १९६२ में हुई थीं।

इन दोनों उपसमितियों ने अपने प्रतिवेदन मुख्य समिति को दे दिये हैं, जो इन प्रतिवेदनों पर १० सितम्बर को विचार करेगी। इसके पश्चात् मुख्य समिति संयुक्त राष्ट्र की साधारण समिति को अपना प्रतिवेदन देगी। वैज्ञानिक और प्रविधिक उपसमिति ने बहुत सी परियोजनाओं के बारे में सिफारिश की है जिनका उद्देश्य बाह्य अन्तरिक्ष के शान्तिपूर्ण प्रयोगों के विकास के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की मांग की है। विधिक उपसमिति ने बाह्य अन्तरिक्ष के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय विधियों के गहन अध्ययन और उनके विकास के बारे में विभिन्न प्रकार के विचार प्रकट किये हैं।

दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों द्वारा उद्योगों की स्थापना

†२४८१. **डा० पू० ना० खां :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री बसुमतारी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चार व्यक्तियों के शिष्टमंडल के सभापति (श्री ठक्कर) जो कि निर्यात और व्यापार की संभावनाओं का पता करने के लिए दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में गये थे, के कथनानुसार दक्षिण पूर्वी एशियाई देश उद्योग स्थापित करने या भारतीय कम्पनियों के साथ सहयोग करने के लिए बहुत उत्सुक हैं ;

(ख) यदि हां, कौन से देश भारत में उद्योग स्थापित करने या सहयोग के लिए उत्सुक हैं ; और

(ग) कौन से उद्योग स्थापित करने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) जी हां। रसायन तथा सम्बन्धित उत्पाद निर्यात सम्वर्द्धन परिषद् द्वारा भेजे गये प्रतिनिधिमंडल ने अपने संक्षिप्त प्रतिवेदन में लिखा है कि जितने देशों की उन्होंने यात्रा की वे सभी देश भारत में नये कारखानों की स्थापना करने के सम्बन्ध में किसी प्रकार की संयुक्त सहकारिता की व्यवस्था करने के लिये काफी उत्सुक थे।

(ख) प्रतिनिधिमंडल ने बर्मा, थाइलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया तथा मलाया संघ की यात्रा की। उन सभी देशों में इस बात के लिये काफी दिलचस्पी थी।

(ग) किसी विशेष मद का उल्लेख नहीं किया गया। यह स्पष्ट है कि सहयोग उन वस्तुओं के निर्माण के सम्बन्ध में था जिनसे प्रतिनिधिमंडल सम्बन्धित था यथा रसायन, औषधियां तथा सम्बन्धित उत्पाद।

परादीप कच्चा लोहा निर्यात योजना

†२४८२. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री संघ उद्योग मंत्री के इस वक्तव्य के कि केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा सरकार की परादीप कच्चा लोहा निर्यात योजना

†भूल अंग्रेजी में

को पूर्णतया सिद्धान्त रूप में मान लिया है सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि योजना किस प्रकार की है और क्या सिद्धान्तों की व्याख्या के लिये कोई व्यवस्था की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : सारी योजना अभी तैयार की जा रही है, परन्तु सरकार परदी पत्तन द्वारा कच्चे लोहे का अधिकतम निर्यात चाहती है ।

फसल उठाने के सम्बन्ध में भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता

†२४८३. **श्री राम रतन गुप्त :**
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच अन्तर-अधिराज्य समझौते के अन्तर्गत पाकिस्तानी राष्ट्रजनों को भारत में अपनी भूमि पर उगाई फसलें उठाने की इजाज़त दे दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, इस रियायत के क्या कारण हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हां ; अप्रैल, १९४० में हुए अन्तर-अधिराज्चीय सम्मेलन के लिये नियुक्त की गई अधिकारी समिति के कार्यवाही सारांश के खण्ड (२) (ङ) के पैरा ३ में यह उल्लिखित है कि यदि एक किसान किसी एक अधिराज्य के सीमान्त ग्राम में रहता है और दूसरे अधिराज्य के सीमान्त ग्राम में भी उस की भूमि हो तो उसे फसल कटने के कुछ दिनों पश्चात की निश्चित अवधि में सीमान्त पार अपने घर तक अपने द्वारा उत्पन्न की गई उपयुक्त मात्रा घरेलू उपयोग के लिये कम से कम प्रतिबन्धों तथा कानूनी रुकावटों के अधीन ले जाने की अनुमति दी जाए ।

(ख) यह रियायत भारत और पाकिस्तान ने सीमा के दोनों ओर के किसानों की सुविधा के लिये पारस्पर्य के आधार पर आपस में मान ली थी ।

औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत कलकत्ता में बनाये गये मकान

†२४८४. **डा० रानेन सेन :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० सारादीश राय :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता क्षेत्र में औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत बनाये गये मकानों के निर्धारित किराये क्या हैं ;

(ख) औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत बनाये गये एक कमरे और दो कमरे वाले मकानों के लिये कितना किराया लिया जाता है; और

(ग) किरायेदारों के लिये कारखानों को जाने के लिये सम्बन्धित सरकार द्वारा परिवहन का क्या प्रबन्ध किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी वाला एक विवरण संलग्न है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०३**]

(ग) मकान सामन्यतया औद्योगिक मज़दूरों के काम के स्थान से दो मील के घेरे के अन्दर हैं । प्रत्येक स्थान में आम सड़क और रेलवे संचार उपलब्ध हैं ।

मिकिर पहाड़ियों के शरणार्थी

†२४८५. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिकिर पहाड़ियों से विस्थापित किये गये शरणार्थियों को वैकल्पिक भूमि दे दी गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि इन भूमियों में से कुछ अब मुसलमानों के पास है; और

(ग) उन को इजाजत क्यों दी गई है जब कि शरणार्थियों को, इस लिये कि यह आदिम जाति भूमि है, वहां से ज़बरदस्ती हटाया गया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) से (ग) आसाम सरकार से जानकारी मांगी गई है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

चैबासा सीमेंट वर्क्स

†२४८६. **श्री ह० च० सौय :**
श्री मरंडी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि झिनकपानी में नैबासा सीमेंट वर्क्स के खान मजदूरों को ठेके के श्रमिक समझा जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो सीमेंट वर्क्स के खान मज़दूरों को स्थायी समझने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी ।

भारत-नेपाल सीमान्त आक्रमण

†२४८७. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **प्रधान मंत्री** ६ अगस्त, १९६२ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या २ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल के विदेशी कार्यालय ने उन के इस वक्तव्य का विरोध करने वाला वक्तव्य जारी किया है जिस में कहा था कि भारत से नेपाल में कोई अतिक्रमण भी हुआ था ; और

†मूल अंग्रजी में

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख) नेपाल के विदेशी कार्यालय द्वारा दिये गये तथाकथित वक्तव्य की लिपि भारत सरकार को अभी नहीं मिली है। नेपाल के कुछ समाचार पत्रों ने ६ अगस्त को लोक-सभा में दिये गये प्रधान मंत्री के वक्तव्य की आलोचना की थी। समाचार पत्रों ने कहा कि जांच समिति में नेपाल के प्रतिनिधि का भारत के प्रतिनिधि से मतभेद ही नहीं था, परन्तु उस ने भारत के प्रतिनिधि की जांच का कड़ा विरोध किया था। नेपाल सरकार ने २६ अगस्त को एक वक्तव्य जारी किया था जिस का तात्पर्य २२ अगस्त को लोक-सभा में झरोखट घटना के सम्बन्ध में मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य का विरोध करने का था।

विनय नगर, नई दिल्ली में दुकानों का किराया

†२४८८. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विनय नगर जैसी कुछ सरकारी बस्तियों में मकानों के मालिकों से मांगे जा रहे किराये में कुछ अन्तर है ;

(ख) यदि हां, उसके क्या कारण है ; और

(ग) यदि नहीं, तो अब तक जो ४५ रु० लिया जाता था उसे बढ़ा कर ७६ रुपये प्रति मास नियमित कर दिया गया है जब कि उन में से कुछ मालिक ऐसे भी हैं जो अब तक पुराने किराये की दर अर्थात् ४५ रुपये के हिसाब से ही भुगतान कर रहे हैं।

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) से (ग) विनय नगर मार्किट में दुकानें उन दिनों तत्कालीन पुनर्वास मंत्रालय द्वारा किराये में कुछ छूट दे कर दी गई थी। दिसम्बर, १९६१ में सरकार ने मूल नियमों के नियम ४५ (ख) में निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार इन दुकानों का किराया निर्धारित करने का निश्चय किया है। अब यह किराया प्रति-दुकान ७५ रु० से ७६ रु० तक बनता है। पुनर्वास मंत्रालय ने यह किराया ४५ रु० प्रति दुकान तय किया था। वर्तमान मालिकों की कठिनाई को दूर करने के विचार से सरकार ने यह तय किया है कि जिन लोगों का किराया १ अप्रैल, १९५८ से पहले निर्धारित कर दिया गया था वे अब भी ४५ रु० प्रति मास अर्थात् घटी हुई दर पर दे सकते हैं लेकिन नये मालिकों या जिनका किराया १ अप्रैल, १९५८ के बाद तय हुआ है उन्हें ७५ से ७६ रु० प्रति मास देना होगा।

आचार्य विनोबा भावे की पूर्वी पाकिस्तान की यात्रा

†२४८९. **श्री पु० र० चक्रवर्ती** :
श्री विशनचन्द्र सेठ :
श्रीमती जमुना देवी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूदान आन्दोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने, आसाम से पश्चिम बंगाल को लौटते समय सितम्बर, १९६२ में २ माह पूर्वी पाकिस्तान में व्यतीत करने का निश्चय किया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या सरकार का ध्यान, कराची के मुख्य पत्र "डान" के सम्पादकीय की ओर आकर्षित हुआ है जिसमें पाकिस्तान सरकार से यह कहा गया है कि उन्हें यात्रा सुविधायें प्रदान न करे ; और

(ग) यदि हां, तो इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) आचार्य विनोबा भावे आसाम से पश्चिम बंगाल लौटते समय पूर्वी पाकिस्तान हो कर लौटेंगे जहां उन्हें दो सप्ताह लगेंगे ;

(ख) और (ग) जी हां। सरकार ने वह सम्पादकीय पढ़ा है और वह उसे अनुचित और अन्यायपूर्ण समझती है।

केरल में सरकार के उद्योग

†२४९०. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उद्योग विकास निगम द्वारा केरल सरकार को दिये गये प्रतिवेदन में राज्य के सरकारी उद्योगों के पुनर्गठन के संबंध में की गयी सिफारिशों की ओर आकर्षित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उन प्रस्तावों में विशेष बातें क्या हैं ;

(ग) क्या केरल सरकार ने इस संबंध में केन्द्रीय सरकार से सलाह ली है ; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख) केरल सरकार से यह ज्ञात हुआ है कि सरकार ने केरल के १० औद्योगिक कारखानों के काम की जांच केरल राज्य उद्योग विकास निगम के निदेशक बोर्ड की एक समिति द्वारा करवाई। उस समिति ने राज्य सरकार को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है।

प्रतिवेदन की मुख्य विभाग ३ हैं। (१) औद्योगिक उपद्रवों के काम के संबंध में विचार और मत (२) परिणाम (३) सिफारिशें। समिति की सिफारिशें उन कारखानों के सुसंचालन और पुनर्गठन के बारे में हैं। राज्य सरकार प्रतिवेदन पर विचार कर रही है तथा अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में जल संभरण

†२४९१. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामकृष्णपुरम के ऊपर की मंजिलों में रहने वाले लोगों को पानी खुलने की निश्चित अवधि में भी पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उपयुक्त मात्रा में जल संभरण प्राप्त करने के लिय क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**निर्माण आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) और (ख) बिजली की खराबी के कारण पम्प चलने के घंटों में कमी हो जाने से ऊपरी मंजिल के रहने वालों को कुछ समय के लिय पानी नहीं मिल सका।

निष्क्रांत सम्पत्ति प्रबंध अधिनियम, १९५० के अधीन मामले

†२४९२. **श्री कपूर सिंह :**
श्री प्र० कु० घोष :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निष्क्रांत सम्पत्ति के महाभिरक्षक ने कुछ समय पूर्व यह निश्चय किया था कि वे भूतपूर्व अभिरक्षक के उन मामलों का पुनरीक्षण करेंगे जिनमें उनको निष्क्रांत अथवा अनिष्क्रांत सम्पत्ति से निकाला गया है उनको उपयुक्त स्थान दिये जाने के सम्बन्ध में विचार करेंगे ;

(ख) यदि हां, तो सामान्य खंड अधिनियम १९०७ और निष्क्रांत सम्पत्ति अधिनियम १९५० के संशोधन के अधीन कितने मामलों का निपटारा किया गया है ; और

(ग) कितने मामले अभी निलम्बित हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) महा अभिरक्षक के द्वारा ऐसे कोई सामान्य आदेश नहीं दिये गये न ऐसे मामलों के पुनरीक्षण करने का ही निश्चय किया गया। प्रत्येक मामले पर उसके गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जायेगा।

(ख) और (ग) धारावार पृथक आंकड़े नहीं रखे गये हैं अतः जानकारी दे सकना संभव नहीं है।

निष्क्रांत सम्पत्ति प्रबन्ध अधिनियम, १९५०

†२४९३. **श्री कपूर सिंह :**
श्री बूटा सिंह :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) वे दृष्टांत तथ्य या मामले कौन कौन हैं जिनमें निष्क्रांत सम्पत्ति प्रबन्ध अधिनियम, १९५० के नियम संख्या १४ के अधीन निर्णय अथवा कार्यवाही करने का विचार किया गया है ;

(ख) क्या निश्चयों पर अमल किया गया है या वे अभी निलम्बित पड़े हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन निर्णयों पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) से (ग) इन सारे आंकड़ों को एकत्र करने में बहुत श्रम तथा समय लगेगा जो उससे प्राप्त नतीजे के अनुपात

†मूल अंग्रेजी में

में नहीं होगा। यदि विशेष मामलों को लिया जाय तो आवश्यक जानकारी उपलब्ध की जा सकती है।

आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से पंजाबी कार्यक्रमों का प्रसारण

†२४९४. **श्री वी० चं० शर्मा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से प्रसारित होने वाले पंजाबी कार्यक्रमों को सुधारने के संबंध में सुझाव और शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन्हें सुधारने के लिय क्या कदम उठाय गये हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) :** (क) जी हां।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रेमिंगटन टाइपराइटर

†२४९५. **श्री बिशनचन्द्र सेठ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में निर्मित रेमिंगटन टाइपराइटर सरकार को कम्पनियों और सामान्य जनता के मुकाबले ४०% कम कीमत में बेचे जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) जी हां।

(ख) सरकार इस फर्म से सबसे अधिक टायपराइटर खरीदती है, तथा सरकार ने उनसे नियमित मरम्मत का ठेका किया हुआ है, अतः मैसर्स रेमिंगटन रेंड भारत सरकार से अन्य फर्मों के मुकाबले कम कीमत लेती है। अभी हाल मैसर्स रेमिंगटन ने जनता से ली जाने वाली कीमतों में १०% की कटौती की है।

कैलाश और मानसरोवर के लिए भारतीय यात्री

२४९६. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन के साथ तिब्बत संबंधी समझौता समाप्त हो जाने के बावजूद भी कुछ भारतीय तीर्थयात्रियों ने कैलाश व मानसरोवर की यात्रा की है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस वर्ष कुल कितने तीर्थयात्री वहां गए हैं और किन किन दर्रों से कितनी कितनी संख्या में वहां गए हैं ;

(ग) उनमें से कितने अब तक सकुशल भारत लौट आए हैं ; और

(घ) उन तीर्थयात्रियों को क्या सहायता व सुविधायें दी गई हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) ऐसी सूचना नहीं है कि भारत और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच १९५४ के व्यापार और व्यवहार संबंधी करार के समाप्त होने के बाद किसी भारतीय तीर्थयात्री ने कैलाश या मानसरोवर की यात्रा की हो।

(ख), (ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

नायलान का उपयोग करने वाले छोटे कारखाने

†२४९७. **श्री कजरोलकर** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नायलान के धागे की कमी से बम्बई नगर के कई छोट कारखानों को जो नायलान का इस्तेमाल करते थे बन्द होने का खतरा तैदा हो गया है ;

(ख) क्या कपड़ा आयुक्त द्वारा कपड़े की जो दरें निश्चित की गयी हैं उनसे छोठे कारखानों को कठिनाई हुई है ; और

(ग) यदि हां, मोजे बनियान बनाने वाले कारखानों को सहायता देने के लिये कीमतों के वैज्ञानिकन के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) सरकार को ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) कपड़ा आयुक्त ने नायलोन की कीमतें निश्चित नहीं की हैं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के द्वारा ज्ञापन

†२४९८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योग व्यापार संघ ने अभी हाल प्रधान मंत्री को जो एक ज्ञापन भेजा है जिसमें उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था के गम्भीर खतरे की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया है।

(ख) यदि हां, तो इस ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या निश्चय किया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी नहीं। भारतीय उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष ने प्रधान मंत्री को २० जुलाई १९६२ को एक पत्र भेजा है जिसमें उनका ध्यान देश की महत्वपूर्ण आर्थिक समस्यायों की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) इस पत्र में निम्नलिखित मुख्य बातें कहीं गयी हैं :—

(१) परिवहन की कठिनाई

†मूल अंग्रेजी में

(२) कोयले के उत्पादन और परिवहन की कठिनाइयां

(३) विद्युत की कमी

(४) विदेशी मुद्रा की कमी से उत्पन्न होने वाली कठिनाई तथा आयात पर नियंत्रण करने की आवश्यकता

(ग) सरकार इन समस्याओं पर गौर कर रही है तथा यथावश्यक उपचार किये जा रहे हैं।

पिछड़े क्षेत्रों का विकास

†२०९९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने केन्द्र द्वारा आरम्भ की गयी योजनाओं के अधीन पिछड़े क्षेत्रों के विकाश के लिये २६४ करोड़ रुपये मंजूर किये हैं ;

(ख) यदि हां, इनमें से कितनी योजनायें पूर्वोत्तर क्षेत्र के पिछड़े क्षेत्रों के विकास से सम्बन्ध रखती हैं; और

(ग) इन योजनाओं के अधीन कितनी राशि दी गई है ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) कुछ योजनायें यथा ग्रामीण निर्माण कार्य, ग्रामीण औद्यागीकरण, स्थानीय विकास (ग्रामीण जल संभरण) तथा आदिम क्षेत्र विकास खंड के कारण राज्य सरकारों को कुछ अधिक राशि उपलब्ध हो सकेगी। इससे पिछड़े क्षेत्रों का शीघ्रता से विकास हो सकेगा।

(ख) और (ग) बिल्कुल सही जानकारी देना संभव नहीं है।

बिहार में यूरेनियम की खान

†२५००. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में जादूगुडा के निकट यूरेनियम की खान का विकास किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें अभी तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यह खान कब तक खनिज निकालने के लिये उपयुक्त हो जायेगी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री और अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) यह खान प्रथम तल से ४०० फुट नीचे तक खोदी जा चुकी है।

(ग) खान में से अब यूरेनियम निकाला जा रहा है और १९६५ के अन्त तक पूरे उत्पादन की आशा है।

"पर्सपेक्टिव प्लानिंग डिवीजन"

†२५०१. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग के पर्सपेक्टिव प्लानिंग डिवीज़न की यह राय है कि योजना के आगामी वर्षों में आय सम्बन्धी असमानताएं और बढ़ जायेंगी ;

---

† मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या पर्सपेक्टिव प्लानिंग डिवीजन के मतानुसार पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर भी जनसंख्या का कम से कम पांचवें भाग का जीवन नितांत दरिद्रता का होगा ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा) :** (ग) नहीं श्रीमान। पर्सपेक्टिव प्लानिंग डिवीजन ने देश के दीर्घकालीन विकास सम्बन्धी अध्ययन आरम्भ किया है किन्तु यह अध्ययन सर्वथा प्रारम्भिक दौर में हैं और योजना आयोग के विचार के लिये कोई निश्चित दस्तावेज़ तैयार नहीं किया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नई दिल्ली स्थित उत्तर कोरिया का व्यापार मिशन

†२५०२. **श्री मोहन नायक :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित उत्तर कोरिया के व्यापार मिशन ने २५ जून, १९६२ को नई दिल्ली में मनाये गये उत्तर कोरिया दिवस को राजनैतिक प्रकार की पत्रिकाएं बांटी हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या व्यापार मिशन इस प्रकार का राजनैतिक साहित्य बांट सकता है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार इस मिशन के विरुद्ध क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** उत्तर कोरिया के व्यापार मिशन ने, जिसे वाणिज्य मंडल का स्तर दे दिया गया है, कोरिया के जनवादी गणतंत्र और भारत के बीच वाणिज्य सम्बन्धों की स्थापना पर जून, १९६२ में राजनैतिक पत्रिका का वितरण किया था ।

(ख) वाणिज्य मंडल राजनैतिक साहित्य का वितरण कर सकता है यदि उसमें उसकी सरकार के सदस्य द्वारा दिये गये वक्तव्य हों ।

(ग) भारत में विदेशी मिशनों द्वारा राजनैतिक साहित्य केवितरण के बारे में हमने जो प्रथा अपनायी है उसके बारे में हम ने उत्तर कोरिया वाणिज्य मंडल को सूचित कर दिया है ।

देशी भाषाओं के समाचारपत्रों में सरकारी विज्ञापन

†२५०३. **श्री बूटा सिंह :**
श्री गुलशन सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब और दिल्ली में ऐसे कितने देशी भाषाओं के समाचार पत्र हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकार विज्ञापन दे रही है और कब से;

(ख) क्या भाग (क) में उल्लिखित समाचारपत्रों को ये विज्ञापन अंग्रेजी में प्रकाशित करने की अनुमति है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या इस पद्धति को बदल कर देशी भाषाओं के समाचारपत्रों में उनकी भाषा में विज्ञापन प्रकाशित करने का क्या कोई प्रस्ताव है और यदि हां तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) :**

(क)	दैनिक	साप्ताहिक
पंजाब	१४	८
दिल्ली	७	२४

(ख) भारतीय भाषाओं के पत्रों में उनकी भाषाओं में विज्ञापन दिये जाते हैं। संघ लोक सेवा आयोग व विज्ञापन आयोग की इच्छा पर अंग्रेजी में प्रकाशित किये जाते हैं ताकि पाठ में गल्ती न हो अतः वे अपवाद है।

(ग) अभी नहीं ।

टायरों का उत्पादन और निर्यात

†२५०४. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ के बाद से प्रत्येक वर्ष में देश में टायरों का वार्षिक उत्पादन कितना हुआ है ;

(ख) प्रत्येक वर्ष में टायरों का कितना निर्यात किया गया ;

(ग) क्या टायरों का निर्यात बढ़ाने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो योजना की रूपरेखा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) तथा (ख)

	उत्पादन (संख्या)	निर्यात (हजारों में संख्या)	हजारों में रुपया
१९५८ .	९,३४१,०९४	१४	९००२
१९५९ . .	१०,७३१,९३१	११८	११९१
१९६० . .	१२,२९६,०३६	४९९	१९३५
१९६१ . .	१३,०३६,७९४	५५४	१७९१
१९६२ . .	६,७३६,८४० (जनवरी—जून)	२६५ (जनवरी—मई)	११७६

(ग) तथा (घ) रबड़ के टायर केमिकल्स एंड एलाइड प्राडक्ट्स के लिये निर्यात संवर्धन योजना के अन्तर्गत शामिल किये गये हैं और कच्चे सामान जैसे कि कार्बन ब्लेक, गंधक, रबड़, रसायन पिगमेंटस, नाइलन टायर कार्ड आदि तथा मशीनों के स्थानापन्न करने के लिये आयात

†मूल अंग्रेजी में

आइसेंस रबड़ टायरों के निर्यात के बदले दिये जाते हैं। रबड़ टायरों के निर्माण में प्रयुक्त सामान पर प्रदत्त आयात और उत्पादन शुल्कों पर प्रत्याहृत की भी अनुमति दी जाती है।

उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों का विकास

२५०५. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **योजना** मंत्री २ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ वर्षों से उत्तर प्रदेश के पिछड़े हुये क्षेत्रों के विकास के लिये जो विशेष योजना चल रही है क्या उससे सम्बन्धित सब सूचनायें एकत्र हो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके बारे में एक विस्तृत विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) उन पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये सन् १९६२–६३ व आगे के लिये किस प्रकार की योजनायें स्वीकृत की गई हैं ?

योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के आधार पर तैयार किया गया विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ४४६।६२]**

(ग) राज्य सरकार से अभी सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

दिल्ली में विस्थापित व्यक्ति

†२५०६. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में १५ अगस्त से पूर्व जिन विस्थापित व्यक्तियों ने भूमि पर अनधिकृत कब्जा किया हुआ था उन्हें श्री गाडगिल द्वारा दिये गये आश्वासन को कार्यान्वित करने के लिए क्या भूतपूर्व निर्माण, आवास और संभरण मंत्री श्री अनिल के० चन्दा के सभापतित्व में एक समिति नियुक्त की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उस समिति के सदस्य कौन थे ;

(ग) समिति का प्रतिवेदन क्या है ; और

(घ) क्या प्रतिवेदन की प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :** (क) हां श्रीमान।

(ख)

१.	श्री अनिल के० चन्दा	सभापति
२.	श्रीमती सुचेता कृपालानी (संसद् सदस्य)	सदस्य
३.	श्री ठाकुर दास भार्गव (,)	,,
४.	श्री जसपत राय कपूर (,,)	,,
५.	श्री ए० डी० पंडित—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के संयुक्त सचिव	,,

†मूल अंग्रेजी में

६. श्री बी० एस० सहगल––इंजीनियर, दिल्ली विकास प्रशासन	सदस्य ,,
७. श्री आर० भारद्वाज––डिप्टी कमिश्नर, दिल्ली नगर निगम	,,
८. श्री ए० शंकरन––इंजीनियर अधिकारी (भूमि) सी० पी० डब्ल्यू०डी०	,,

(बाद में श्री राधारमण को श्रीमती सुचेता कृपालानी के स्थान पर नियुक्त किया गया, श्री एन० पी० दुबे, आवास आयुक्त, को श्री ए० डी० पंडित के स्थान पर लिया। फिर बाद में निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री वी० के० राव को श्री एन० पी० दुबे के स्थान पर नियुक्त किया गया।)

(ग) तथा (घ) समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है। प्रतिवेदन पर निर्णय करते ही निर्णय सम्बन्धी एक टिप्पण सभा-पटल पर रखा जायेगा।

विकास सेवाओं और संस्थाओं पर व्यय

†२५०७. **श्री याज्ञिक :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी योजना काल में स्थापित की गई संस्थाओं और सेवाओं के विकास पर तीसरी योजना काल में कितना व्यय किया गया जो तीसरी योजना के ७५०० करोड़ रुपये के पूंजी व्यय में शामिल नहीं किया गया ;

(ख) क्या यह खर्च केन्द्रीय सरकार के चालू राजस्व में शामिल किया जायेगा ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर सकारात्मक हो तो क्या यह खर्च देश के लिए आस्तियां निर्माण करेगा जिससे उपयुक्त लाभ की आशा की जा सकती है ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा) :** (क) दूसरी योजना में आरम्भ की गई सेवाओं के विकास और स्थापना पर तीसरी योजना में किया गया व्यय जो १९६०–६१ में पूरा हुआ, ७०० करोड़ रुपये के लगभग है जिसमें से ११० करोड़ केन्द्र द्वारा और ५९० करोड़ रुपया राज्यों द्वारा व्यय किया गया है।

(ख) केन्द्र का खर्च केन्द्रीय सरकार के राजस्व के खाते में डाल दिया जायेगा और राज्यों का राज्य सरकारों के राजस्व खाते में।

(ग) यह खर्च पहले निर्मित आवश्यक सेवाओं के लिए है। इस खर्च के बिना पहले निर्मित आस्तियों से लाभ की आशा नहीं की जा सकती।

---

†मूल अंग्रेजी में

नेशनल कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता

†२५०८. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल कम्पनी लिमिटेड के हिस्सेदारों में से एक ने नई दिल्ली स्थित समवाय विधि प्रशासन से जून, १९६२ में विवेदन किया था कि उपरोक्त कम्पनी के लेखापरीक्षित लेखों की गंभीर अनियमितताओं की जांच की जाये ;

(ख) उसने क्या अनियमितायें बताई हैं ;

(ग) क्या कोई जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या पता लगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (घ) संभवत: माननीय सदस्य दिनांक २५ जून, १९६२ की उस शिकायत की ओर निर्देश कर रहे हैं जो नेशनल कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के एक हिस्सेदार से मिली थी और जिस में ये आरोप लगाये गये हैं :—

(१) कम्पनी द्वारा न्यूयार्क की बी० एम० टी० कमोडिटी कम्पनी के साथ १ फरवरी, १९६२ से ५ वर्ष की अवधि के लिए अमरीका और उसके अधीन अन्य प्रदेशों में कम्पनी द्वारा उत्पादित वस्तुएं बेचने के करार पर समवाय अधिनियम १९५६ की धारा २९४(२) के उपबन्ध लागू होते हैं और क्योंकि कम्पनी करार के उपबन्ध १ फरवरी, १९६२ के बाद हुई पहली महासभा में नहीं रखे, अत: वह करार मान्य नहीं रहा।

(२) हिस्सेदारों से जानकारी के लिए प्राप्त प्रार्थनाओं को कम्पनी टाल मटोल करती रहती है और जानकारी नहीं देती। इसमें बी० एम० टी० कम्पनी कारपोरेशन के बारे में जानकारी नहीं दी और उसके साथ हुए करार की प्रति भी नहीं दी।

पहले आरोप के सम्बन्ध में यह पता लगा है कि कम्पनी के डायरेक्टरों ने ३१ अक्तूबर, १९६१ तक के प्रतिवदन में यह बताया था कि चौड़े और छोटे करघा उत्पादन की बिक्री बी० एम० टी० कमोटिडी कारपोरेशन को की जा रही है और इन दोनों उत्पादनों के लिए कम्पनी को क्रमश: १२% और ९½ प्रति बट्टा दिया जा रहा है। इस स्पष्टीकरण के कारण बिक्री अभिकर्ता नियुक्त करने पर समवाय अधिनियम की धारा २९४(२) नहीं लागू होती। यह निश्चित करने के लिए कि बिक्री खरीदार और क्रेता के बीच में हो, करार मंगाया गया है और उसकी जांच की जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरे आरोप के सम्बन्ध में समवाय पंजीयक कलकत्ता ने समवाय विधि प्रशासन विभाग की हिदायत के अनुसार कम्पनी का ध्यान धारा २३७(ख)(३) की ओर दिलाया है और उसे परामर्श दिया है कि वह हिस्सेदार को सारी जानकारी दे जो वह उचिरूपेण कम्पनी से प्राप्त करने की आशा कर सकता है।

आसाम-पूर्व पाकिस्तान सम्मेलन

†२५०९. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १४ अगस्त, १९६२ को सिल्चर, आसाम, में हुए आसाम-पूर्व पाकिस्तान के कर्मचारियों के बीच हुए सम्मेलन के क्या परिणाम निकले ;

(ख) क्या करीमगंज, आसाम के निकट पश्चिम पुतर्नानाला के 'लाटोटिला' के बारे में सम्मेलन में कोई चर्चा हुई थी ; और

(ग) उपरोक्त सम्मेलन में किन किन विषयों पर बातचीत हुई थी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) ग्राउण्ड रूल्स के अधीन निर्धारित कचार (भारत) के उपायुक्त तथा सिल्हट (पूर्व-पाकिस्तान) के उपायुक्त के बीच लगातार होने वाली बैठकों में से यह भी एक बैठक १७ तथा १८ अगस्त को सिल्चर में हुई थी जिसमें कचार-सिल्हट क्षेत्र के संबंध में सीमान्त घटनाओं पर बातचीत हुई थी।

(ख) जी नहीं।

(ग) इस बैठक में ढोर चुराने, माल लूटने, अपहरण, अनधिकार से घुसने वाले, सीमा में जानबूझ कर घुसने वाले तथा अन्य छोटी छोटी घटनाओं पर बातचीत हुई थी।

कांच, खनिज ऊन तथा संबद्ध उत्पाद उद्योग

†२५१०. **श्री न० ता० दास** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन कांच, खनिज ऊन तथा संबद्ध उत्पादों को अग्रेत्तर लाइसेंस देने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उपरोक्त का उल्लंघन करके खनिज ऊन तथा संबद्ध उत्पादन के निर्माण के लिए एक बम्बई की फर्म को लाइसेंस दिया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां, साधारणतया इन उद्योगों के लिये लाइसेंसों को देने के आवेदनपत्र लाइसेंसिंग कमेटी को भेजे बिना अस्वीकार कर दिये जाते हैं परन्तु निर्यात आदि की विशेष महत्व के आवेदनपत्र होने पर, इन पर निर्णय लेने से पूर्व हितानहित पर विचार किया जाता है ।

(ख) खनिज ऊन के निर्माण के लिये लाइसेंस देने का आवेदन पत्र एक बम्बई की सार्वे से मिला है जिस पर विचार किया जा रहा है और अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

निवेली लिग्नाइट परियोजना का उद्घाटन

†२५११. **श्री अंजनप्पा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निवेली लिग्नाइट परियोजना के उद्घाटन समारोह का विवरण लेने के लिये स्वीकृत प्रेस संवाददाताओं का एक दल वहां पर ले जाया गया था ; और

(ख) समारोह में उपस्थित रहने के लिये कितने संवाददाताओं को आमंत्रित किया गया था तथा विवरण लेने के लिये वास्तव में वहां पर कितने गये थे तथा उद्घाटन समारोह में कितने उपस्थित थे ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ)** : (क) जी हां ।

(ख) ३० संवाददाताओं को निमंत्रण भेजे गये थे जिनमें से १७ स्वीकार किये गये । ११ वहां पर पहुंचे तथा सभी समारोह में उपस्थित हुए ।

गन्दी बस्ती सफाई योजनायें

†२५१२. **श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर तथा विदर्भ में कोई गन्दी बस्ती सफाई योजनाओं के बारे में सरकार को प्रस्ताव मिला है ;

(ख) यदि हां, तो वह योजनायें क्या हैं ;

(ग) उपरोक्त योजनाओं को क्या सहायता देने के लिये सरकार का विचार है; और

(घ) इन योजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) १९५८ से कोई नहीं ।

(ख) से (घ) नागपुर में गन्दी बस्ती सफाई योजना के अधीन अब तक स्वीकृत परियोजनाओं को दिखाने वाला विवरण संबद्ध है । विदर्भ क्षेत्र के किसी अन्य नगर अथवा कसबे में कोई योजना प्रारंभ करने की परियोजना नहीं मिली है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

क्रम संख्या।	परियोजना का नाम	स्वीकृति तिथि	स्वीकृति निवास स्थानों की संख्या		स्वीकृत लागत	स्वीकृत ऋण	केन्द्रीय सहायता अनुमान	परियोजनाओं के पूरा होने की संभावित तारीख
			प्लाट	मकान	रुपये लाखों में	रुपये लाखों में	रुपये लाखों में	
१	नागपुर नगरपालिका परियोजान	६–५–५८	८२८	१,००२	४७.४२	२३.७१	११.८६	३१–३–१९६३
२	नागपुर सुधार न्यास परियोजना	२७–५–५८	४००	...	५.००	२.५०	१.२५	मार्च, १९६१ में पूर्ण
	जोड़		१,२२८	१,००२	५२.४२	२६.२१	१३.११	

नागपुर म आकाशवाणी भवन

†२५१३. **श्री बालकृष्ण वासनिक :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागपुर में आकाशवाणी का भवन बनाने का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया और आकाशवाणी के स्टूडियो तथा कार्यालय जिस भवन में स्थित हैं उसको खरीद लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो भवन निर्माण के विचार के रद्द करने का क्या करण है ; और

(ग) उपरोक्त भवन कितने धन में खरीदा गया है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) :** (क) स्टूडियो भवन निर्माण के लिये नया स्थान लेने का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया है । वर्तमान स्थान और भवन खरीद लिया गया है तथा उसी के अहाते में अतिरिक्त निर्माण भवन निर्माण आरंभ कर दिया गया है ।

(ख) वर्तमान स्थापना स्थान केन्द्रीय है तथा भवन की स्थिति मजबूत है । वर्तमान अहाते में अतिरिक्त निर्माण के लिये पर्याप्त स्थान है ।

(ग) ४.५५ लाख रुपये ।

नागपुर केन्द्र से श्रमिकों के लिये कार्यक्रम का प्रसारण

†२५१४. **श्री बालकृष्ण वासनिक :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकशवाणी के नागपुर केन्द्र से श्रमिकों के लिये कार्यक्रम के प्रसारण के समय में परिवर्तन करने की कोई मांग की गई है क्योंकि वर्तमान समय में पहली शिफ्ट के कपड़ा मजदूरों को सुनने का अवसर मिलता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) :** (क) और (ख). जी नहीं । परन्तु आकाशवाणी ने विदर्भ की विभिन्न औद्योगिक स्थापनाओं को प्रश्नावली भेजी हैं और राय के आधार पर यह निर्णय किया गया है कि नागपुर केन्द्र से औद्योगिक मजदूरों के लिये कार्यक्रम ११ म० पू० से ५.३० म० प० कर दिया जाये ।

आकाशवाणी के नागपुर केन्द्र से श्रमिकों के लिए कार्यक्रम

†२५१५. **श्री बालकृष्ण वासनिक :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के नागपुर केन्द्र द्वारा संचालित श्रमिक कार्यक्रम में कपड़ा उद्योग के कर्मचारी ही अधिकांशत: भाग लेते हैं और वार्ताओं आदि में भी विशेष कपड़ा मिलों के कर्मचारियों को ही आमंत्रित किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कुथ का निर्यात

†२५१६. श्री हेम राज : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ से जुलाई, १९६२ तक वर्षवार तथा राज्यवार जम्मू तथा काश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तथा उत्तर प्रदेश राज्यों को विदेशों को कितना कुथ निर्यात किया गया था ;

(ख) किन देशों को इसका निर्यात किया गया था ; और

(ग) इसके निर्यात के लिये नया बाजार ढूंढने के लिये सरकार ने क्या प्रयत्न किये हैं ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) १९५९ से १९६२ (मई तक) भारत से कुल निर्यात निम्नलिखित हुआ था :—

१९५९	१२,४९,०००	रुपये ।
१९६०	१२,७४,०००	रुपये
१९६१	२,४०,०००	रुपये
१९६२ (जनवरी से मई)	८२,०००	रुपये

राज्यवार निर्यात आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) चीन, सिंगापुर, हांगकांग, लंका, फ्रांस, पाकिस्तान तथा अन्य देश। मुख्यतः चीन इसको खरीदता था परन्तु अब वह इसको हम से नहीं खरीद रहे हैं।

(ग) अमरीका, योरोपीय देशों तथा जापान में भारत के वाणिज्यक प्रतिनिधियों के द्वारा जांच की गई थी परन्तु सूचना मिली है कि इन देशों में मांग बहुत कम है।

हम कुथ से कास्टस की जड़ का तेल निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं।

चिन पहाड़ी, बर्मा के शिष्टमंडल का नागा पहाड़ी का दौरा

†२५१७. श्री हेम बरुआ : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चिन पहाड़ी बर्मा का एक शिष्टमंडल जून, १९६२ में कभी नागा पहाड़ी आया था ; और

(ग) यदि हां, तो उसके इस आगमन का प्रयोजन क्या था तथा क्या यह राजनैतिक था ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी हां।

(ख) नागालैंड में सीढ़ी दार खेती का अध्ययन करने का उद्देश्य था।

---

†मूल अंग्रेजी में

चाय उत्पादन

†२५१८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में समस्त फसल के चाय के उत्पादन में गत फसल की तुलना में कमी आई है ;

(ख) यदि हां, तो यह कमी कितनी है ; और

(ग) कमी होने को रोकने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). जुलाई तक के आंकड़े उपलब्ध हैं और तब तक उत्पादन पहले वर्ष के समान ही हुआ है । जुलाई तक सूखा मुख्य कारण था। हाल में ही अत्यधिक कमी हुई है । परन्तु आशा है कि अच्छा मौसम होने पर और उर्वरक का पूरा संभरण होने के परिणामस्वरूप शेष फसल में कमी पूरी हो जायेगी और उपर्याप्त उत्पादन बढ़ जाने की आशा है ।

निर्यात प्रोत्साहन

†२५१९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा आयुक्त ने हाल ही में मिलों और निर्यातकों को मिलने वाले निर्यात प्रोत्साहनों का अनुमान लगाने के लिये एक नवीन सरल प्रक्रिया का फैसला किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिवर्तन किये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) मुख्य परिवर्तन दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

हज यात्री

†२५२१. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** १६ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के यात्रा अधिकरण के विरुद्ध की गई जांच का क्या परिणाम निकला है, जो कुछ हज यात्रिओं को होने वाली कठिनाइयों के लिये उत्तरदायी था ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जो जांच अब तक की गई है उससे यह प्रतीत होता है कि पेरामाउंट यात्रा अभिकरण धोखेबाज़ कम्पनी थी और श्री सईद उद्दीन तथा उसके साथी स्पष्ट रूप से यात्रियों को धोखा दे रहे थे । आशा है कि यह जांच कार्य बहुत शीघ्र ही पूर्ण हो जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली प्लास्टिक तार निर्माता संथा

†२५२२. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री प० कुन्हन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली प्लास्टिक निर्माता संथा की ओर से २४ अगस्त, १९६२ को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने क्या बातें उठाई हैं ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया जा चुका है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) जी नहीं। ३१ अगस्त, १९६२ तिथि का एक टिप्पण प्राप्त हुआ था ।

(ख) संथा चाहती है कि (१) वास्तविक उपभोक्ता उद्योगों, (२) अत्यावश्यक उद्योगों, (३) गैर-अत्यावश्यक उद्योगों, और (४) प्राथमिकता उद्योगों, शब्दों की परिभाषा अलौह धातुओं के आवंटन के लिये की जानी चाहिये तथा वास्तविक उपभोक्ताओं को तार खेंचने वालों के द्वारा तारों के वितरण के ऊपर नियंत्रण रखा जाना चाहिये ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

ग्राम सेवक

†२५२३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि सामुदायिक विकास सम्बन्धी कार्रवाइयों का प्रचार करने वाली हिन्दी सामयिक पत्रिका 'ग्राम सेवक' का प्रकाशन मितव्ययता के नाते बन्द करने का विचार किया गया है ।

(ख) क्या यह सच है कि इस पत्रिका के बन्द किये जाने के बारे में ग्रामीण जनता बड़ा क्षोभ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की जाने का विचार है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) :** (क) सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय की सहायता योजना के अन्तर्गत, हिन्दी भाषी राज्यों ने अपनी हिन्दी पत्रिकाओं का प्रकाशन आरम्भ कर दिया है, जिन में उसी प्रकार की सामग्री होती है जो हिन्दी की 'ग्राम सेवक' पत्रिका में होती थी, तथा स्थानीय महत्व की कुछ और सामग्री होती है। परिणामतः हिन्दी पत्रिका ग्रामसेवक का केन्द्र से प्रकाशन मितव्ययता के तौर पर नहीं, अपितु अनावश्यक दोहरेपन को मिटाने के लिये बन्द कर दिया गया है ।

(ख) सरकार को ऐसे किसी क्षेत्र का पता नहीं है ।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के लिये पंखे

†२५२४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि सरकार ने पंखों की खरीद के लिये बिना पंखों वाले क्वार्टरों में रहने वाले चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को ऋण देने का फ़ैसला किया है ;

(ख) यदि हां तो क्या इस प्रकार दिया गया धन उन के वेतनों से काट लिया जायेगा अथवा उन क्वार्टरों के मासिक किराये के साथ लिया जायेगा ; और

(ग) क्या यह सुविधा अन्य सरकारी कर्मचारियों के समान उन को दिये गये स्थान के भाग के रूप में मानी जायेगी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क) से (ग). मामला विचाराधीन है । शीघ्र ही निर्णय की संभावना है ।

टांगानीका में भारतीय

†२५२६. **डा० सारादीश राय :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री ह० प० चटर्जी :
श्री हो० ना० मुकर्जी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान टांगानीका राष्ट्रीय संसद् में हाल ही में पारित हुए निवृत्ति (विशेष उपबन्ध) विधेयक की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या इस का वहां रहने वाले भारतीय लोगों के हितों पर किसी प्रकार बुरा प्रभाव पड़ता है ; और

(ग) यदि हां तो इस के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । इस का, टांगानीका के कुछ भारतीय नागरिकों के अतिरिक्त, भारतीय उद्भव के लगभग ७५० व्यक्तियों के हितों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ।

(ग) भारत सरकार का हमेशा यह मत रहा है कि समुद्रपार के सभी असैनिक कर्मचारियों को समान शर्तें दी जानी चाहियें, जिन्हें निवृत्त होने के लिये कहा जाये या सेवाओं का अफरीकीकरण करने में सुविधा लाने के लिये जिन को पीछे छोड़ दिया गया है ।

भारतीय समाज कल्याण और व्यापार प्रबंध संस्था, कलकत्ता

२५२७. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार द्वारा चलाये जाने वाले सरकारी उपक्रमों में काम करने वाले श्रम कल्याण से सम्बन्धित अधिकारी भी सामान्य शर्तों पर भारतीय समाज कल्याण और व्यापार प्रबंध संस्था, कलकत्ता, में समाज-कार्य में डिप्लोमा के लिये अल्पकालीन गहन पाठ्यक्रम के लिये नाम-निर्देशित किये जाने के अधिकारी हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) : जी हां। श्रम अफ़सरों और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में सम्बद्ध कार्य करने वाले ऐसे अन्य अफ़सरों को भी इस पाठयक्रम में भेजने के लिये विचार किया जाता है और उन्हें भेजा जाता है।

क्षेत्रीय श्रम संसाधनों में प्रशिक्षण

२५२८. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री १५ जून, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३२०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस योजना में भारत सरकार द्वारा चलाये जाने वाले सरकारी उपक्रमों द्वारा भेजे गये अधिकारियों को क्षेत्रीय श्रम संस्थानों की प्रशिक्षण शाखाओं में प्रशिक्षण दिया जायेगा ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) : जी हां।

विद्रोही नागा

†२५२९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त १९६२ के उत्तरार्द्ध में सुरक्षा सेनाओं के साथ मुठभेड़ में कितने विद्रोही नागा मारे गये, गिरफ्तार किये गये और कितने लोगों ने आत्म समर्पण किया ;

(ख) उक्त अवधि में कितने विद्रोही नागाओं के छुपने के स्थान नष्ट किये गये ; और

(ग) यदि हां, तो कितने और कहां ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

गोआ

†२५३०. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ के उप-राज्यपाल को मंत्रणा देने वाली प्रस्तावित अनौपचारिक सलाहकार परिषद् बनाई जा चुकी है ;

(ख) यदि हां तो उस के सदस्य कौन हैं ; और

(ग) परिषद् की मंत्रणा राज्यपाल पर कहां तक बाध्य होगी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). जी नहीं, अभी नहीं।

(ग) उप-राज्यपाल का ऐसी परिषद् बनाने का इरादा, गोआ में प्रशासन संबंधी मामलों पर मंत्रणा प्राप्त करना है। उपराज्यपाल निर्णय करने या प्रस्ताव बनाने में परिषद् के विविध सदस्यों द्वारा दी गई मंत्रणा को ध्यान में रखेगा। जब तक निर्वाचित निकाय स्थापित न हो जायें, तब तक परिषद् जारी रहेगी।

पंजिम (गोआ) में औद्योगिक प्रदर्शनी

†२५३१. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजिम, गोआ में इस वर्ष शरद ऋतु में एक औद्योगिक प्रदर्शनी लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रदर्शनी में भाग लेने वाले कौन होंगे ; और

(ग) प्रस्ताव के अन्य ब्यौरे क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क). पंजिम, गोआ में इस वर्ष शरद ऋतु में एक प्रदर्शनी करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) और (ग). आवश्यक ब्योरे का अध्ययन किया जा रहा है ।

लद्दाख और नेफ़ा के सीमान्त क्षेत्रों के विकास अधिकारी

†२५३२. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाख और नेफा के सीमांत क्षेत्रों में विकास अधिकारी नियुक्त किये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन की संख्या क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). नेफा में विकास कार्य के समन्वय का समूचा उत्तरदायित्व नेफा के आयुक्त का, अभिकरण स्तर पर तथा राजनीतिक अफसरों और सहायक राजनीतिक अफसरों का उन के अपने स्तर पर है । कृषि, सामुदायिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, इंजीनियरिंग और कुटीर उद्योग आदि सभी विकास विभागों के अफसर विकास संबंधी कार्य कर रहे हैं । विकास संबंधी कार्य से संबंधित विविध पदों पर नियुक्तियां समय समय पर की जाती हैं जब रिक्त स्थान उपलब्ध होते हैं ।

लद्दाख में विकास संबंधी कार्य का समन्वय करने का उत्तरदायित्व वहां के डिप्टी कमिश्नर का है जो पदेन विकास आयुक्त का भी कार्य करता है । लद्दाख में पदों पर नियुक्तियां जम्मू व काश्मीर सरकार द्वारा की जाती हैं न कि भारत सरकार द्वारा ।

मध्य प्रदेश में सूती कपड़ा मिल

†२५३३. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १८ अगस्त १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९८७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश में अधिक सूती वस्त्र मिल स्थापित करने के लिये जिन पार्टियों को लाइसेंस दिये गये हैं उन के ब्यौरे क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्रमांक	पार्टी का नाम	स्थान
नवीन एकांश :		
१	श्री मन्नालाल अग्रवाल	इन्दौर
२	मैसर्स एम० जी० कारपोरेशन, बम्बई	खण्डवा
३	मैसर्स स्टैंडर्ड मिल्स को० लिमिटेड, बम्बई	देवास
४	मैसर्स भारत कामर्स एंड इन्डस्ट्रीज लि० कलकत्ता	भिंड
५	मैसर्स सिंधी ब्रादर्स (पी०) लिमिटेड, इंदौर	शुजालपुर
६	मैसर्स ऐस० डी० नोपानी, कलकत्ता	बिलासपुर
७	मैसर्स प्रेमसुख दास रामेश्वर दास, कटनी	कटनी
८	श्री पी० एस० कालानी, इन्दौर	सतना
९	श्री रामकांत लोइया राजभवन काम्पट, नागपुर	राजनन्दगांव

†मूल अंग्रेजी में

इन्द्रा मार्केट, दिल्ली में पानी के मीटरों के चैम्बरों का निर्माण

†२५३४. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री ९ सितम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १३०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्द्रा मार्केट, दिल्ली की मुख्य रोड पर प्रत्येक फ्लैट के लिये पानी मीटर के सूराखों के निर्माण पर सरकार ने कितनी राशि खर्च की है ; और

(ख) क्या यह सही नहीं कि निगम ने इस पर आपत्ति की थी और आवंटियों को मीटर ऊपर ले जाने पड़े थे ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) इन्दरा मार्केट के रहने के फ्लैटों में पानी के मीटरों के लिय चैम्बर बनाने की लागत इस प्रकार है :

निर्माण का वर्ष	फ्लैट संख्या	प्रत्येक चैम्बर की लागत
१९५६	२१	रुपये ४०.८१ नये पैसे
१९५९	७	रुपये ६९.००

(ख) १९५६ में निर्मित २१ निवास फ्लैटों के लिए वाटर मीटर चैम्बर लगाते समय नगर पालिका निगम ने कोई आपत्ति नहीं की । नगरपालिका निगम ने आपत्ति तब की जब कि १९५९ में निर्मित रहने के ७ फ्लैटों के लिये वाटर मीटर चैम्बर लगाने का काम पूरा होने वाला था ।

कोई सूचना प्राप्त नहीं है कि आया आवंटियों द्वारा वाटर मीटर सीढ़ियों से आकर बदलने पड़े थे ।

औद्योगिक उपक्रम

†२५३५. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १८ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०२३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा क रेंगे कि :

(क) कौन से औद्योगिक उपक्रम उन के मालिकों को लौटाये गये हैं ;

(ख) अभी जो उपक्रम सरकारी नियंत्रणाधीन हैं उन का ब्योरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) निम्न औद्योगिक उपक्रम उन के मालिकों को लौटा दिये गये हैं :—

कपड़ा : (१) एडवर्ड टैक्सटाइल मिल्स कंपनी लिमिटेड, ब्यावर, राजस्थान

(२) अयुध्या टैक्सटाइल लिमिटड दिल्ली

चीनी : (३) जगदीश शूगर मिल्स लि० क़थकूइयान्

(४) ईश्वरी खेतन शूगर मिल्स लि० लक्ष्मीगंज

(५) महेश्वरी खेतन शूगर मिल्स लि० रामकोला

(६) राम लक्ष्मण शूगर मिल्स लि० मोहीउद्दीनपुर

†मूल अंग्रजी में

(७) विष्णुप्रताप श्यूगर वर्क० लि० खाडा ।

(८) पदरौन राज कृष्ण श्यूगर वर्कस लि० पदरौना

(९) श्री जानकी शूगर मिल ऐंड को० डोईवाला

(ख) निम्न उपक्रम अभी भी सरकारी नियंत्रणाधीन हैं :

उपक्रम का नाम	अनुसूची उद्योग	नियंत्रणाधीन करने की तिथि
१. दी अथर्टन वैस्ट ऐंड को० लि० कानपुर (उ० प्र०)	कपड़ा	४–७–१९५९
२. मादल मिल्स नागपुर लि० नागपुर (महा०)	कपड़ा	१८–७–१९५९
३. मेवाड़ टैक्सटाइल मिल लि० भीलवाड़ा (राज) .	कपड़ा	१६–५–६०
४. हथीसिंह मैनुफक्चरिंग कं० लि० अहमदाबाद गुजरात	कपड़ा	२८–७–६०
५. आर० एस० आर० जी० मेहता स्पिनिंग ऐंड वीविंग मिल्स लि० अकोला (महा) .	कपड़ा	१८–९–६१
६. मसर्स इंडिया इलैक्ट्रिक वर्कस लि० कलकत्ता .	बिजली सामान	११–७–६०
७. मैसर्स जैसप ऐंड कंपनी लि० कलकत्ता .	लोहा और इस्पात	१५–५–५८

इन्द्रा मार्केट दिल्ली में दो कमरों वाले फ्लैट

†२५३६. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री इन्द्रा मार्केट के फ्लटों के बारे में २८ अप्रैल १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १८०–क के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या २ कमरों वाले फ्लैट अब आवंटन करने योग्य हैं और कितने आवंटित किये जा चुके हैं ।

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : इन्द्रा मार्केट में सभी दो कमरों वाले २३ फ्लैट अब आवंटन करने योग्य हैं, क्योंकि इन में प्रत्येक फ्लैट की शुद्ध लागत १५००० रुपये तक है, २४ में १५ फ्लैट उन में रहने वालों को हस्तांतरित कर दिये गये हैं । शेष ९ फ्लट नीलामी-टैंडर द्वारा बेचे जा रहे हैं क्योंकि अब उन में रहने वाल लोगों ने निर्धारित तिथि तक इन फ्लैटों की खरीदन के पक्ष में अपनी स्वीकृति नहीं दी ।

मिन्टो रोड, नई दिल्ली पर खाली क्वार्टर

†२५३७. **श्री स० मो०बनर्जी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि नई दिल्ली, मिन्टो रोड क्षेत्र में कुछ क्वार्टर खाली पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन की कुल संख्या कितनी है ;

(ग) क्या भारत सरकार प्रैस के कर्मचारियों को ये क्वार्टर देने का वचन दिया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो उन को ये क्वार्टर न देने के क्या कारण हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) जी नहीं, केवल मरम्मत/गिराने के लिये सी० पी० डब्ल्यू० डी० को दिये गये क्वार्टरों को छोड़ कर ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

(ग) और (घ). प्रैस कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया था कि वर्तमान आवंटियों से खाली होने पर रहने योग्य क्वार्टर उन प्रैस कर्मचारियों को दिये जायेंगे, जिनको इस समय श्रीनिवास पुरी में क्वार्टर आवंटित हैं और जो वहां रहते हैं । यह किया जा रहा है ।

रिफ्यूजी मार्केट, लोदी रोड, नई दिल्ली के स्टाल वाले

†२५३९. **श्री बड़े** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सही है कि नई दिल्ली लोधी रोड के रिफ्यूजी मार्केट के स्टाल वालों को अभी तक स्थायी तौर पर नहीं बसाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन को बसाने के लिये क्या किया जा रहा है; और

(ग) ऐसा करने में कितना समय लगेगा ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)**: (क) से (ग). पूर्वी एवन्यू लोदी रोड क्षेत्र के कुछ स्टाल वाले लोगों ने स्थायी स्थान के आवंटन के लिये पुनर्वास विभाग से प्रार्थना की थी । उनके लिए स्थायी प्रबंध करने में कुछ विलंब था कुछ जिस भूमि पर स्थायी बाजार बनाना था, प्रतिरक्षा मंत्रालय के कब्जे में थी । अब वह भूमि प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा दे दी गई है । सी० पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा बाजार के प्लान एवं अनुमान तैयार किये जा रहे हैं ।

भारत नेपाल सीमा पर छापे

†२५४०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल के विदेश मंत्री ने, २२ अगस्त १९६२ को लोक-सभा में वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा इस आशय के तारांकित प्रश्न संख्या ५२७ का उत्तर देते हुए दिये गये वक्तव्य का खंडन किया है कि नेपाल सरकार ने यह स्वीकार किया था कि झारोखार में भारत में नेपाली सीमा पुलिस ने अतिक्रमण किया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हां । नेपाल के विदेश मंत्री ने २६ अगस्त १९६२ को एक प्रैस टिप्पण में, २२ अगस्त, १९६२ को वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री द्वारा लोक सभा में दिये गये उत्तर के संबंध में स्टेट्समैन, में प्रकाशित समाचार का खण्डन किया । प्रेस नोट में इस बात से इन्कार किया गया कि उस की सरकार ने यह स्वीकार किया था कि झारखार में भारत में नेपाली सीमा पुलिस ने अतिक्रमण किया था ।

(ख) झारोखार घटना संबंधी तथ्य, संयुक्त जांच समिति में हमारे प्रतिनिधि द्वारा प्रभावित रूप में, २२ अगस्त १९६२ को लोक-सभा में दिये गये थे । नेपाली प्रतिनिधि द्वारा घटना की जो रिपोर्ट की गई है, वह हमें नहीं मिली । नेपाल के विदेश मंत्री द्वारा जारी किये गये प्रेस नोट में संक्षेप में कहा गया है कि झारोखार में उपद्रव, उनकी सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार, उस स्थान पर जमा हुए आक्रमणकारियों के दलों के बीच हुए झगड़े का परिणाम था ।

---

†मूल अंग्रेजी में]

रेयन निर्माण कारखाने

†२५४१. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रेयन की कितनी आवश्यकता है ;

(ख) वह आवश्यकता कहां तक देश में ही पूरी की जाती है ;

(ग) वर्तमान रेयन निर्माता एकांशों के नाम क्या हैं और उनका मूल उत्पादन कितना है ;

(घ) ग्वालियर रेयन की उत्पादन क्षमता क्या है ; और

(ङ) क्या ग्वालियर रेयन के कार्य संचालन संबंधी कोई वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनु भाई शाह):** (क) तीसरी योजना अवधि के अन्त तक नकली रेशम और संश्लिष्ट धागा तथा लंबे रेशे की कुल आवश्यकता ९८० लाख किलोग्राम है ।

(ख) और (ग). १९६१ में देश में उत्पादन ४३० लाख किलोग्राम था । इन वर्तमान रेयन निर्माता एकांशों के नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं ।

विवरण

(१) नैशनल रेयन कारपोरेशन लि०, ऐवात हाउस, ब्रूस स्ट्रीट, फोर्ट, बंबई,

(२) मैसर्स सैंचरी रेयन, १५९, चर्च गेट रैक्लेमेशन, बम्बई ।

(३) मैसर्स त्रावनकोर रेयन, डाकखाना, रेयनपुरम, केरल

(४) मैसर्स जे० के० रेयन, कमला टावर, कानपुर ।

(५) मैसर्स कोसोराम रेयन, ५८ इंडिया ऐक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता ।

(६) मैसर्स साउथ इंडिया विस्कोज़ लि० कोयंबटूर, मद्रास ।

(७) मैसर्स ग्वालियर रेयन, डाकखाना, रिलाग्राम, नागदा ।

(८) मैसर्स सर सिल्क लि० सरिपूर, कागजनगर, आंध्र प्रदेश ।

(९) मैसर्स जे० के० सिनथैटिक्स कोटा ।

(घ) ग्वालियर रेयन की उत्पादन क्षमता २४१.७० लाख है ।

(ङ) जी नही ।

कास्टिक सोडा

†२५४२. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजकल कौन कौन यूनिट कास्टिक सोडा बनाते हैं और उनकी उत्पादन क्षमता क्या है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम संख्या	कास्टिक सोडा बनाने वाले यूनिटों के नाम	उत्पादन क्षमता टन /वर्ष
१.	मैसर्स रोहतास इंडस्ट्रीज़ लि०, डा० डालमिया नगर, बिहार	५५८०
२.	मैसर्स डी० सी० एम० कैमिकल वर्क्स, पो०ब० संख्या २१११ नजफ़गढ़ रोड, दिल्ली	११५०
३.	मैसर्स अहमदाबाद मैनुफैक्चरिंग एण्ड कालिको प्रिंटिंग कम्पनी लिमिटेड, (कालिको मिल्स कैमिकल्ज़ डिवीज़न) पो०बा० सं० १२, अहमदाबाद	२३१०
४.	मैसर्स अहमदाबाद मैनुफैक्चरिंग एण्ड कालिको प्रिंटिंग कम्पनी लिमिटेड, (कालिको मिल्स केमिकल डिवीज़न) अनिक चेम्बूर, बम्बई	३६००
५.	मैसर्स टाटा केमिकल लि०, डा० मीठापुर, ओरनामण्डल, पश्चिम रेलवे, बम्बई	९९००
६.	मैसर्स नेशनल रेयन कारपोरेशन लि०, कल्याण, मध्य रेलवे, बम्बई	१३,२००
७.	मैसर्स त्रावंकुर-कोचीन केमिकल्स लि०, उद्योग मण्डल, डा० (बारास्ता) अलवाये, केरल राज्य, दक्षिण भारत	१०००
८.	मैसर्स मेचूर केमिकल एण्ड इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लि०, मेत्तूर बान्ध, आर० एस० मद्रास	६९३०
९.	मैसर्स जे० के० केमिकल्स लि०, पांचपकाड़ी, पोखरन रोड, जिला थाना, बम्बई	२०६०
१०.	मैसर्स अल्काली एण्ड केमिकल कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०, दा० रिशरा, जि० हुगली	३२४०
११.	मैसर्स हिन्दुस्तान हैवी केमिकल्स लि०, १५, बारकपुर ट्रंक रोड, खड़दाह २४–परगना	२९७०
१२.	मैसर्स ओरियेन्ट पेपर मिल्स लि०, डा० ब्रजराज नगर, जिला संबलपुर (उड़ीसा)	५७५
१३.	मैसर्स सीरपुर पेपर मिल्स लि०, सीरपुर कागजनगर, मध्य रेलवे, आन्ध्र	३७७०
९४.	मैसर्स मैसूर पेपर मिल्स लि०, भद्रावती (दक्षिण रेलवे)	५७५
१५	मैसर्स टीटाघर पेपर मिल्स लि०, डा० टीटाघर, जिला २४-परगना, पश्चिम बंगाल .	३७७०
१६.	मैसर्स श्रीगोपाल पेपर मिल्स लि०, डा० जमनानगर, रेलवे स्टेशन, जगाधरी, जिला अम्बाला	६६०
१७.	मैसर्स धंगाधरा केमिकल वर्क्स लि०, (कास्टिक सोडा डिवीज़न) डा० साहूपुरम, अरुमुगानेरी, (तिन्नावेली जिला)	२६,४००
१८.	मैसर्स सौराष्ट्र केमिकल्स, पोरबन्दर	२०,४००

†मूल अंग्रेजी में

मध्य प्रदेश में कपड़ा मिलें

२५४३. **श्री बड़े :**
श्री कछवाय :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की कपड़ा मिलों में इस समय कितनी तकलियां और करघे काम कर रहे हैं;

(ख) इन मिलों में काम करने वाले कामगरों की संख्या इस समय क्या है; और

(ग) सन् १९५२ से इस समय तकलियों तथा करघों में कितनी वृद्धि हुई है और उस अनुपात में कामगरों की संख्या में कितनी कमी या वृद्धि हुई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) मध्य प्रदेश की सूती कपड़ा मिलों में १-१-१९६२ को ५००,३९६ तकुए और १२,३६४ करघे काम कर रहे थे ।

(ख) लगभग ५६,६५० कामगर ।

(ग) यह जानकारी इकट्ठी कर सकना संभव नहीं है ।

मध्य प्रदेश में कपड़ा मिलों के श्रमिकों को बोनस

२५४४. **श्री बड़े :**
श्री कछवाय :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कपड़े की कितनी मिलें हैं;

(ख) इनमें से कितनी मिलों में १९६१ में मजदूरों को बोनस दिया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ मिलों में पिछले पांच वर्षों से मजदूरों को कोई बोनस नहीं दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो वे मिलें कौन-सी हैं और उन्होंने इसके क्या कारण बतलाये हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ). यह मामला राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में है । इसलिये सूचना प्राप्त नहीं ।

सारनाथ में आकाशवाणी भवन

२५४५. **श्री बालकृष्ण सिंह :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **सारनाथ** (वाराणसी) में आकाशवाणी द्वारा निर्मित भवन में प्रसारण कार्य होगा अथवा अन्य कोई कार्य करने की व्यवस्था की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : सारनाथ (वाराणसी) में आकाशवाणी ने जो भवन बनाया है वह प्रसारण के काम में लाया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि

†२५४६. { डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि से 'हे राम' शब्द हटा लिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर और किस कारण से;

(ग) क्या शब्दों को स्थायी रूप से हटाया गया है या अस्थायी रूप से; और

(घ) क्या शब्दों को सरकार की सहमति, अनुमति और स्वीकृति से हटाया गया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) से (घ). महात्मा गांधी की समाधि सरकार द्वारा स्वीकृत एक योजना के अनुसार फिर बनाई जा रही है । इस कार्य में 'हे राम' शब्दांकित पत्थर के स्थान पर काला ग्रेनाइट लगाना शामिल है और उस पर भी ये ही शब्द होंगे । 'शब्दों' को अस्थायी रूप से हटा दिया गया है और निकट भविष्य में पुनर्निर्मित समाधि पर अंकित किये जायेंगे ।

चीनियों द्वारा लिये गये भारतीय सीमा के फोटो

†२५४७. **श्री बी० वर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ दिन पहिले नेपाल में धनगढ़ी के बड़ा हकीम के साथ कुछ चीनी अधिकारी हमारी ओर गौरी फांटा आये थे और उन्होंने वहां के फोटो लिये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) तथा (ख). उत्तर प्रदेश के खेड़ी जिला में गौरी फांटा में कोई चीनी अधिकारी नहीं आये । १ जून, १९६२ को वहां दो जापानी देखे गये थे जिनके पास पारपत्र और भारत से नेपाल जाने के परिगमन प्रवेश पत्र थे । वे रेलवे स्टेशन तथा आस पास के क्षेत्र के फोटो ले रहे थे । ये जापानी कृषि अनुसन्धान में नेपाल सरकार की सहायता कर रहे हैं और वे उसी दिन गौरी फांटा हो कर नेपाल वापस चले गये । उनके साथ धनगढ़ी के बड़ा हकीम के आने का पता नहीं लगा । इन जापानियों को कुछ समाचारपत्र प्रतिनिधियों ने चीनी समझा । वे विधान के अन्तर्गत दोषी नहीं हैं अतः इन के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल

†२५४८. **श्री राम रत्न गुप्त :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री मे० क० कुमारन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ की महा सभा के लिए भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों के बारे में अन्तिम निश्चय कर लिया है; और

(ख) संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में विचार विमर्श के लिए भारत ने क्या क्या विषय रखे हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) भारत सरकार ने एक मद रखी है :-

"नाभिकीय तथा तापीय-नाभिकीय विस्फोटों को रोकने की तुरन्त आवश्यकता ।"

सरकार ने एक और मद रखी है :—

'दक्षिण अफ्रीका सरकार की जाति भेदभाव की नीति :

(क) दक्षिण अफ्रीका में नसल विवाद;

(ख) दक्षिण अफ्रीका में भारतीय तथा भारत-पाकिस्तानी उद्भव के व्यक्तियों के साथ व्यवहार ।"

अन्य बात—"अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र वर्ष"—भारत ने पिछले वर्ष रखी थी और इस वर्ष विषय-सूची में शामिल है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

नकली रेशम के धागे के आयात पर कथित प्रतिबन्ध तथा उस के फलस्वरूप बेकारी

†**श्री विश्राम प्रसाद** (लालगंज) : मैं नियम १९७ के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"नकली रेशम के धागे के आयात पर कथित प्रतिबंध जिसके फलस्वरूप एक लाख से अधिक बुनकर बेकार हो गये हैं ।"

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** यह निश्चय किया गया है कि देश में विदेशी मुद्रा की कठिनाई को देखते हुए चालू छमाही में १.५ करोड़ रुपये का नकली रेशम का आयात न किया जाये । सरकार की यह नीति रही है कि देश के नकली रेशम के धागे के उत्तरोत्तर अधिक उत्पादन को ध्यान में रखते हुए आयात की

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मनुभाई शाह]

मात्रा कम की जाये। नकली रेशमी धागे का उत्पादन जो कि १९५९ में ७६० लाख पौंड होता था वह १९६१ में बढ़ कर ११२० लाख पौंड हो गया। इस उत्पादन की प्रगति को देखते हुए तथा वैदेशिक मुद्रा सम्बन्धी कठिन स्थिति को देखते हुए यह निश्चय किया गया कि वास्तविक उपभोक्ताओं के लिये आयात किये जाने वाले नकली रेशम के धागे की राशि में कमी कर दी जाये। अतः १९५८–५९ में कुल ४.२ करोड़ रुपये का आयात हुआ था उसे घटा कर यह राशि १९६१–६२ के लिये केवल २.१ करोड़ रुपये कर दिया गया।

इसी प्रकार स्थापित आयातकर्ताओं का कोटा इस छमाही में १७ लाख रुपये कम कर दिये गये।

नकली रेशम के कपड़ों के बढ़ते हुए निर्यात के साथ साथ, निर्यात संवर्द्धन योजना के अधीन, निर्यात के लिये प्राप्त अधिकारों के द्वारा, उद्योग तथा हथकरघा क्षेत्र दोनों के लिये ही उपयुक्त राशि उपलब्ध हो सकेगी। निर्यात के बढ़ने के साथ ही इस राशि में वृद्धि हो सकती है।

विदेशी मुद्रा की कमी से लगभग सभी उद्योगों के लिये निर्यात में कमी की गयी है इससे ही रेशमी धागे के निर्यात में भी कटौती करनी हुई।

इस कटौती के बावजूद भी रेशमी धागे को बुनने वाले उद्योग के लिये १९६१ की अपेक्षा इस वर्ष २ करोड़ अधिक का रेशमी धागा उपलब्ध हो सकेगा। इस प्रकार यह ज्ञात होगा कि रेशमी धागे के उद्योग के शक्ति चालित क्षेत्र या हथकरघा क्षेत्रों को इस कटौती से कोई विशेष हानि नहीं होगी। अपितु उन्हें चालू वर्ष में कुछ और अधिक मात्रा में रेशमी धागे की राशि मिलेगी। इसलिये उत्पादन की कमी अथवा बेरोजगारी अथवा कच्चे माल की कमी से उद्योग के बन्द हो जाने की कोई भावना नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसे सभा पटल पर रख दिया जाये।

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं इसे सभा पटल पर रखता हूं।

(शेष वक्तव्य नीचे उद्धृत है)

वितरण की व्यवस्था के अनुसार इस उद्योग के हथकरघा क्षेत्र को निम्न प्रकार से रेशमी धागे का वितरण किया जाता है :

(१) स्थापित आयातकों के कोटे की पूरी राशि, जो प्रत्येक छमाही में १७ लाख रुपये की है वह सारी राशि हथकरघा निदेशक और राज्य के उद्योग निदेशकों द्वारा हथकरघा संगठनों को वितरण के लिये सुरक्षित रख दी गयी हैं।

(२) स्वदेशी उत्पादन का १० प्रतिशत, वितरण समिति द्वारा हथकरघा उद्योग को वितरण करने के लिये पृथक् रख दिया गया है।

(३) उद्योग को नकली रेशमी वस्त्रों के निर्यात के १०० प्रतिशत निर्यात करने का अधिकार प्राप्त है।

इस प्रकार यह ज्ञात होगा कि स्वदेशी तथा आयात किये गये नकली रेशमी धागे की अधिक मात्रा में उपलब्धि को ध्यान में रख कर हथकरघा उद्योग को भी अधिक मात्रा में उपलब्ध किया जायेगा। हथकरघा उद्योग को १९६० में ३.८२ करोड़ रुपये का रेशमी धागा उपलब्ध किया गया था जो कि १९६१ में बढ़ कर ४.२३ करोड़ रुपये का धागा उपलब्ध किया गया। इस प्रकार

†भूल अंग्रेजी में

हथकरघा उद्योग को अधिकाधिक धागा उपलब्ध किया जा रहा है । यदि नकली रेशम के कपड़ों का अधिकाधिक निर्यात होगा तो यह राशि और भी बढ़ायी जा सकेगी ।

सरकार की नीति से नकली रेशम के उद्योग को भी हानि नहीं होगी । यद्यपि नीति यह है कि हथकरघा उद्योग को शक्तिचालित करघों से अधिक कोटा दिया जाय ।

†**श्री विश्राम प्रसाद** : नकली रेशम के धागे का आयात रोकने की आवश्यकता ही क्या थी विशेषकर ऐसे समय जब कि एक लाख कर्मचारी बेरोजगार हो रहे हैं ।

†**श्री मनुभाई शाह** : इससे बरोजगारी की कोई सम्भावना नहीं है । यह बात केवल ऐसे लोगों द्वारा उठायी गयी है जो कि अधिक निर्यात करने या अधिक माल बेचने में इच्छुक है ।

†**श्री नम्बियार** (तिरुचिरापल्ली) : क्या अप्रैल, १९६२ से मार्च १९६३ की रेड बुक में यथावश्यक मात्रा में नकली रेशम के आयात का उपबन्ध किया गया था ? क्या यह प्रश्न वैदेशिक मुद्रा की कमी से उत्पन्न हुआ ?

†**श्री मनुभाई शाह** : भारत सरकार ने वैदेशिक मुद्रा सम्बन्धी स्थिति का पुनरीक्षण मई में किया था । कई कारणों से यह निश्चय किया गया कि ऐसी कई मदों पर कटौती की जाय जिनके बिना काम चलाया जा सकता है । मैं सभा को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस कटौती के बावजूद भी हथकरघा उद्योग या शक्तिचालित करघा उद्योग पर कोई असर नहीं होगा ।

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : यह कटौती केवल नकली रेशम के धागे के सम्बन्ध में की गयी है अथवा अन्य प्रकार के धागे में भी की गयी है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : सूती धागे का आयात बिल्कुल बन्द है । वस्तुतः हम निर्यात संवर्द्धन योजना के अधीन हथकरघा उद्योग के लिये काफी बड़ी मात्रा में नकली रेशम के धागे के आयात की अनुमति दे रहे है ।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : आज सत्र का अन्तिम दिन है, मैं यह बताना चाहता हूं कि योजना आयोग की सहमति से उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक कर लगाया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य इस विषय पर मेरे कक्ष में आ कर चर्चा कर सकते है ।

कार्यवाही से शब्द निकालने के बारे में

†**श्री ज० ब० सिंह** (धोसी) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । बाढ़ के मसले को लेकर ३१ तारीख को हाउस में जो शोरगुल हुआ उसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब बाढ़ ऐसे इम्पोर्टेंट मसले आयें या जैसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जमीन पर जो टैक्स लगाया जा रहा है, इस तरह के महत्वपूर्ण मसले आयें तो उनको यहां बन्द नहीं करना चाहिये बल्कि उन पर बहस होनी चाहिये और अगर उस दिन बहस कर लेने दी गई होती तो यह शोरगुल जो हाउस में मचा था वह न मचा होता .....

---

†मूल अंग्रजी मे

अध्यक्ष महोदय : अब यह आप ऐक्सप्लेनेशन तो नहीं दे रहे हैं बल्कि यह सुझाव दे रहे हैं कि बहस होनी चाहिये ।

श्री ज० ब० सिंह : मेरा यही नम्र निवेदन है कि ऐसे इम्पोर्टेंट मसलों पर हाउस में बहस होने की इजाजत देनी चाहिये .....

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य बैठ जायें ।

श्री ज० ब० सिंह : आप कहते हैं तो मैं बैठ जाता हूं लेकिन फिर वही कहूंगा कि इस तरह के महत्वपूर्ण मसलों पर सदन में बहस होने की इजाजत देनी चाहिए ।

श्री राम सेवक यादव : पहले तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि जो मैं कहना चाहता हूं उसे आप सुन लें । मैंने आज एक विशेषाधिकार का प्रश्न दिया था । मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं । वह यह था कि हमारे माननीय सदस्य श्री बागड़ी ने बाढ़ के मसले पर बोलते हुए प्रसंगवश प्रधान मंत्री के ऊपर २५००० रुपये रोजाना खर्च होने वाली बात उठाई थी । उसको उपाध्यक्ष महोदय ने निकाल दिया, ऐक्सपंज कर दिया । कार्य संचालन सम्बन्धी जो ३८० नम्बर की प्रक्रिया है . . .

अध्यक्ष महोदय : उसमें आप चाहते क्या हैं ? आप उस सम्बन्ध में मेरे पास क्या कोई अपील रख रहे हैं .....

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : मैं औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं । वह यह है कि माननीय सदस्य आपसे विनिर्णय बदलने को नहीं कह सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आपने विशेषाधिकार का प्रश्न तो उठाया था और डिप्टी स्पीकर साहब ने उस पर फैसला दे दिया । यह पहले भी मेरे सामने लाया गया है । मैंने आपसे उसी वक्त विनती की थी कि यह मेरे अधिकार में नहीं है कि जो डिप्टी स्पीकर साहब ने फैसला किया उसको रिवाइज कर सकूं, रैव्यू कर सकूं या बदल सकूं । आप वही सवाल फिर यहां उठाना चाह रहे हैं । यह मेरे अधिकार में नहीं है कि हाउस में प्रीसाइडिंग आफिसर ने जो फैसला पहले कर दिया है उसको मैं किसी तरह से बदल सकूं या उसको रैव्यू करूं । मैंने माननीय सदस्य को इस बारे में इत्तिला भी दे दी है कि मैंने उसमें दखल देने से इंकार कर दिया है । बाकी दो मेम्बर साहब उठे उनको मैंने बन्द किया । आप से भी यही कहता हूं कि आप इस बात को न उठायें क्योंकि मैंने आपको इसे उठाने की मंजूरी नहीं दी है ।

श्री राम सेवक यादव : मैंने एक निवेदन किया आपने उसे अस्वीकार कर दिया । अब उससे मेरी सहमति है या असहमति, उस बारे में मैं आपसे असहमत होते हुए भी आपके उस आदेश को मानता हूं । लेकिन हम एक प्रश्न उठाना चाहते हैं और वह यह है कि हम चाहते हैं कि आपकी कोई इस पर व्यवस्था हो, मार्ग दर्शन हो क्योंकि ३८० नियम साफ यह कहता है :—

> "यदि अध्यक्ष की यह राय हो कि वाद-विवाद में कोई ऐसा शब्द या ऐसे शब्द प्रयुक्त किये गये हैं जो मानहानिकारक या अशिष्ट या असंसदीय या अभद्र है तो वह, स्वविवेक से, आदेश दे सकेगा कि ऐसा शब्द या ऐसे शब्द सभा की कार्यवाही में से निकाल दिये जायें ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

अब उस में अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो अथवा सभापति महोदय हों, वह कैसे शब्दों को निकालेंगे, किस तरह के वाक्यों को निकालेंगे, उस अधिकार और उस शक्ति का इसमें वर्णन है। अब श्री बागडी के शब्द जो कि निकाले गये वह इस परिधि के अन्तर्गत नहीं आते ह .....

अध्यक्ष महोदय : मैं समझ गया जो माननीय सदस्य कहना चाहते हैं।

श्री राम सेवक यादव : मेरा पूरा निवेदन तो सुन लें।

अध्यक्ष महोदय : अब ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अब माननीय सदस्य मुझे भी सुन लें।

आपने कहा कि जो शब्द बागड़ी जी ने कहे थे वह इस रूल के मुताबिक नहीं निकलने चाहिएं थे। अब मेरा इसके मुताल्लिक यही कहना है कि इसका फैसला कौन करेगा कि वह शब्द इसमें आते है या नहीं। जाहिर है कि इसका फैसला तो वही कर सकता है जोकि यहां कुर्सी पर बैठा हो चाहे वह चेअरमैन हो, चाहे डिप्टी स्पीकर हो या खुद स्पीकर हो। अब डिप्टी स्पीकर साहब जो कि उस मौके पर कुर्सी पर थे उन्होंने यह समझा कि बागड़ी साहब के वह अल्फाज इस ३८० नियम में आते हैं और उन्होंने उनको निकालने का फैसला दे दिया। अब उस फैसले पर फिर गौर नहीं हो सकता। उस पर फिर सोचा नहीं जा सकता। मेरे अधिकार में नहीं है कि अब मैं इसकी व्यवस्था दूं कि वे शब्द उस रूल में आते हैं या नहीं। इस बात पर अब चर्चा नहीं हो सकती है।

श्री राम सेवक यादव : मेरा निवेदन यह नहीं है .....

अध्यक्ष महोदय : अब बेकार आप इसको खींचे चले जा र है। अब इस बात को यहां नहीं छेड़ा जा सकता क्योंकि जो उस वक्त कुर्सी पर मौजूद थे उन्होंने जो फैसला किया उस दिन ३८० का वही फैसला कतई है। अब मेरे अधिकार में नहीं है कि कुछ मैं आपसे सुन सकूं और उस पर कोई फैसला दे सकूं। मैं कोई कोर्ट आफ अपील नहीं हूं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं आपने यह परम्परा कायम की है कि जहां तक हो सभा की कार्यवाही से कोई शब्द न हटाये जायें ताकि भावी संतति स्वयं निर्णय करे कि संसद में क्या हुआ है। अतः उपाध्यक्ष को भी आपके ही चरणचिन्हों पर चलना चाहिये। क्या आप इस मामले में उपाध्यक्ष को परामर्श नहीं दे सकते है।

†**अध्यक्ष महोदय** : निस्संदेह मैंने उक्त शब्द कहे थे तथापि ऐसे अवसर आते हैं जब कि कुछ शब्दों को कार्यवाही से हटाना अनिवार्य हो जाता है। उस समय जो भी व्यक्ति पीठासीन होगा उसके निर्णय को ही मान्य समझा जायेगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : मैं एक विषय में जानकारी चाहती हूं। दि इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक वक्तव्य में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार का यह कथन है कि वे भूमि राजस्व विधेयक को योजना आयोग के सुझाव पर ला रहे है अतः मैं जानना चाहती हूं कि वास्तविक स्थिति क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय सदस्या इस विषय में जानकारी चाहती थीं तो उन्हें पहले सूचना देनी चाहिय थी यदि वे सूचना नहीं दे सकीं तो अब दे सकती हैं जिससे कि आज ही बाद में किसी समय यह लिया जावे। अब हम आगे की कार्यवाही पर आते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा पटल पर रखे गये पत्र

मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं के बारे में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही बताने वाले विवरण

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं विभिन्न अधिवेशनों में जोकि प्रत्येक के सामने बताये गये हैं मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाला निम्नलिखित विवरण सभा-पटल पर रखता हूं:—

(एक) विवरण संख्या १	दूसरा सत्र, १९६२ (तीसरी लोक-सभा)
(दो) अनुपूरक विवरण संख्या ३	पहला सत्र, १९६२ (तीसरी लोक-सभा)
(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या ६	पन्द्रहवां सत्र, १९६१ (दूसरी लोक-सभा)
(चार) अनुपूरक विवरण संख्या ७	चौदहवां सत्र, १९६२ (दूसरी लोक-सभा)
(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या १५	तेरहवां सत्र, १९६१ (दूसरी लोक-सभा)

[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १०४ से १०८]

औचित्य प्रश्न के बारे में

श्री बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। एक्सपंक्शन के बारे में जो आपने कहा है .....(*Interruptions*)

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या कोई अन्य औचित्य प्रश्न है ?

श्री बागड़ी : अभी एक्सपंक्शन के बारे में जो वार्तालाप चल रहा था, उसमें मुझे एक बात कहनी है कि जो लफ्ज एक्सपंज किये जायें, उनको प्रोसीडिंग्ज में लिख कर उनके आगे लिख दिया जाय कि वे लफ्ज एक्सपंज किये जायेंगे। जो तरीका इस वक्त अख्तियार किया जा रहा है, उससे इस बात का क्या पता चल सकता है कि मैंने कौन से शब्द कहे थे ?

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। मैंने आपका प्वाइंट आफ आर्डर सुन लिया है। अब आप बैठ जाइये।

श्री बागड़ी : एक प्वाइंट आफ आर्डर और है। (**अन्तर्वाधा**)

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य पहले प्वाइंट आफ आर्डर का जवाब सुनना नहीं चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि उनको यकीन है कि यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

अब दूसरा प्वाइंट आफ आर्डर कहिए ।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कालिंग अटेन्शन नोटिस दिये हैं, ...

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस बात को नहीं उठा सकते । उसकी इत्तिला उनको दे दी गई है । इसमें कोई प्वाइंट आफ आर्डर एराइज़ नहीं होता । अब माननीय सदस्य बैठ जायें । उनको इस तरह बार बार खड़े हो कर रुकावट नहीं डालनी चाहिए ।

श्री मनुभाई शाह ।

श्री बागड़ी : आप मेरी बात सुन तो लीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने जो नोटिस भेजे हैं, उनके बारे में इत्तिला उनको दे दी गई है । वह बार-बार उसी बात को उठा रहे हैं ।

श्री बागड़ी : मैंने वह प्वाइंट आफ आर्डर तहरीरी इत्तिला न मिलने के बारे में उठाया था । आपने कहा था कि मेम्बरों को तहरीरी इत्तिला दी जायगी, लेकिन मुझे तहरीरी इत्तिला नहीं मिली है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बैठ जायें । तहरीरी इत्तिला हर बात पर देना मुमकिन नहीं हो सकता । इस बात के लिये मैं माफी चाहूंगा कि अगर हर एक मेम्बर साहब इस बात पर ज़ोर दें कि जो इतने नोटिस दिये जाते हैं, मैं उन सबको तहरीरी इत्तिला दूं, तो मुश्किल हो जायेगा । मैं दरख्वास्त करूंगा कि माननीय सदस्य जवानी इत्तिला पर ही एतवार कर लिया करे ।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : मैंने पूर्णिया में नैपाली पुलिस द्वारा दो भारतीय राष्ट्रिकों को पीटे जाने के सम्बन्ध में एक अविलम्बनीय महत्व की सूचना दी थी । वदेशिक-कार्य मंत्रालय ने अभी अभी यह सूचना दी है कि जानकारी न मिलने के अभाव में स्वीकृत नहीं किया जा सकता है । मैं इस सम्बन्ध में आपकी राय जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा ।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, वैसे ये कालिंग अटेन्शन प्नोटिस . . . .

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर । मैं हुक्म देता हूं कि माननीय सदस्य बैठ जायें और कार्यवाही को चलने दें ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

नारियल जटा बोर्ड के प्रमाणित लखे; रबड़ (द्वितीय संशोधन) नियम

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) नारियल-जटा उद्योग अधिनियम, १९५३ की धारा १७ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत वर्ष १९६०–६१ के लिये नारियल-जटा बोर्ड एरणाकुलम के प्रमाणित लेखे और उन पर लेखा-परीक्षा रिपोर्ट ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ४३४/६२]

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मनुभाई शाह]

(दो) रबड़ अधिनियम, १९४७ की धारा २५ की उप-धार (३) के अन्तर्गत दिनांक १ सितम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११६२ में प्रकाशित रबड़ (दूसरा संशोधन) नियम, १९६२ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० ४३५/६२]

हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स का वार्षिक प्रतिवेदन और कम्पनी के कार्य संचालन के बारे में सरकार की समीक्षा

†**श्री मनुभाई शाह** : श्री कानूनगो की ओर से मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, बम्बई की वार्षिक रिपोर्ट लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महा लेखापरीक्षक टिप्पणियों सहित ।

(दो) उपरोक्त कम्पनी के कार्य-संचालन के बारे में सरकार की समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ४३६/६२]

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक १९ मई, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ६७८ ।

(दो) दिनांक २६ मई, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ७०२ ।

(तीन) दिनांक ९ जून, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ७५५ ।

(चार) दिनांक २८ जुलाई, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ९९६ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ४३७।६२]

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : मैं कर्मचारी भविष्य अधिनियम, १९५२ की धारा ४ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत उक्त अधिनियम को काजू उद्योग पर लागू करने वाली दिनांक २५ अगस्त, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११२५ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ४३८।६२]

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय सरकार औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों के कार्यसंचालन पर वार्षिक प्रतिवेदन

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं वर्ष १९६०–६१ के लिये केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों के कार्य-संचालन पर वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ४३९/६२]

भारतीय और राज्य प्रशासन सेवाओं तथा जिला प्रशासन की समस्या के बारे में प्रतिवेदन

†**श्री दातार** : श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् की ओर से मैं भारतीय और राज्य प्रशासन सेवाओं तथा जिला प्रशासन की समस्या के बारे में श्री वी० टी० कृष्णमाचारी के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[सभा पटल पर रखी गई । देखिये सख्या एल० टी० ४४०/६२]

समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार का वार्षिक प्रतिवेदन

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)** : मैं भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार का वार्षिक प्रतिवेदन, १९६२ (भाग १) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ४४१/६२]

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के वार्षिक लेखे

†**परिवहन और संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : श्री मैं भगवती की ओर से वायु निगम अधिनियम, १९५३ की धारा १५ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के वर्ष १९५९–६० के वार्षिक लेखे की एक प्रति उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सहित सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ४४२/६२]

†**श्री मुरारका** (झुंझनूं) : आप के कल के आदेश के अनुसार क्या देरी का कारण बताने वाला विवरण भी सभा पटल पर रख दिया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने कहा था कि यदि पत्र सभा पटल पर रखने में अनावश्यक देरी हो, तो देरी बताने वाले वक्तव्य सभा पटल पर रखना चाहिये।

†**श्री जगजीवन राम** : इस में कोई देरी नहीं हुई है। हमेशा ऐसा ही होता रहा है।

†**श्री मुरारका** : प्रतिवेदन १९५९–६० के लिए है और अब सितम्बर, १९६२ है।

†**श्री जगजीवन राम** : कई वर्षों से ऐसा होता रहा है।

†**श्री मुरारका** : तब भी यह नहीं कहा जाता कि कोई देरी नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सरकार को कब मिली थी ?

†**श्री जगजीवन राम** : मुझे सही पता नहीं है। कुछ महीने पहले मिली होगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : बाद में इस का पता कर लिया जायगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

संसदीय समितियों के कार्यवाही सारांश

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

†**श्री कृष्णमूर्ति राव** (शिमोगा) : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की दूसरे अधिवेशन में हुई बैठकों (पहली से तीसरी) के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

†**श्री मुरारका** (झुंझनू) : मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति की तीसरी लोक-सभा के दूसरे अधिवेशन में हुई पहली बैठक के कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

राज्य सभा से संदेश

†**सचिव** : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :—

(एक) कि राज्य सभा ४ सितम्बर, १९६२ की अपनी बैठक में अधिवक्ता (तीसरा संशोधन) विधेयक, १९६२ से, जो लोक-सभा द्वारा २४ अगस्त, १९६२ को पास किया गया था, बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

(दो) कि राज्य सभा ४ सितम्बर, १९६२ की अपनी बैठक में प्रत्यर्पण विधेयक, १९६२ से, जो लोक-सभा द्वारा ८ अगस्त, १९६२ को पास किया गया था, बिना किसी सशोधन के सहमत हो गई है।

(तीन) कि राज्य सभा ५ सितम्बर, १९६२ की अपनी बैठक में भमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, १९६२ से, जो लोक-सभा द्वारा ३० अगस्त, १९६२ को पास किया गया था, बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

(चार) कि राज्य सभा ६ सितम्बर, १९६२ की अपनी बैठक में भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक, १९६२ से, जो लोक-सभा द्वारा ३ सितम्बर, १९६२ को पास किया गया था, बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

(पांच) कि राज्य सभा ४ सितम्बर, १९६२ की अपनी बैठक में ईसाई विवाह और वैवाहिक कारण, विधेयक, १९६२ सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित होने की लोक-सभा की सिफारिश से सहमत हो गई और उसने उक्त संयुक्त समिति में काम करने के लिये निम्नलिखित सदस्यों को मनोनीत किया है :—

१. राजकुमारी अमृत कौर

२. श्री जयरामदास दौलतराम

---

†मूल अंग्रेजी में

३. श्री ए० सी० गिलबर्ट

४. श्रीमती जहांनारा जयपाल सिंह

५. श्री दयाल दास कुड़े

६. श्री बंसी लाल

७. श्री ए० डी० मनी

८. श्रीमती उमा नेहरू

९. श्री मुल्क गोविन्द रेड्डी

१०. श्री एम० एच० सेमुअल

११. श्री एम० सी० शाह

१२. श्री अवधेश्वर प्रसाद सिंह

१३. श्री पी० ए० सोलोमन

१४. श्री थोमस श्रीनिवासन

१५. श्री ए० एम० तारिक

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

†**सचिव** : मैं ६ अगस्त, १९६२ को सभा को दिये गये अन्तिम प्रतिवेदन के बाद संसद् की दोनों सभाओं द्वारा चालू अधिवेशन में पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९६२ ।

(२) विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९६२ ।

अधीनस्थ विकास संबंधी समिति

पहला प्रतिवेदन

†**श्री कृष्णमूर्ति राव** : (शिमोगा) मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

प्राक्कलन समिति

पहला और दूसरा प्रतिवेदन

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय—भाग ३—राष्ट्रीय एटलस संगठन, भारत का सर्वेक्षण आदि के बारे में प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दासप्पा]

सभा) की इक्यास्सीवीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में पहला प्रतिवेदन ।

(दो) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, रांची के बारे में प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) के तेंतीसवें और सत्तास्सीवें प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में दूसरा प्रतिवेदन ।

तारांकित प्रश्न संख्या १४११ के उत्तर में शुद्धि

†**खाद्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : श्री उ० मू० त्रिवेदी ने निम्नलिखित अनुपूरक प्रश्न पूछा था :—

"क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का विचार भारत भर में भूमि अर्जन के लिए एक ही कानून बनाने और विभिन्न राज्यों द्वारा अब तक संशोधित रूप में सब कानूनों का समेकन करने का है ।"

उत्तर में मैं ने इस प्रकार कहा था :—

"१८९४ का वर्तमान भूमि अर्जन अधिनियम, जोकि उच्चतम न्यायालय के निर्णनयन का विषय रहा है, सारे देश में लागू है ।"

सही स्थिति इस प्रकार है कि १८९४ का भूमि अर्जन अधिनियम, उन क्षेत्रों को जो नवम्बर १, १९५६ से पहले भाग (ख) राज्य बना दिये गये, छोड़ कर सारे भारत पर लागू होता है । यह जम्मू और काश्मीर पर भी लागू नहीं होता है । चूंकि भूमि समवर्ती सूची में है, अतः राज्य सरकारों ने भतपूर्व भाग (ख) राज्य के क्षेत्रों के सम्बन्ध में कानून बना दिये हैं । भूतपूर्व (क) राज्यों में भी कुछ मामलों में १८९४ के अधिनियम का संशोधन कर दिया गया है ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री ने पहले ही २१ अगस्त, १९६२ को लोक-सभा में भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, १९६२ पर चर्चा के दौरान में सही स्थिति बतला दी है ।

प्रश्न संख्या १६२६ के उत्तर की शुद्धि

†**सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ)**: २२ जून, १९६२ का प्रश्न संख्या १६२६ पर अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में मैं ने कहा था कि "२० किलोवाट शौर्टवेव ट्रांसमिटर को लगाने में ३ से ४ महीने और लगेंगे ।" सही स्थिति जोकि २९ मई, १९६२ को अतारांकित प्रश्न संख्या २१५६ को दिये गये उत्तर में दी गई है इस प्रकार है कि त्रिवेन्द्रम में २० किलोवाट शौटवेव ट्रांसमिटर १९६३-६४ में लगाया जायगा ।

डुमरांव रेलवे दुर्घटना के सम्बन्ध में जांच आयोग के बारे में वक्तव्य

†**रेलवे मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: सरकर द्वारा डुमरांव में ६ डाउन अमृतसर-हावड़ा मेल के साथ हुई दुर्घटना की जांच करने के लिये नियुक्त किये गये जांच आयोग की सुनवाई स्थगित

---

†मूल अंग्रेजी में

किये जाने के लिये जिम्मेदार परिस्थितियों के सम्बन्ध में सभा में ३१-८-६२ को एक वक्तव्य दिया गया था ।

आयोग के अनुसार आयोग के आगे और फौजदारी न्यायालय के आगे सुनवाई साथ साथ नहीं हो सकती ।

इस मामले पर बिहार सरकार के साथ मिल कर अग्रेतर विचार किया गया जिस ने अब यह कहा है कि डुमरांव के दो केबिनमैनों के विरुद्ध आरोप अभी तक तैयार नहीं किये गये हैं । बिहार सरकार उस जफौदारी के मुकदमे को वापस लेने के लिए कदम उठा रही है । जैसे ही मामले की वापसी से संबंधित आवश्यक कार्रवाई पूरी हो जायेगी, आयोग अपनी सुनवाई पुनः प्रारम्भ कर देगा ।

कच्चा लोहा और इस्पात के प्रतिधारण मुल्यों के बारे में वक्तव्य

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)**: प्रथम अप्रैल, १९६० से ३१ मार्च, १९६२ तक की अवधि के लिये इस्पात के सामान्य प्रतिधारण मूल्य निर्धारित करने का प्रश्न १३ मार्च १९६१ को प्रशुल्क आयोग को निर्दिष्ट किया गया था । इसी प्रकार का प्रश्न १९५५ में भी प्रशुल्क आयोग को दिया गया था। प्रथम फरवरी १९५६ को अपने संकल्प संख्या एस० सी० (ए) —२(१४९)५५ द्वारा सरकार ने प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था । दो मुख्य उत्पादकों को देने के लिये ३९३ रुपये प्रति टन का मूल्य निर्धारित किया गया । फिर कीमतें बढ़ गईं । मार्च १९६० में यह उत्पादन प्रशुल्क सहित ४७४ रुपये ५९ नये पैसे थी । उस समय जो कीमतें निर्धारित की गईं वे १९५५-५६ से ले कर १९५९-६० के अन्त तक पांच वर्षों के लिए थीं ।

इस मामले को पुनः १३ मार्च, १९६१ के दिन प्रशुल्क गायोग को सौंपा गया । उन्हें कहा गया कि वह जांच कर के सिफारिश करे कि इस्पात समवायों के साथ विभिन्न करारों का ध्यान रखते हुए **प्रथम** अप्रैल, १९६० से ३१ मार्च, १९६२ तक इस्पात की क्या कीमतें निर्धारित करे । दूसरा टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड तथा इंडियन आयरन और स्टील कम्पनी लिमिटेड को जो विशेष पेशगियां दे रखी हैं उस के लिये और अतिरिक्त क्या वसूल करे । इसी उद्देश्य से १-४-६० से ३१-३-६२ तक के मूल्यों के लिए भी प्रथम अगस्त १९६१ को यह मामला प्रशुल्क आयोग को सौंपा गया था । सारे मामले पर विचार कर के उन्हों ने ५१२ रुपये प्रति टन का मूल्य निर्धारित किया था जोकि अस्थायी था ।

प्रशुल्क अयोग ने जांच कर के अप्रैल १९६२ के अन्त में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और निम्नलिखित मुख्य मुख्य सिफारिशें उन्हों ने प्रस्तुत कीं :—

(१) सभी विशेष बातों को देखते हुए ब्याज इत्यादि को लगा कर १९६०-६२ का मूल्य ५५० रुपये प्रति टन होना चाहिये । यह निर्धारण सभी बातों का तुलनात्मक अध्ययन कर के किया गया था । प्रशुल्क आयोग ने १९६०-६२ के लिए विशेष ब्लाक के लिए १३०० रुपये प्रति टन बिक्री मूल्य को ठीक बताया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री चि० सूब्रह्मण्यम्]

(२) ८ प्रतिशत नफे पर जोकि १३०० रुपये प्रति टन मूल्य पर ब्याज समेत होता है ५ प्रतिशत व्यय के बराबर है ।

(३) गत २० वर्षों की एक जैसी अदायगी और विशेष रियायतों को देखते हुए विशेष पेशगी ८ रुपये प्रति टन की हो सकती है । ५५० प्रति टन के मूल्य में भी सभी बातें सम्मिलित हैं ।

(४) इस्पात का उचित मूल्य १९६०-६२ के लिए ३४४ रुपये प्रति टन है जिस में विशेष अदायगी और ८ प्रतिशत का ब्याज शामिल है ।

(५) कच्चे लोहे की कीमतों में आयोग की सिफारिशों से ३ प्रतिशत की वृद्धि हो गई ।

इस के अतिरिक्त बाकी सिफारिशें छोटी छोटी थीं और उन का सम्बन्ध इस्पात उत्पादन से था ।

आयोग की सिफारिशों की भली प्रकार जांच कर के सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि १९६०-६२ की अवधि के लिये १३०० रुपये प्रति टन का ब्लाक स्वीकार करना उचित नहीं है । इसलिये सरकार ने प्रतिधारण मूल्य ११७६ रुपये प्रति टन के ब्लाक पर आधारित करने का निर्णय किया है । यह आंकड़ा इस आधार पर निकाला गया है कि संयंत्र ९० प्रतिशत क्षमता, जैसाकि प्रशुल्क आयोग ने उल्लेख किया है, के बजाय १०० प्रतिशत क्षमता से कार्य करेंगे और सरकार द्वारा कम्पनियों को दी गई विशेष पेशगियां "कैपिटल ब्लाक' में से निकाल दी गई हैं ।

इन निर्णयों के परिणामस्वरूप मुख्य उत्पादकों द्वारा उत्पादित इस्पात चाहे वह गैर-सरकारी क्षेत्र में हो अथवा सरकारी क्षेत्र में, का औसत प्रतिधारण मूल्य १ अप्रैल, १९६० से ३१ मार्च, १९६२ तक की अवधि के लिये ५२२.५० रुपये प्रति मीट्रिक टन की समान दर पर निश्चित किया जायेगा जिस का मतलब यह है कि वह पहले निश्चित किये गये अन्तःकालीन मूल्य से ३८ रुपये प्रति मीट्रिक टन के बजाय, जैसाकि प्रशुल्क आयोग ने सिफारिश की थी, १०.५० प्रति मीट्रिक टन अधिक होगा । आयोग द्वारा विभिन्न श्रेणियों के इस्पात के लिये सिफारिश किये गये विस्तृत निर्धारण मूल्यों में उपरोक्त निर्णय के अनुसार उपयुक्त कमी कर दी जायेगी । कोई गलतफहमी न रहने देने की दृष्टि से सरकार यह स्पष्ट कर देना चाहती है कि विभिन्न श्रेणियों के इस्पात के जनता को बिक्री के लिये मूल्य मुख्य उत्पादकों को देय प्रतिधारण मूल्य बढ़ाने के निर्णय के परिणामस्वरूप नहीं बढ़ाये जायेंगे ।

जहां तक इस्पात पिण्डों के प्रतिधारण मूल्य का संबंध है, इस प्रकार के कारखानों से सरकार वह मूल्य ३२६ रुपये प्रति मीट्रिक टन निश्चित करना चाहती है ।

सरकार ने निर्णय किया है कि १९६०-६२ अवधि के लिये निश्चित किये जाने वाले मूल्य अस्थायी तौर से १ अप्रैल, १९६२ के बाद भी कुछ परिवर्तनों सहित लागू होने चाहियें । इन परिवर्तनों के दो कारण हैं :—

(१) कोयले के संविहित मूल्य में हाल में की गई वृद्धि और (२) १ जुलाई, १९६२ से रेलवे भाड़ में वृद्धि । उन परिवर्तनों का प्रभाव शीघ्र घोषित कर दिया जायेगा ।

१ अप्रैल, १९६२ के बाद की अवधि के लिये निश्चित किये जाने वाले अन्तिम मूल्य अग्रेतर विचार किये जाने के पश्चात किये जायेंगे ।

सरकार को इस बात का खेद है कि प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन पर निर्णय करने में देरी हो गयी । इसका कारण इन समस्याओं की जटिलता थी । इन मूल्यों की घोषणा करने वाला सरकारी प्रस्ताव आज जारी किया जा रहा है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती:** (बेरेकपुर) : मैं यह जानना चाहती हूं कि प्रशुल्क आयोग ने सारे व्यय का अनुमान लगाया है और क्या उस अनुमान पर सरकार विचार करेगी ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : इन अनुमानों से बिक्री मूल्य में किसी प्रकार की वृद्धि होने की सम्भावना नहीं । प्रशुल्क आयोग ने सिफारिश की थी कि १३०० रुपये का आधार ८ प्रतिशत होना चाहिए । ९० प्रतिशत नहीं । १०० प्रतिशत कार्य पर विचार किया जाना चाहिए ।

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसाट) : क्या यह ८ प्रतिशत लाभ सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्रों पर लागू होगा ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : जी हां, दोनों क्षेत्रों पर लागू होगा । नये और पुराने संयंत्रों की कीमतों में भी कोई भेदभाव नहीं होगा । परन्तु जो करार हुआ है, उसकी अवधि ३१ मार्च, १९६२ इसके बाद हम मुनासिब अपेक्षित परिवर्तन कर सकते हैं ।

संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

'कि राज्यसभा की इस सिफारिश से कि लोक-सभा मुकदमों तथा अन्य कार्यवाहियों के परिसीमन सम्बन्धी विधि को समेकित और संशोधित करने तथा तत्सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो, सहमत होते हुए बुधवार ५ सितम्बर, १९६२ को स्वीकार किये गये प्रस्ताव में से निम्नलिखित सदस्यों के नाम जो उपर्युक्त संयुक्त समिति में काम करने के लिये मनोनीत किये जाने वाले लोक सभा के सदस्यों की संख्या से अधिक हैं, निकाल दिये जायें और ५ सितम्बर, १९६२ को राज्य सभा को भेजे गये संदेश में आवश्यक शुद्धि करके एक संदेश उस सभा को भेजा जाये :— श्री प्र० चं० बरुआ, श्री भोला राउत, श्रीमती सुभद्रा जोशी, श्री वीरभद्र सिंह, श्री गोपाल दत्त मैंगी, श्री अब्दुल वहीद, श्रीमती संगम लक्ष्मी बाई, श्री विशन चन्द्र सेठ, श्री फ्रैंक एन्थनी और श्री त्रिविब कुमार चौधरी ।

मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं, बात यह है कि जब इस सम्बन्ध में राज्य सभा का सन्देश आया और लोक सभा से संयुक्त समिति पर २० सदस्य मनोनीत करने को कहा था । परन्तु सूची ३० सदस्यों की चली गयी । अतः अब उसमें यह शुद्धि करनी पड़ी । गलती से अधिक नाम चले गये, उन्हें वापिस लेना पड़ा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : यह बड़ा गम्भीर मामला है। इस बात को साधारण सी बात नहीं समझा जाना चाहिए। यह भूल नहीं, बहुत बड़ी भूल है।

श्री म० ला० द्विवेदी (हमीरपुर) : औन ए प्वाएंट औफ आर्डर, सर। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि रूल्ज औफ प्रोसीज्योर की ३३८ धारा में यह लिखा हुआ हैं,

> "किसी प्रस्ताव मैं ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिये जो सारवान राय से उस प्रश्न के समान हो जिस पर सभा उसी सत्र में विनिश्चय कर चुकी है।"

मेरा कहना यह है कि इसी विषय पर मंत्रालय ने निर्णय ले लिया है। जब सदन के इसी सेशन में कुछ निर्णय हो चुका है तब इस पर दूसरा प्रस्ताव नहीं आ सकता जो कि ला मिनिस्टर ले आये हैं। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि मंत्री महोदय का यह प्रस्ताव न लिया जाये क्योंकि इस विषय पर हम निर्णय ले चुके हैं।

दूसरी बात मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पेज ६६२ पर लिखा है कि अगर सदन चाहे तो यह कर सकता है कि वह दूसरे सदन को यह सलाह दे कि बजाय २० के यहां पर ३० सदस्य रखे जांय और राज्य सभा से पांच सदस्य और बढ़ा दिये जांय। इस के लिए मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में पेज ६६२ पर यह लिखा हुआ है :—

> "दोनों में से किसी भी सदन ने अपनी समिति में अधिक सदस्य रखे हैं और दूसरे सदन को इसकी सूचना दी तथा दूसरे सदन ने इसे स्वीकार कर लिया।"

हमारी प्रक्रिया और हाउस आफ कामन्स की जो प्रक्रिया है दोनों सलाह देती हैं कि हमारे माननीय गृह मंत्री ने जो प्रस्ताव रखा है यह न किया जाये बल्कि उस के बदले में एक दूसरा प्रस्ताव रखा जायें कि दूसरे सदन से ५ सदस्य बढ़ा दिये जांयें। मुझे केवल यही निवेदन करना था।

अध्यक्ष महोदय : अब उन्होंने मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस का हवाला दिया है। मालूम नहीं कि वह कौन से सफे से पढ़ते रहे . . . .

श्री म० ला० द्विवेदी : ६६२ पेज से मैं ने पढ़ा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप को उसी मेज के ४१६ पेज पर लाता हूं। वहां मौडिफिकेशन औफ रेजोलूशन की हैडिंग में यह दिया हुआ है कि उसी सत्र में लिये गये निर्णय को बदला नहीं जा सकता। अब बात यह हुई कि उन्होंने हम से मांगा कि २० मेम्बर हम को भेजो और उन्होंने कहा कि यह हाउस कौनकर करे इत्तिफाक करे। ऐडाप्ट उन्होंने कर लिया कि २० मेम्बर होंगे लोक सभा के। फैसला तो उनका हो गया। अब हम ने तो यहां सिर्फ कौनकर करना था। हमें यह तय करना था कि हम उस में शामिल होने के लिए तैयार हैं या इंकार करते हैं। हमें सिर्फ यही करना था कि अगर हम उससे इत्तिफाक करते हैं और शामिल होने को तैयार हैं तो वह बीस नाम हम दे दें। यहां गलती इस बात की हुई कि २० की जगह आम तौर पर ४५, १५ या ३० होते हैं। शायद किसी ने गलती की। गलती बड़ी अफसोसनाक है। ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। वाकई इस बात का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हाउस में जब आने लगे तो उसकी ज्यादा ऐहतियात और पड़ताल की जायें। जो भी उसके मिनिस्टर इन चार्ज हों, जिन्हें उसे पेश करना हो लाजिमी तौर पर ज्यादा अहतियात बर्त्तें। ऐसी गलती नहीं आनी चाहिए। उन से वह गलती हुई। अब हमारे सामने सिर्फ सवाल यह है कि रेजोलशन उन का राज्य सभा का है कि

---

†मूल अंग्रेजी में

२० मेम्बर्स शामिल होंगे तो या तो २० मेम्बर्स हम शामिल करें तब तो उस पर चलें अगर नहीं क ें तो २० मेम्बर्स का जो उनका रेजोलूशन है उससे तो हम कौनकर नहीं कर सकते . . . .

श्री म० ला० द्विवेदी: मेरा निवेदन है कि जब सदन प्रार्थना की थी कि हम २० सदस्य उन को दें और हम उस में कौनकर करे लेकिन इस सदन ने यह उचित समझा कि बजाय २० सदस्य के हम ३० सदस्य नामजद करे इसलिए ३० सदस्य नामजद किये । अब यह जो कहा जा रहा है कि गलत रख दिये तो मेरा कहना है कि जब सदन इस सम्बन्ध में निर्णय ले चुका है तब उसको पलटना ठीक नहीं है । अगर सदन ने यह निर्णय न लिया होता और उस समय इस ओर ध्यान दिलाया होता तो दूसरी बात थी । किसी ने उस समय आपत्ति नहीं की ।

आप ने इस धारा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया . . . .

अध्यक्ष महोदय : आप ने मुझे उस के बारे में कहने ही नहीं दिया, बीच में ही मुझे काट दिया । मैं धारा की तरफ कहां ध्यान देता ? अब जो धारा आप मेरे सामने लाये हैं उस ३३८ धारा मैं यह दिया हुआ है । उसके बारे में यह है कि यह तो वहां कौनकरेंस का जो मोशन था हम ने उस से कौनकर किया । अगर हम कौनकरेंस को उलटना चाहें तो यह दूसरा मोशन उसको उलट रहा है । यह उस रेजोलूशन में हैं कि हम कौनकर करते हैं । यह अपने ही रेजोलशन में जो हम ने फैसला लिया है उसमें पेटेंट गलती है कि एक पोर्शन में हम कहते हैं कि राज्य सभा से कौनकर करते हैं जिसका कि मतलब यह है कि २० मेम्बर्स देते हैं और दूसरे में नीचे जाकर ३० लिख कर दे देते हैं । इस तरह हमारे रेजोलूशन में जो पेटेंट गलती और कनफ्लिक्ट है वह हमें दुरुस्त करना चाहिए । जो पेटेंट ऐरर है उसको दुरुस्त करने का इंसान को हर वक्त हक हासिल है । अब अदालत बजाय मुलजिम को इतनी सजा दी जाती है जल्दी में यह लिख दिया जाये कि मुस्तगीज को सजा दी जाती है तो अदालत इस पेटेंट गलती को सही कर सकती है । यह नहीं कि मुस्तगीज को ही सजा हो जायगी । ऐसी पेटेट ऐरर को चाहे कोर्ट हो अथवा हाउस हर वक्त दुरुस्त कर सकता हैं ।

इस वक्त हमारे सामने जो सवाल है वह यह है कि रेजोलशन मैं ही एक पेटेंट गलती है । हम ने एक डिसीशन जो लिया वह ठीक नहीं लिया । डिसीशन में साफ तौर पर एक गलती है । हम ने ऊपर वाले हिस्से में लिखा है :—

"कि यह सभा राज्य सभा की सिफारिश से सहमत है ।"

उसमें आ गया कि हम बीस मेम्बर देने को तैयार हैं और नीचे नाम लिखते हैं तीस मेम्बर के । इसलिए यह ऐसी गलती है जोकि हर वक्त दुरुस्त की जा सकती है । आखिरी वक्त भी दोनों सूरतें हो सकती थीं । चाहे वह अपने रेजोलूशन को अमेंड करते या बिलकुल नये सिरे से रखते । मगर चूंकि हमारे रेजोलूशन में एक कनफ्लिक्ट है उनके में नहीं है इसलिए दुरुस्ती यहां होनी है । हम एक जगह लिखते हैं कि उनसे हम कौनकर करते हैं जिसका कि मतलब यह है कि हम बीस मेम्बर देते हैं लेकिन नीचे नाम लिखते हैं तीस मेम्बर्स के । यह ऐसी पेटेंट ऐरर है जोकि हर वक्त दुरुस्त कर सकते हैं । यह जो लाया गया हैं यह धारा ३३८ उसमें कोई बाधा नहीं डालती है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में यह कहता हूं कि हाउस की गलती सुधारने का अधिकार है इसमें कोई संशय नहीं है । लेकिन मेरा कहना है कि जब हाउस ने एक निर्णय ले लिया और उनसे कॉनकर करते हुए ३० मेम्बर्स का निर्णय ले लिया तब इसको दुरुस्त करने का दूसरा रास्ता यह भी है कि हम दूसरे सदन से यह प्रार्थना करें कि वह अपने सदस्यों

[श्री म० ल० द्विवेदी]

में पांच सदस्य और बढ़ा दें तो वह गलती भी दुरुस्त हो जायेगी और काम भी बन जायेगा । इसलिए हमको इजाजत दी जाये जिस तरीके से कि वित्त मंत्री को इजाजत दे रहे हैं कि वह एक प्रस्ताव पेश कर सकते हैं उसी तरह तरीक़े से- हमें यह इजाजत दी जाये कि हम एक आलटरनेट मोशन रख सकें जिससे कि दुरुस्ती हो जाये और सदन का जो फैसला है वह भी न कटे ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप या तो यह कहें कि हम कौनकर नहीं करते लेकिन अगर उनके साथ कौनकर करते हैं तब आप २० के बजाय ३० नाम दे सकते हैं । यह दोनों चीज़ें मुतजाद हैं । या तो कहिये कि कौनकर नहीं करते और अगर कौनकर करते हैं तो आपको २० देने होंगे ३० आप नहीं दे सकते हैं । यही बात मैं बारबार मेम्बर साहब को कह रहा हूं ।

एक माननीय सदस्य : जिसने गलती की उसे सजा तो होनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : अब सजा की बात यह है कि मैं ने गवर्नमेंट से कहा है कि इस बात का ऐहतियात रक्खा जाये कि हाउस में ऐसी गलती वाली चीज न पेश की जाये । अब जो यह रेजोलूशन स्पौंसर आते हैं उन साहब की गलती है जो ऐहतियात के साथ इसे हाउस में नहीं लाये और यह गलती उसमें रहने दी । इसलिए गलती उनकी ज्यादा है जिन्होंने कि इसे हाउस में पेश किया मगर गलती हम सब की भी है और हमें भी उस की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि किसी ने उसका ख्याल नहीं किया ।

इस के अलावा यह भी मुनासिब है कि जो मोशन दिया जाये तो उस मोशन के साथ नाम ज रुर आने चाहिएं । उसमें नाम नहीं दि ये हुए थे । नाम पीछे पढ़े गये । नाम मोशन के साथ साथ आने चाहिएं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

> "कि राज्य सभा की इस सिफारिश से कि लोक-सभा मुकदमों तथा अन्य कार्यवाहियों के परिसीमन संबंधी विधि को समेकित और संशोधित करने तथा तत्संबंधी प्रयोजनों के लिये विधेयक संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो, सहमत होते हुए बुधवार, ५ सितम्बर, १९६२ को स्वीकार किये गये प्रस्ताव में से निम्न-लिखित सदस्यों के नाम जो उपर्युक्त संयुक्त समिति में काम करने के लिये मनोनीत किये जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या से अधिक हैं, निकाल दिये जायें और ५ सितम्बर, १९६२ को राज्य सभा को भेजे गये संदेश में आवश्यक शुद्धि करके एक संदेश उस सभा को भेजा जाये :—
>
> श्री प्र० चं० बरुआ, श्री भोला राउत, श्रीमती सुभद्रा जोशी, श्री वीरभद्र सिंह, श्री गोपाल दत्त मेंगी, श्री अब्दुल वहीद, श्रीमती संगम लक्ष्मी बाई, श्री विशन चन्द्र सेठ, श्री फ्रैंक एन्थनी, श्री त्रिदिब कुमार चौधरी । "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रमजीवी पत्रकार (संशोधन) विधेयक

†**श्रम तथा रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्रम जीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) तथा विविध उपबन्ध अधिनियम १९५५ और श्रीजीवी पत्रकार (मजूरी की दरों का निर्धारण) अधिनियम १९५८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : मेरा निवेदन है कि सभा के कार्य की योजना और उसका कार्यान्वन ठीक ढंग से नहीं होता, यह भारत की संसद के लिए कोई गौरव की बात नहीं है। यदि हमें कार्य के लिए रात को भी बैठना पड़े तो हमें इसकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। दिल्ली की सुरक्षा स्थिति पर चर्चा करते हुए हमें यदि कुछ देर बैठना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं। दिल्ली के लोगों के पास तो विधान सभा भी नहीं, अत: उनके प्रति हमारा उत्तरदायित्व अधिक हो जाता है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : देहली की शान्ति व्यवस्था की स्थिति बड़ी खराब है। अत: इस पर कम से कम एक घण्टा चर्चा होनी चाहिए।

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसा सम्भव नहीं है। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित आदिम जाति आयोग के प्रतिवेदन पर केवल दो घण्टे चर्चा हुई है। ३ घण्टे और चर्चा होगी। गैर सरकारी सदस्यों की कार्यवाई २.३० बजे आरम्भ करनी है।

†**एक माननीय सदस्य।** ३–३०।

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसा कल निर्णय हुआ है। यदि माननीय सदस्य ३–३० बजे चाहते हैं तो सभा को ऐसा निर्णय करना है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं ने तो कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आदेश पत्र पर ऐसा है तो हम ६–३० बजे उठेंगे और गैर-सरकारी कार्यवाही ३–३० आरम्भ होगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री कामत ने कहा कि सरकार को कार्यवाई की योजना पहले तैयार करनी चाहिए। सभा को यह पता होना चाहिए कि कौन से विधेयकों पर चर्चा होगी। मुझे आशा है कि सरकार इतराजों को ध्यान में रखेगी और अपना कार्यक्रम इस प्रकार से तैयार करेगी कि माननीय सदस्यों को कोई कठिनाई न हो और उन्हें पहले ही पता होना चाहिए कि किन किन विषयों पर चर्चा करनी है। कभी कभी कोई गोपनीय विधेयक या संकटकालीन विधेयक लाया जा सकता है, परन्तु साधारणतया सभा को पहले पता होना चाहिए कि क्या कार्यवाही है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : लोक सभा का सत्र कितनी देर रहेगा यह निर्णय करने के लिए आप की राय ली जाती है या नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय**: जब सरकार को बहुमत प्राप्त होता है तो हरकार का कार्य करने के लिए संसद को बुलाया जाता है। गैर सरकारी सदस्यों के अधिकार तो हैं ही, परन्तु सब प्रजातन्त्रों में यह माना गया है कि सत्तारुढ़ दल ही इस बात का कार्यक्रम बनाता है कि सत्र कब होना चाहिए और कितना लम्बा होना चाहिए।

श्री मा० ला० वर्मा (चित्तौड़मढ़) : अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष महोदय: अब तो छोड़िये।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मा० ला० वर्मा: मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आपका फैसला हो जाने के बाद भी काफी समय ऐसे ही निकल जाता है । इस रिपोर्ट के लिए वैसे ही समय बहुत कम मिला है । लेकिन एक दरख्वास्त मैं करना चाहता हूं कि हर तीसरे दिन इस प्रकार की चीज़ों पर आध आध घंटा खर्च किया गया है और आज भी मैंने देखा है कि आध घंटा आज के प्वाइंट आफ आर्डर को समझाने बुझोने में लग गया है । आध घंटे पर १४३० रुपये और ६१ नए पैसे खर्च होते हैं । यह सब फिजूल गया । हमने इस सैशन में तकरीबन पांच घंटे इस तरह की बातों पर खर्च किए हैं जिसका मतलब यह हुआ कि ७२१६–१० के करीब रुपया इस पर खर्च हुआ है . . .

अध्यक्ष महोदय : अब आपने भी कुछ हिस्सा उस में ले लिया ।

†**श्री हाथी** : मेरा प्रस्ताव मतदान के लिए नहीं रखा गया है ।

†**अध्यक्ष महोदय**: प्रश्न यह है :—

"कि श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) तथा विविध उपबन्ध अधिनियम, १९५५ और श्रमजीवी पत्रकार (मजूरी की दरों का निर्धारण) अधिनियम, १९५८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री हाथी** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसुचित आदिम जाति अयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

†**अध्यक्ष महोदय**: अब सभा अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित आदिम जाति आयोग के प्रतिवेदन के बारे में लाल बहादुर शास्त्री द्वारा किए गए प्रस्ताव पर चर्चा करेगी ।

श्री गणपति राम अपना भाषण जारी रखेंगे ।

श्री गणपति राम(मछली शहर) : अध्यक्ष महोदव, मैं कल यह कह रहा था कि देहरादून का जानसार बाबर इलाका और मिरज़ापुर का पहाड़ी इलाका जिस को कि ब्रिटिश सरकार ने, शेड्यूल्ड एरिया करार दिया हुआ था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारी सरकार ने शड्यूल्ड एरिया करार नहीं दिया है । ब्रिटिश सरकार के वक्त में उस एरिया को स्पेशल सेफगार्ड दे कर के उस की तरक्की का काम किया जाता था लेकिन हमारी सरकार जोकि वेलफयर स्टेट कायम करने जा रही है और उस के लिये उस ने एक प्रोग्राम भी बनाया हुआ है, उस इलाके को शेड्यूल्ड एरिया भी करार नहीं देती है । उत्तर प्रदेश की सरकार अपने ही शब्दों में और बैक्वर्ड क्लासिस कमिशन के शब्दों में तथा शेड्यूल्ड ट्राइब्ज़ कमिशन के शब्दों में इस बात को कबूल करती है कि उस को मान्यता प्रदान करने से एक समस्या खड़ी हो जायगी । मैं समझता हूं कि शड्यूल्ड कास्ट्स, शड्यल्ड ट्राइब्ज़ और बेक्वर्ड क्लासिस की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है और इस को साइड-ट्रैक कर के, इस को दूर रख कर, इस देश के पिछड़े हुए समाज के साथ आप इंसाफ नहीं करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

उपाध्यक्ष महोदय, शेड्यल्ड ट्राइब्ज और शेड्यूल्ड एरियाज की समस्या कोई सामाजिक समस्या नहीं है बल्कि यह तो शैक्षिक और आर्थिक समस्या ही है । लेकिन जहां तक हरिजनों का सम्बन्ध है, उन की संख्या सात आठ करोड़ के करीब है और उन के साथ सामाजिक समस्या भी लगी हुई है, उन के साथ छुआछूत भी होता है । जहां तक शड्यूल्ड ट्राइब्ज का सम्बन्ध है, उन के साथ यह छूआछूत की समस्या नहीं है । उन की समस्या तो यह है कि उन का आर्थिक विकास कैसे किया जाय, शक्षिक विकास कैसे किया जाय और यदि ये दो चीजें हल हो जाती हैं तो उन की समस्या बहुत कुछ हल हो गई समझी जा सकती है । जहां तक उन के आर्थिक विकास का सम्बन्ध है, माननीय सदस्यों ने सुझाव दिय हैं कि उन के लिय काटज इंडस्ट्रीज और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज शुरू की जानी चाहियें । हमारे गृह मंत्री महोदय ने भी अपने भाषण में इस बात का आश्वासन दिया है और साथ ही साथ कहा है कि प्लानिंग कमिशन ने इस बात को मंजूर कर दिया है कि उन के लिय १२० ब्लाक नये खोले जायें ताकि उन का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक विकास हो सके । मैं बड़े नम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले पंद्रह वर्षों में स्थिति का अध्ययन करने के बाद आज आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उन के साथ इंसाफ नहीं हुआ है और इंसाफ किवा जाना चाहिये । इस नाते अगले पंद्रह वर्ष का समय हमारे गृह मंत्री इस कार्य के लिय चाहते हैं । मैं कहना चाहता है कि इन पंद्रह वर्षों में भी हमारी केन्द्रीय सरकार, हमारा केन्द्रीय मंत्रालय और हमारे अफसर अगर अच्छी तरह से ध्वान देते रहे तब तो कुछ हो सकेगा अन्यथा कुछ नहीं हो सकेगा । आप को देखना चाहिये कि जो ग्रांट दी जाये, जो लोन दिया जाय, जो फंड स्टेट्स के डिसपोजल पर रखे जायें, उन का यूटिलाइज़ेशन हो और पूरे तरीके से हो । आज तक तो यह देखने में आया है कि हर साल जो रुपया एलाट किया जाता रहा है, वह पूरे का पूरा खर्च नहीं होता और प्रायः देखा गया है कि प्रान्तीय सरकारें, उस में से आधा या तीसरा हिस्सा लौटा दिया करती हैं । अगर वही हालत चलती रही तो सड्यूल्ड एरियाज और शड्यूल्ड ट्राइब्ज का जो उत्थान सरकार करना चाहती है और जो एक राष्ट्रीय समस्या हमारे सामने बनी हुई है, वह समस्या तो हल नहीं हो सकेगी और उस के बदले में यह समस्या और भी विकट रूप धारण कर लेगी ।

मैं कहना चाहता हूं कि आर्थिक विकास के साथ साथ अगर आप शड्यूल्ड ट्राइब्ज और शड्यूल्ड एरियाज में खास तौर से शैक्षिक विकास करें, अगर उन को एजुकेशन दे दें, उन के अन्दर समझ-दारी पैदा कर दें तो बहुत कुछ उन की समस्यायें हल हो सकती हैं । खास तौर से हमारे शिड्यूल्ड ट्राइब्स के मेम्बरों का ध्यान इस तरफ भी है कि उन के बीच जो नान-आफिशियल संस्थायें काम करती हैं, उन को जो हर साल सरकार की तरफ से ग्रांट-इन-एड मिलती है, उस का ठीक उपयोग नहीं होता । इसलिय मैं सरकार से नम्रतापूर्वक निवदन करना चाहूंगा कि जिन संस्थाओं को जो ग्रांट-इन-एड मिलती है उस पर ठीक तरीके से निगरानी होनी चाहिये और जो उस का ठीक तरह से यूटीलाइज़ेशन न करे उस के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिये ।

मैं यह भी क्रहना चाहता हूं कि उन की माली हालत को सुधारने के लिये हमारे संविधान में जो उन के लिये सरविसेज़ में सेफगार्ड है उस का पूरी तरह से इम्पलीमेंटशन होना चाहिये । आज देखा जाता है कि संविधान के नियमों के अनुसार उन के कोर्ट को पूरी तरह से फिल अप नहीं किया जाता ।सरकार ने संविधान को कार्यान्वित करने के लिये एक कम्युनल रस्टर बना रखा है ताकि इनको सरविसेज़ में संरक्षण दिया जा सके लेकिन मंत्रालयों में बड़े बड़े अफसर उस का गलत तरीके से इंटरप्रिटशन करते हैं और इन लोगों को मिलने वाली नौकरियां दूसरों को दे दी जाती हैं । तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन को नौकरियों में संरक्षण देने के नियमों का पूर्ण तरीके से पालन

[श्री गणपति राम]

करना चाहिये । और सरकार ने जो रिजरवेशन इन प्रमोशन दिया है, जिस का कुछ संकेत गृह मंत्री महोदय ने भी दिया था, उस पर पूरी तरह से निगरानी रखी जानी चाहिय ।

कुछ सदस्यों ने यह भी कहा कि अगर आप उन को बसाना चाहते हैं और उन की तरक्की करना चाहते हैं ....

श्री गणपति राम : केवल दो मिनट और लगेंग ।

केन्द्रीय सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिये जिस से उन के भूमि के अधिकारों को और उन के जंगल की सम्पत्ति के उपभोग के अधिकारों को संरक्षण मिल सके । कल एक माननीय सदस्य ने कहा था कि संविधान लागू होने से पहले उन को जंगल की सम्पत्ति का उपभोग करने, मछली मारने आदि के अधिकार प्राप्त थे । यदि आज वेलफेयर स्टेट उन के उन अधिकारों को भी छीन ले तो उन को कितना कष्ट होगा । इस नाते मैं कहूंगा कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को सलाह दे कि उन को डेट रिडेम्प्शन का कानून इन लोगों को सूदखोरों से बचाने के लिये बनाना चाहिये, और लैंड लेजिस्लेशन और फारेस्ट लेजिस्लेशन पास करना चाहिये ताकि इन की समस्या हल हो सकें ।

मैं ज्यादा समय न लेते हुए यह सुझाव देना चाहता हूं कि उन की तरक्की और विकास के लिये केन्द्र में एक अलग मंत्रालय और सचिवालय होना चाहिय जो इन चीजों की देखभाल करे और देखे कि जो रुपया इन के लिये दिया जाता है उस का ठीक उपयोग होता है या नहीं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय मंत्री को ३ बजे उत्तर के लिये बुलाऊंगा । माननीय सदस्य ७ मिनट से अधिक समय नहीं लेंग ।

†**श्री सोनावने**(पंढरपुर) : इस आयोग को उन की सर्वसम्मति से दिये गये प्रतिवदन के लिये बधाई देता हूं । इस आयोग के प्रधान एक सुविख्यात एवं योग्य व्यक्ति थे । परन्तु यह और भी अच्छा होता कि इस आयोग का प्रधान कोई अनुसूचित आदिम जातियों में से होता । इस बात की सराहना आदिवासी लोग करते । यह और भी अच्छा होता यदि इस आयोग के सदस्य भी उसी जाति के होते ।

राज्यों में आदिवासी मंत्रणा समितियों के अध्यक्ष स्वयं मुख्य मंत्री होने चाहियें । इस प्रकार से उन निकायों के कार्य में गतिशीलता आ जायगी ।

जिन राज्यों में आदिवासियों की संख्या पर्याप्त है वहां आदिवासी कार्यों के लिय एक तृथक मंत्री होना चाहिये । आयोग की यह सिफारिश मानी जानी चाहिये ।

आयोग की यह सिफारिश कि कार्यक्रमों के समन्वय और क्रियान्वयन के लिये आदिमजाति कल्याण विभाग और विभिन्न विकास विभागों से अधिकारियों की एक छोटी समिति नियुक्त की जानी चाहिये मान ली गई है । अतः तीसरी योजना में सम्मिलित की गई आदिवासी कल्याण सम्बन्धी योजनाओं का प्रभावपूर्ण एवं तेज़ी से क्रियान्वयन किया जाना चाहिये ।

यह प्रसन्नता की बात है कि यह सिफारिश कि राज्यपाल राष्ट्रपति को अपने प्रतिवेदन में उस प्रत्येक संस्था जिसे २५,००० का वार्षिक अनुदान मिलता है के काम का मूल्यांकन के बारे में लिखे ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री राम सेवक यादव** (बाराबंकी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक औचित्य प्रश्न उठाता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, ५ तारीख को इस सदन में जब बाढ़ पर चर्चा चल रही थी तो बागड़ी साहब ने कहा था कि प्रधान मंत्री पर एक दिन में २५,००० रुपय खर्च . . . . .

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह मामला तो समाप्त हो चुका है और इस पर निर्णय हो चुका है । कोई औचित्य प्रश्न नहीं है । माननीय सदस्य बैठ जायें ।

†**श्री राम सेवक यादव** : मैं उपाध्यक्ष महोदय को अपने विनिर्णय पर पुन: विचार करने के लिए कहता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । ऐसा नहीं हो सकता ।

श्री बड़े (खारगोन) : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित आदिम जाति आयोग की रिपोर्ट जोकि २० नवम्बर, १९६१ को सभा की टेबल पर रक्खी गई थी, उस पर कल से सदन में विचार हो रहा है । मैं श्री ढेबर भाई को धन्यवाद देता हूं कि उन्हों ने इतना परिश्रम कर के ऐसी सुन्दर और विस्तृत रिपोर्ट तयार की है । उस में उन्हों ने विस्तार से आदिवासियों की तमाम समस्याओं को बड़े सुन्दर ढंग से रक्खा है और उन के सामाधान के हेतु उपाय भी सुझाये हैं ।

अभी एक माननीय सदस्य ने ढेबर भाई की रिपोर्ट को कहा है कि यह गीता और बाइबिल है । मैं भी इस को गीता और बाइबिल समझता हूं लेकिन जिस तरह से बाइबिल में हालांकि अहिंसा का तत्व दिया हुआ है लेकिन बाइबिल के मानने वाले हिंसक हो गये हैं । उसी तरह से इस रिपोर्ट के सुझावों और सिफारिशों को जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वह भी उस के विपरीत आचरण करते हैं । अब बाइबिल में तो लिखा है कि अगर तुम्हारे एक गाल पर कोई तमाचा मारे तो तुम उस के आगे दूसरा गाल कर दो लेकिन आज क्या हालत बन रही है ? बाइबिल के मानने वाले अहिंसा का मूल तत्व जोकि बाइबिल में निहित हैं उसे छोड़ कर वाएलेंस में आ गये हैं । वे हिंसक बन गये हैं । जिस तरह से बाइविल के विपरीत आचरण हो रहा है ठीक वही बात इस रिपोर्ट के अमल के सम्बन्ध में हो रही है । गीतावाद होते हुए भी इस पर ठीक से अमल नहीं हो रहा है ।

अब इस रिपोर्ट में जो आदिवासी शब्द प्रयुक्त हुआ है तो यह कुछ ठीक नहीं है बल्कि इन के लिय उपर्युक्त शब्द बनवासी होना चाहिये क्योंकि य लोग वन में रहते हैं । अब इस आदिवासी शब्द से कुछ अलगाव की भावना उत्पन्न होती है जैसे कि हम और वह अलग हों । इसलिये मेरा सुझाव है कि उन को आदिवासी न कह कर बनवासी कहना चाहिये ।

जिस क्षेत्र से मैं चुन कर आया हूं वहां से पांच सीट्स विधान सभा में आदिवासियों की हैं और तीन सीट्स स्वर्ण लोगों की हैं । इस तरह से आप देखेंगे कि हमारे क्षेत्र में मेजारिटी आदिवासियों की है । मुझे आदिवासियों के बीच में रह कर काम करने का अवसर मिलता है और मैं उन की दिक्कतों और समस्याओं से भली प्रकार परिचित हूं । उन की मुख्य समस्या इनडैटेडनेस और लैंडलेसनेस की है । कमिशन की रिपोर्ट में भी यही चीज कही गई है । यह लोग कर्जे में डूबे हुए हैं और उस के साथ ही भूमिहीन भी हैं । जब वह भूमि के लिए फौरेस्ट डिपार्टमेंट के पास जाते हैं तो फौरेस्ट डिपार्टमेंट उन को शत्रु सरीखा मानता है । कमिशन ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि फौरेस्ट डिपार्टमेंट इन जंगलों में बसने वाले आदिवासियों को दुश्मन समझता है । इसी तरह यह आदिवासी फौरेस्ट

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बड़े]

जिपार्टमेंट को अपना दुश्मन समझते हैं । दोनों एक दूसरे को अपना शत्रु मानते हैं । रिपोर्ट के पेज १३० पर यह दिया हुआ है :—

"ऐसे मामले ध्यान में आये हैं जहां कि वन विभाग ने उस भूमि को वनभूमि माना है जिस पर बहुत वृक्ष नहीं थे ।"

हमारे आदिवासियों ने कठोर श्रम कर के और जंगलों को साफ कर के मध्य प्रदेश में ३४,००० एकड़ जमीन को कृषि योग्य बना दिया है । धीरे धीरे उन्हों ने जंगल साफ कर दिये हैं और वहां पर १०,००० फैमिलीज़ बसी हुई हैं । अब आदिवासियों का मुख्य धंधा और कहना चाहिये कि एक मात्र धंधा कृषि ही है । खाली खेतीबाड़ी पर ही उन का जीवन निर्भर करता है । वहां पर कोई भी स्मौल स्केल इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं । उन को न लुहारी आती है न सुतारी आती है न वकीली आती है और न डाक्टरी आती है । वे केवल हल चलाना और खेती करना चजानते हैं । इस बात की बहुत आवश्यकता है कि उस क्षेत्र में छोटे मोटे दस्तकारी उद्योग कायम किये जायें ताकिवे अपनी आर्थिक अवस्था सुधार सकें ।

जंगलों को साफ कर के और खेती योग्य जमीन बना कर आदिवासियों ने जिस ३४,००० एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया था और जिस पर कि १०,००० फैमिलीज़ आबाद हैं फौरेस्ट डिपार्टमेंट ने उन को इजैक्ट कर दिया है । मध्यप्रदेश गवर्नमेंट ने उन के झोंपड़े जला दिये हैं, तोड़ डाले हैं । उन के खिलाफ इजैक्टमेंट के केसज चला दिये और उन के हल, बैल हांक कर डिपो में ले गये । उन को बाहर निकाल दिया गया । मैं उन सफरर्स का एक डैपुटेशन भूपाल के मिनिस्टर के पास ले गया था ।

यह इजैक्टमेंट की समस्या वहीं तक सीमित नहीं है । इग्गतपुरी में भी यही प्राबलम है । वहां भी आदिवासियों ने जंगल काट कर जो जमीन खेती के लायक बनाई थी और उस पर आबाद हो गये थे वहां से उन को निकाला गया । जब सरकार का ध्यान उधर आकृष्ट किया गया तो बम्बई की विधान सभा में फौरेस्ट मिनिस्टर ने उन को यह आश्वासन दिया कि १९५९ तक जिन का कब्जा फौरेस्ट पर है उन को हम पट्टे देंगे । इस के लिए मैं मध्यप्रदेश में मोर्चा ले कर गया था । कमिशन ने भी अपनी रिपोर्ट में उसी समस्या को डील किया है । इस ओर शासन को गम्भीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिये और उन को इस तरह बेदखल नहीं करना चाहिये । उन के पेट पर इस तरह से लात नहीं मारनी चाहिये । लेकिन प्रशासन द्वारा उधर ध्यान नहीं दिया जाता है । अब वहां तो स्थिति ही दूसरी है और फौरेस्ट डिपार्टमेंट आदिवासियों को शत्रु मानता है । आदिवासियों में इस के कारण घोर निराशा और असन्तोष व्याप्त है । वे तो कहते हैं कि अंग्रेज़ चले गये और कांग्रेस ने हुकूमत की बागडोर सम्हाल ली लेकिन उस से हमारी हालत में कुछ भी फर्क नहीं आया । कांग्रेस सरकार ने हमारे ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया है । हमारी हालत ज्यों की त्यों है ।

आदिवासियों के लिए छात्रालय की भी व्यवस्था सन्तोषजनक नहीं है । छात्रावास में आदिवासियों के लिये जगह नहीं है । केवल २५ लड़के उन के ले लिये जाते हैं । अब बाकी लड़के क्या करें ? उन के लिये कोई इंतजाम नहीं है । वहां पर उन को केवल १८ रुपये प्रतिमास का स्कालरशिप दिया जाता है जोकि बहुत ही अपर्याप्त सिद्ध होता है और उस १८ रुपये में तो उन के चने आदि की भी पूर्ति नहीं होती है । आदिवासियों के लिये स्कालरशिप की रकम बढ़ानी चाहिये । इसी तरह से छात्रालय में ज्यादा लड़कों को प्रवेश मिलना चाहिये ।

फौरेस्ट डिपार्टमेंट का उन के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिये इस के बारे में कमिशन ने रिपोर्ट के १३५ पेज में यह लिखा है :—

"१८९४ में जो नीति निर्धारित की गई १९५२ में भी जिसे माना गया और उस नीति का जिस प्रकार से पालन किया गया उस के कारण आदिवासी को जंगल के बहुत से लाभ से वंचित हो गये । इस नीति में यदि परिवर्तन कर दिया जाय तो आदिवासी वन विभाग को अपना शत्रु नहीं मानेंगे ।"

कमिशन ने बहुत ही सुन्दर नोट लिखा है ताहम हम देखते हैं कि राज्यों में फौरेस्ट्स डिपार्टमेंट्स आदिवासियों के शत्रु हो गये हैं और राक्षस की तरह उन को उखाड़ कर बाहर फेंक रहे हैं । अब अलावा खेती के दूसरा उन के पास कोई धंधा है नहीं । उन के लिये कोई स्मौल स्केल इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं । वे कर्जे में डूबे हुए हैं । वे १०० रुपया कर्ज चाहते हैं तो शासन उन को केवल ३ रुपये तकावी के रूप में देता है, तीन रुपये कोआपरेटिव सोसाइटी से मिलते हैं और लाचार हो कर उस को शेष ९४-९५ रुपये के लिये साहूकार और महाजन के पास हाथ फैलाना होता है और जिस का कि नतीजा यह होता है कि वह कर्जे के बोझ के नीचे सदा के लिये दब जाते हैं । इस कारण एग्रीकल्ट्रल डेट रिलीफ़ बिल पास करने की मांग की जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी तक वह कानून पास नहीं किया गया है । रेगुलेशन के बारे में कहा जाता है कि वह आज आयेगा, कल आयेगा, परसों आयेगा । लेकिन उस के लिये रेगुलेशन भी नहीं निकाला गया है ।

कमिश्नर आफ़ शिड्यूल्ड कास्ट्स एंड शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ की रिपोर्ट के पेज १२ पर लिखा है :

"मध्य प्रदेश के राज्य के उत्तरी, मध्य और पश्चिमी खण्डों में ५८ प्रतिशत से ६५ प्रतिशत आदिमजाति परिवार ऋणी थे ।"

इस प्रकार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान में जो सैम्पल सरवे हुआ है, उस से मालूम होता है कि उन क्षेत्रों में कितनी इनडेटिडनेस है, लोग कितने कर्जे में डूबे हुए हैं । प्रश्न यह है कि शासन ने इस बारे में क्या किया है । कुछ भी नहीं किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य समाप्त करने का प्रयत्न करें ।

श्री बड़े : उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय बहुत बड़ा है, इसलिये इस को दो मिनट में नहीं कहा जा सकता है । यह रिपोर्ट इतनी बड़ी है, जैसे गीता के अठारह अध्याय होते हैं . . .

एक माननीय सदस्य : अठारह अध्याय के लिए अठारह मिनट मिलने चाहियें ।

श्री बड़े : . . . इसलिये मैं इस प्रकार अपने विचार प्रकट नहीं कर सकता, जैसाकि रामायण के बारे में कहा जाता है : "आदो रामतपोवनादिगमनम्, हत्वा मृग कांचनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंभाषणं एतद्धि रामायणं ।"

उपाध्यक्ष महोदय : हर एक मेम्बर साहब ऐसा ही कहते हैं ।

श्री बड़े : मैं आप के सामने दो तीन बातें रख कर ख़त्म कर देता हूं ।

जैसाकि मैं ने अभी निवेदन किया है, आदिवासियों के सम्बन्ध में एग्रीकल्टर और फ़ौरेस्ट की प्राबलम मुख्य है ।

[श्री बड़े]

इस रिपोर्ट में प्राहिबिशन के बारे में बड़ा सुन्दर लिखा हुआ है । उन लोगों के बारे में कहा जाता है कि वे लोग उत्पन्न होते हैं कर्जे में, जिन्दा रहते हैं कर्जे में और मरते हैं कर्जे में । इसी तरह शराब के बारे में कहा जा सकता है कि जब वे उत्पन्न होते हैं, तो उन के मुंह में शराब डाली जाती है और जब कोई आदमी मरता है, तो उस समय भी उस के मुंह में शराब डाली जाती है । प्राहिबिशन के बाद सरकार ने कलाली की दुकानें, शराब बेचने की दुकानें, खोल दी हैं, जहां से सात रुपये में शराब मोल ले सकते हैं । लेकिन अगर वे घर में इल्लिसिट डिस्टिलेशन करें, तो उन को छः छः महीने की सज़ा दी जाती है और वे लोग कलाल के पंजे में फंस जाते हैं ।

प्राहिबिशन के बारे में कमिशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उस को धीरे धीरे इंट्रोड्यस करना चाहिये, क्योंकि ड्रिंकिंग हैबिट एक दम खत्म नहीं हो सकती ।

जहां तक ट्राइबल ब्लाक्स का प्रश्न है, कहा गया है कि इस साल मध्यप्रदेश में ७१ ब्लाक्स खोले जायेंगे । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इतने बड़े एरिया में, जिस में छब्बीस लाख आदिवासी रहते हैं, ७१ ब्लाक्स बिल्कुल अपर्याप्त हैं । यह भी कहा गया है कि जहां पर ६६ परसेंट इस प्रकार की पापुलेशन हो, वहां ही ये ब्लाक्स खोले जाने चाहियें । लेकिन प्रश्न यह है कि जहां शिड्यूल्ड एरिया न हो, वहां क्या होने वाला है । मैं समझता हूं कि इस संबंध में जो क्राइटेरियन रखा है, वह ग़लत है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब समाप्त करें ।

श्री बड़े : मैं ने अभी बहुत सी बातें कहनी हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** समय थोड़ा है । बोलना चाहने वाले सदस्य कई हैं ।

श्री बड़े : एक प्वायंट कह कर मैं ख़त्म कर देता हूं ।

इस सदन को मैं नोट आफ़ वार्निंग देना चाहता हूं कि अमरीका और जर्मनी से आये हुए फ़ारेन मिशनरीज़ की कार्यवाहियों पर रोक लगाई जानी चाहिये । वे लोगों को दवाइयां देते हैं और धर्म सिखा देते हैं । हम ने देखा है कि वे तीन चार सौ रुपये में बच्चे मोल लेते हैं । अगर फ़ारेन मिशनरीज़ की कार्यवाहियों को बन्द नहीं किया जायगा, तो आदिवासी सेवा संघ आदि सब संस्थाओं का काम फ़िज़ूल हो जायगा । मैं इंडियन क्रिस्टियन मिशनरीज़ के खिलाफ नहीं हूं । वे हमारे साथ आयें और अपना धर्म लोगों को सिखायें । हम भी अपना धर्म सिखायेंगे और हम देख लेंगे कि कौन सा धर्म बड़ा है । लेकिन, जैसाकि मैं ने आप को बताया है, वे लोग तीन चार सौ रुपये में बच्चे मोल लेते हैं और उन को पढ़ाते हैं । मैं स्वयं वहां से चार पांच बच्चों को वापस भगा कर लाया हूं । इस बारे में नियोगी कमीशन की रिपोर्ट में लिखा गया है कि यदि फ़ारेन क्रिस्टियन मिशनरीज़ की कार्यवाहियों को बन्द नहीं किया जायगा, तो शासन का लोगों को कट्टर देशभक्त बनाने का लक्ष्य पूरा नहीं होगा, आदिवासियों में पृथकता की भावना पैदा होगी और देश का डिस-इन्टेग्रेशन होगा । इसलिये इस हाउस से मेरी विनती है कि फ़ारेन क्रिस्टियन मिशनरीज़ के कार्य को तुरन्त बन्द किया जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री माणिक्य लाल वर्मा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री बड़े : मेरी विनती है कि जिस माननीय सदस्य को बुलाया जाये, उस को कम से कम पंद्रह मिनट दिये जाने चाहिये । बाकी माननीय सदस्य सैक्रिफ़ाइस करने के लिये तैयार हैं ।

श्री मा० ला० वर्मा (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, कल हमारे होम मिनिस्टर साहब के भाषण और ट्राइबल लोगों के बारे में उन की घोषणा से हम को संतोष हुआ । उस में एक कमी रह गई है, जिस का स्पस्टीकरण नहीं हुआ है और वह है फ़ारेस्ट को-आपरेटिव सोसायटी । आदिवासियों में पूरी खेती की ज़मीन नहीं है और वे लोग पहाड़ियों में रहते हैं । उन की सारी इकोनोमी और आर्थिक व्यवस्था का दारोमदार जंगलों पर ही है अगर उन के जीवन-निर्वाह का कोई ज़रिया हो सकता है, तो वह फ़ारेस्ट है ।

जैसा कि कल डा० उइके ने कहा, फ़ारेस्ट्स के बारे में स्थिति यह है कि राइट्स को कनसेशन में बदल दिया गया है । और वह दरअस्ल था राइट । आज यह कहा जा रहा है कि जंगलों का विनाश हो गया, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जंगलों का विनाश हुआ है ठेकेदारी प्रथा से । पहले जंगलों पर सरकार का कोई अधिकार नहीं था । जो कुछ भी उस की आमदनी थी, उस का लाभ आदिवासी लेते थे । १८८४ में उस को कानून की शक्ल दी गई और उन राइट्स को कनसेशन्ज़ और प्रिविलेज़िज़ में बदल दिया गया । आज उन लोगों को बहुत परेशानी है । अगर आदिवासियों को यह पता हो कि जिस जंगल में वे रहते हैं, जिस को उन्होंने सदियों से उगाया है, वह हमारे लिये नहीं है, तो चाहे कितने भी फ़ारेस्ट गार्डज़ रखे जायें, और उन्हें उस जंगल में कुल्हाड़ी नहीं ले जाने दी जाय फिर भी दरख़्त को पैदा नहीं होने देंगे । ठोकर से ही उसे उखाड़ देंगे क्योंकि उन्हें जिस समुद्र में वे रहते हैं, उस में से उन को पानी पीने का अधिकार नहीं है । वहां से उन को जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिलती, मकान के लिए लकड़ी नहीं मिलती, मुर्दा जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिलती । आदिवासी यह मानता है कि :

चमन को इसी लिए माली ने खूं से सींचा था ।
कि उस की अपनी निगाहें बहार को तरसें ।।

आदिवासी को इस बात का पता नहीं था कि उस ने जो जंगल खड़ा किया है, उस का लाभ उस को नहीं मिलेगा । अगर उस को यह पता होता, तो वह कभी दरख़्त पैदा नहीं होने देता ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस के बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि को-आपरेटिव मूवमेंट चालू होनी चाहिए और ठेकेदार जंगलों से निकाल दिये जाने चाहिएं, और उन्हें जंगल का कोई ठेका नहीं देना चाहिए । अगर संविधान में हम ने समाजवाद की स्थापना की व्यवस्था की है, समाजवाद का नारा लगाया है, तो उस के लिए यह ज़रूरी है कि सेंटर की तरफ़ से स्टेट्स के नाम यह आर्डर जाना चाहिए कि कोई ठेकेदार जंगलों के लिए नहीं रहेगा और वह काम आदिवासियों के को-आपरेटिव को दिया जायगा ।

लेकिन केवल को-आपरेटिव सोसायटी ही काफ़ी नहीं है । डा० रामसुभग सिंह को हम ने लिखा था कि जंगल को-आपरेटिवज़ को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ़ से लोन नहीं मिलता है, क्योंकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जंगल को एग्रीकल्चरल परपज़ ही नहीं माना है । मुझे इस बात पर ताज्जुब होता है । अगर फ़ारेस्ट नहीं होगा, तो खेती कैसे होगी, अन्न कैसे पैदा होगा ? चूंकि फ़ारेस्ट को एग्रीकल्चरल परपज़ नहीं माना गया है, इस लिए को-आपरेटिब्ज़ फ़ारेस्ट को न तो बैंक से और न स्टेट से ही कोई कर्ज़ा मिलता है । आदिवासियों के पास पैसा नहीं है । जो १७ हज़ार, २० हज़ार, ५० हज़ार की रायल्टी ली जाती है, वह आदिवासी बेचारा कहां से लाए ?

[श्री मा० ला० वर्मा]

इस लिए मेरी दरख्वास्त है कि फ़ारेस्ट को-आपरेटिव सोसायटी को लोन मिलना चाहिए, चाहे वह बैंक से मिले, स्टेट से मिले, एग्रीकल्टर डिपार्टमेंट से मिले, कहीं से भी मिले, लेकिन लोन जरूर मिलना चाहिए ।

इस के बाद प्रासेसिंग इंडस्ट्री का प्रश्न आता है । आज खादी ग्रामोद्योग कमीशन में एक नियम है कि वह खादी के सरंजाम का पैसा देता है । सरंजाम के माने हैं चर्खा और अम्बर चर्खा । आज हजारों तहसीलों में जंगल नहीं हैं और इसलिए किसानों को खेती के औज़ार लकड़ी के मिलते नहीं है । अगर फ़ारेस्ट की को-आपरेटिव सोसाइटीज़ हल, जड़ा और चऊ आदि खेती के औज़ार, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, बना बना कर बेचे जायें तो लाखों रूपयों का लाभ उन्हें हो सकता है । खादी ग्रामोद्योग कमीशन खेती के औजारों को बनाने के कारखाने को ग्रामोद्योग में शुमार नहीं करता इसलिए यह व्यवस्था की जानी चाहिये कि इस उद्योग को लोन मिले और उनकी सोसाइटीज़ को तीन साल तक करीब करीब सहायता मिले और अगर वहां पर कोई टैक्नीकल आदमी रहैतो उसका खर्चा भी तीन वर्ष तक सोसाइटी को सरकार फ्री दे । जितना आपका यह फरनीचर है और जितनी लकड़ी का इस हाउस को बनाने में प्रयोग किया गया है यह सारी की सारी लकड़ी बहां से सप्लाई की जा सकती है । आदिवासी जितना फरनीचर है, जितनी इमारती लकड़ी है, जितनी गोंद है, शहद है, मूसली है, वनस्पति है, आयुर्वेद की औषधियां हैं, जितनी भी ये चीजें हैं, सप्लाई कर सकते हैं । अगर इनको लेने की व्यवस्था हो जाए तो उनका शोषण बन्द हो सकता है । मैं दरख्वास्त करूंगा कि कोआप्रेटिव सोसाइटीज़ के साथ साथ जो उनकी प्रासेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वे भी चालू की जानी चाहियें ताकि उनको राहत मिल सके ।

माननीय श्री बसुमतारी साहब जो कमिशन के मैम्बर थे इन्होंने मुझे याद दिलाया है कि आंध्र प्रदेश मैं फाइनेंस कोआप्रेटिव एंड डिवेलेपमेंट कारपोरेशन है जो कि आदर्श रूप से कार्य कर रही है । मैं मानता हूं कि वह बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है । वहां आदिवासी अपनी बनाई हुई चीज़ लाते हैं और उसके बदले जिस चीज़ को कि उनको आवश्यकता होती है, ले जाते हैं । वे शहद लाते हैं और उसके बदले अगर उनको कपड़ा चाहिये होता है तो कपड़ा ले जाते हैं, गोंद लाते हैं, उसके बदले अगर उनको नमक चाहिये होता है तो नमक ले जाते हैं । इस प्रकार से आदिवासियों का जो शोषण है वह वहां बन्द हो गया है । हिन्दुस्तान में शोषण मुक्ति का अगर कहीं कोई नमूना आपको देखना हो तो आप आंध्र में जा कर देख सकते हैं । उसी प्रकार की कारपोरेशंज़ सारे हिन्दुस्तान के आदिवासी क्षेत्र में आप बना दें । मैं तो कहूंगा कि हर दस हजार की आबादी जहां हो और जहां पर जंगल हों, वहां एक एक कारपोरेशन बना दिया जाना चाहिये ताकि आदिवासियों को राहत मिल सके । मैं समझता हूं कि जब तक ठेकेदारी प्रथा का खात्मा नहीं किया जाएगा तब तक कुछ नहीं हो सकेगा ।

मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन में अगर कोई मनहूस, डिपार्टमेंट है तो वह फारेस्ट डिपार्टमेंट है । हिन्दुस्तान में जहां जहां भी हमारा कमिशन गया वहां पर उसको यह चीज़ देखने को मिली । मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि यही एक कमिशन ऐसा था जो ढेबर भाई की अध्यक्षता मैं बिठाया गया था जो कि पैदल घूमा है । जितने भी दूसरे कमिशन इस देश मैं कायम हुए हैं वे राजधानियों तक ही गए होंगे या फिर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्ज़ तक ही गए होंगे मगर हमारा जो कमिशन था वह २८–२८ मील पैदल गया है, जंगलों

में जा कर थमा है । किसी भी कमिशन का चेयरमैन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो पैदल गया हो । गांव गांव और जंगल जंगल भटका है और वहां पर इसने धनी रमाई हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप खत्म करें ।

श्री मा० ला वर्मा : आप कह रहे हैं कि मैं बैठ जाऊंगा । मेरी तो दरख्वास्त थी कि समय को आप बढ़ायें फिर भी मैं कुछ बातें कह कर समाप्त कर दूंगा ।

जितनी भी नान-आफिशल एजेंसीज़ हैं, उनको काम करने में बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है । जो छात्रवृत्तियां मिलती हैं, कालेजों के लड़कों को, छात्रवृत्तियां मिलती हैं, वे साल बाद में मिलती हैं । उन्हें एडवांस मिलने की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है, यह मेरी समझ में नहीं आया है । मैं आपको राजस्थान की बात बतलाता हूं । वहां पर कालेज में दो लड़के पढ़ने के लिए गए, एक टैक्नीकल साइड में गया और दूसरा एग्रीकलचर साइड में । इन दोनों को साल भर छात्रवृत्तियों नहीं मिलीं और इसका नतीजा यह हुआ कि वे बेचारे वापिस आ गए, वहां पर टिक नहीं सके । टिक भी कैसे सकते थे, उनके पास इतना पैसा ही कहां होता है । छात्रवृत्तियां का ठीक इंतज़ाम नहीं है । मैं चाहता हूं इस ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिये । साथ ही साथ जो नान-आफिशल एजेंसीज़ हैं, उनको साल साल या छ : छ : महीने के बाद पैसा मिलता है । क्यों नहीं उनको एडवांस पैसा दे दिया जाता है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती हैं । ये जो छात्रवृत्तियों में कंजूसी दिखाई जाती है, और कम दी जाती है, यह भेदभाव बंद होना चाहिए ।

मैं आपको एक और बात बतलाना चाहता हूं । एक जगह हमें एक साहब ने कहा कि इन छात्रों के लिए खाट क्यों देते हो, चारपाइयां क्यों इनको देते हो, इनकी आदत इससे खराब हो जाएगी । मैंने उनसे कहा कि तुम्हारे बच्चे जब खाट पर सोते हैं तब तो उनकी आदतें खराब नहीं होती हैं लेकिन जब ये सोते हैं तो इनकी आदतें खराब हो जाती हैं । मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि हमारे आदिवासियों के पास आपको बिस्तर चाहे न मिले, कपड़ा चाहे न मिले लेकिन खाट जरुर मिलेगी, उनको सामान देने में जो कंजूसी बरती जाती है, मैं चाहता हूं यह भी बन्द हो । जहां तक नान-आफिशियल एजेंसीज़ का सम्बन्ध है, उनके बारे में भी आप थोड़ी सी उदारता दिखायें । उन को वक्त पर और अच्छा पैसा मिलना चाहिये ।

आप घंटी बजाते जा रहे हैं, जिस के कारण मुझे अपना भाषण समाप्त करना पड़ रहा है और मेरे दिल के जो अरमान हैं, वे दिल में ही रह जायेंगे इस वास्ते मैंने पहले भी दरख्वास्त की थी और अब फिर करता हूं कि इसको आप लम्बा बढ़ायें और हमें काफी समय बोलने के लिए दें । अब जितना समय दिया गया है उसमें अधूरी बात ही मैं कह सका हूं और सारी की सारी मांगों को आपके सामने पेश नहीं कर सका हूं ।

श्री विश्राम प्रसाद (लालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी इस जनतंत्र की सरकार ने पंद्रह साल के भीतर इन शैड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के ऊपर एक कमिशन बिठाया और एक रिपोर्ट तैयार करवाई । एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह गीता है । जिस तरह से गीता को कोने में रख दिया जाता है उसी तरह से इसको भी किसी कोने में न रख दिया जाये, इसका मुझे बहुत डर है, ऐसी आशंका मुझे होती है । यह जो रिपोर्ट है यह इतनी डिटेल्ड है और इतनी डिटेल्ड स्टडी के बाद इसको लिखा गया है और इतनी ज्यादा रिकोमेंडेशंज़ इसमें दी हुई हैं कि मुझे शंका होती है कि शायद हमारी सरकार इसको कार्यान्वित भी कर सकेगी या नहीं कर सकेगी ।

[श्री विश्राम प्रसाद]

एक बात जो मैंने इस रिपोर्ट में देखी और जिसको मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूं यह है कि इस में यू० पी० का नामोनिशान नहीं है । हालांकि थोड़ासा रिपोर्ट में माना गया है लेकिन वहां की सरकार उसे नहीं मानती है । उत्तर प्रदेश के मिरज़ापुर इलाके की बैगा, चेरो, गोंड, मझवार, खखार, भुइयां, पनिका, कोल, धांगर और देहरादून उत्तर काशी की जानसार, बबारस जातियां शेड्यूल्ड ट्राइब्ज में आती हैं । मैं इस कमिशन के चेयरमेन ढेबर भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतनी विस्तृत थारो स्टडी करके यह रिपोर्ट बनाई है और इस में कोई शक नहीं है कि इसके लिए उन्होंने बहुत सख्त मेहनत की है ।

उपाध्यक्ष महोदय, शेड्यूल्ड ट्राइब्ज को जब मैं देखता हूं तो मुझ अमरीका के रेड इंडियंज की याद हो आती है । रेड इंडियंज को अमरीकनों ने लड़ाई के जमाने में मार मार कर जंगलों में भगा दिया था और इसी तरह से यहां के आदिवासियों का भी घर बार जंगल ही है । लेकिन रेड इंडियंज़ का वहां जो जंगल हैं, उनके ऊपर पूरा अधिकार है, वे जंगलों की लकड़ी ले सकते हैं, घर बना सकते हैं, खेती कर सकते हैं, उसके अन्दर जो भी मिनरल्ज़ निकल सकते हैं, उस पर उनका अधिकार होगा लेकिन यहां भारत के आदिवासी जंगलों में तो रह सकते हैं लेकिन वहां पर उनका कोई किसी किस्म का अधिकार नहीं माना जा सकता है । अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि जंगल की कोई भी सामग्री वे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं । यह दोनों में अन्तर है ।

पापुलेशन जो इस में उनकी लिखी हुई है वह २,२५,११,८५४ यानी ६.२३ परसेंट लिखी हुई है । इसमें यह भी बताया गया है कि इन में से ९०.५ परसेंट आदमी खती में लगे हुए हैं । मैं ज्यादा इसके बारे में कुछ न कह कर जो इनकी वित्तीय हालत है, जो कर्जा इनके सिर पर है, उसके कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं । राजस्थान में कर्ज का नाम सगरी है, आंध्र में बेटी है, उड़ीसा में गोथी है, मैसूर में जीथा है, मध्य प्रदेश में नौकरी नामा है । जिन लोगों को कर्ज़ दिया जाता है और जो उस कर्ज़ के बदले में आते हैं, उनको कहीं कहीं खाना दिया जाता है और कई कई सालों तक, जिन्दगी भर तक और यहां तक कि तीन तीन पुश्तों तक वे कर्ज़े में डूबे रहते हैं । किसी ने या किसी के ऐसंस्टर्ज़ ने अगर दो सौ रुपया कर्ज़ा कभी ले लिया तो उसके लड़के और लड़के के लड़के यानी पोते तक बराबर उस कर्ज़ के बदले में नौकरी करते रहेंगे और उनको इसके बदले में सिर्फ खाना मिलेगा और साल में २५ रुपये मिलेंगे । इसका मतलब यह हुआ कि दो रुपया महीना यानी एक आना रोज़ । इस सदन में एक माननीय सदस्य ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में दो आने मजदूरी का जिक्र किया था तो बहुत से माननीय सदस्यों ने हल्ला मचा दिया था लेकिन इस जनतंत्र देश में ऐसे आदमी भी हैं, जोकि स्वतंत्रता मिलने के बाद भी और राम राज्य रूपी भारत में आज भी एक आना मजदूरी पाते हैं । यह बहुत भारी शर्म की बात है ।

अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि कितने परसेंट ये लोग कर्ज़ से लदे हुए हैं । बिहार में ९० परसेंट कर्ज़े से लदे हुए हैं । केरल में सौ परसेंट दबे हुए हैं । मसूर में तीन सौ फैमिलीज़ हैं जिन के बारे में बताया गया है कि कर्ज़ जिसे 'जीठा' कहते हैं, जिन को कई पुश्तों तक कर्ज़ों के बदले में काम करना पड़ रहा है । मद्रास में २००० से २५०० तक प्रति फैमिली पर कर्ज़ा है । पश्चिमी बंगाल में सौ से डेढ़ सौ रुपया या दस से पंद्रह मन अनाज कर्ज़ फी फैमिली है । आंध्र प्रदेश में पचास रुपये फी फैमिली है । यह फिगर वहां की जिला परिषद् ने दी है जोकि कम ही हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती है । असम में ६६ परसेंट परिवार कर्ज़ में हैं, मध्य प्रदेश में प्रति परिवार १३० रुपया कर्ज़ा है, पंजाब में ७० परसेंट परिवार कर्ज़े में हैं और प्रति परिवार

१००० रुपया कर्जा है। राजस्थान में प्रति परिवार १८० से २४० रुपया कर्जा है। तो यह कर्जे की स्थिति है। इसमें कर्जे के दावेदार के लिए कहा गया है कि वह समय पर केस दायर करे, अपने कागजात दिखावे, अगर सबूत न हो तो केस खारिज कर दिया जाय, जबानी गवाही न मानी जाय, सूद की उचित दर तय की जाय और सिम्पिल इंटरेस्ट लिया जाय। लेकिन सोचने की बात है कि ये लोग जंगलों में रहते हैं। सरकारी संस्थाएं उनको कर्ज नहीं देतीं। इस कारण वे इन सूदखोरों से दबे रहते हैं। अगर सरकार उनको कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरिये या अन्य तरीके से आसानी से कर्जा देने की व्यवस्था कर दे तो इन की कर्ज की व्यवस्था सुधर सकती है।

यह बताया गया कि इन की शिक्षा के लिए पहली योजना में ५ करोड़, १० लाख रुपया और, दूसरी योजना में ८ करोड़ २१ लाख रखा गया जिसमें ११४ लाख खर्च नहीं हो सका और बचा रहा। लड़कों को शिक्षा के लिए बाहर भेजा जाता है और उनको वजीफे दिये जाते हैं। ये सभी बातें हैं। लेकिन देखना यह है कि शिक्षा पाने के बाद उनको नौकरी कैसे मिलती है। स्टेट व यूनियन पबलिक सरविस कमीशन का एडवरटाइजमेंट कैसे होता है उसमें लिखा रहता है :

> "अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लिए यह नौकरी सुरक्षित है। यदि ऐसे उचित व्यक्ति न मिलेंगे तो यह नौकरी अरक्षित समझी जायगी।"

इसको पढ़ कर आप समझेंगे कि इन लोगों के लिए सरकार बहुत कर रही है, लेकिन वास्तव में होता क्या है। आप देख सकते हैं कि इन लोगों की कितनी सीटें भरी जा चुकी हैं, उससे आपको वास्तविकता का पता लग जायगा। जनता के सामने दिखाया जाता है सरकार बहुत कर रही है लेकिन वास्तविकता और है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आइ० ए० एस० में सन् १९५५ में एक आदिवासी लिया गया, सन् १९५६ में १ लिया गया, सन् १९५९ में २ और सन् १९६० में ५ लिये गये। इस तरह आज तक कुल ९ आदिवासी आइ० ए० एस० में लिये गये हैं, और आइ० पी० एस० में केवल ३। इसके अलावा आप देखें कि क्लास १ की ११,३७८ जगहों में से २३ आदिवासियों को मिलीं, क्लास २ की २२,२१३ जगहों में से इनको १६२ जगहें मिलीं और क्लास ३ की ८,६९,२२१ में से आदिवासियों को ८,१६८ जगहें मिलीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर वास्तव में आपको इन लोगों को इनका उचित स्थान दिलाना है तो पोस्ट एडवरटाइज हों . . .

श्री विश्राम प्रसाद : तो मैं कह रहा था कि अगर आप नौकरियों में इन लोगों को उनका उचित स्थान देना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार का प्रोपेगण्डा करना चाहिए कि इन लोगों के लिए इतनी सीटें हैं और इतने केंडीडेट चाहिए। सरकार को इस विषय को पीछे नहीं डाल देना चाहिए। अभी हम ने देखा कि शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर की रिपोर्ट को आगे के सेशन के लिए डाल दिया गया और कल से जो यह रिपोर्ट चल रही है इसके लिए भी कहा जाता है कि इसको हटा दिया जाय और आगे लिया जाये। आपको अगर महात्मा गांधी का स्वप्न पूरा करना है तो आदिवासियों को नौकरियों में उचित स्थान देना चाहिए। केवल रिपोर्ट बना देने से कोई काम नहीं चल सकता और न उनकी समस्या हल हो सकती है। आपको इस बारे में दृढ़ता से कदम उठाने चाहिए जिसमें इनकी तरक्की हो सके। केवल रिपोर्ट बना देने से मतलब हल नहीं होता।

एक माननीय सदस्य : पर रिपोर्ट भी होनी चाहिए।

श्री विश्राम प्रसाद : अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

इन लोगों की सिफ्टिंग खेती होती है। कुछ समय ये लोग एक जमीन पर खेती करते हैं और कुछ समय बाद दूसरी पर। फारेस्ट विभाग कहता है कि इससे साइल इरोजन होता है।

[श्री विश्राम प्रसाद]

मैं किसान होने के नाते कहता हूं कि साइल इरोजन नहीं होता । जब उस जमीन पर घास जमी हुई है तो साइल इरोजन कैसे हो सकता है ।

जमीन पर इन लोगों का अधिकार होना चाहिए । उनको बीज की, खाद की, फरटीलाइजर की सहुलियतें मिलनी चाहिए । उनके लिए लैंड टेन्योर सिस्टम में सुधार होना चाहिए ताकि उनका जमीन पर अधिकार रहे । जंगल के जो उनके अधिकार हैं वे सुरक्षित रखे जाने चाहिए ।

उनके लिए स्कूल खोले जा रहे हैं । यह ठीक ही है । इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं ।

फारेस्ट प्रोड्यूस पर उनका जो अधिकार है वह उनको मिलना चाहिये । यदि वे लोग ठेका ले सकें तो किसी अन्य ठेकेदार के मुकाबले उनको ठका मिलना चाहिए । ये ठेकेदार लोग आकर ठेके लेते हैं, इन लोगों से ही काम करवाते हैं और इस सिलसिल में इनकी औरतों के साथ व्यभिचार आदि होता है और अन्ततः ये गरीब के गरीब ही रहते हैं ।

इसके अतिरिक्त वहां कुछ उद्योग चलाये जा सकते हैं जैसे शीप फार्मिंग, एनीमल हसबेंडरी आदि हैं जिनसे उनकी आर्थिक दशा सुधर सकती है ।

अब मैं शिड्यूल्ड कास्ट कमिश्नर के दफ्तर के विषय में कुछ कहना चाहता हूं । मैं उसको पोस्ट आफिस कहता हूं । अगर उनको कोई अर्जी दी जाती है तो वह फारवर्ड कर देते हैं, उसकी कोई सुनवायी नहीं करता । इतना काम तो हम किसी मिनिस्ट्री के द्वारा भी करवा सकते हैं ।

अन्त में मेरी यह प्रार्थना है कि अगर आपको कुछ इनके लिए करना है तो हृदय से करिये । श्री दातार इस समय यहां नहीं हैं । मेरा उनके लिए एक सजेशन है । उनको चाहिए कि बजाये इस मिनिस्ट्री में काम करने के उनको शिड्यूल्ड ट्राइब वैलफेयर के काम में लग जाना चाहिए, उसमें वह ज्यादा काम कर सकेंगे ।

†**श्रीमती रेणुका राय** (मालदा) : मुझे आशा है कि आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन किया जायगा । जिस प्रकार से अभी तक काम किया गया है, वह सन्तोषजनक नहीं है । इन आदिम जातियों की अवस्था में आर्थिक और सामाजिक सुधारों को इस प्रकार से किया जाना चाहिये कि वे अन्य समुदायों के समान हो जायें ।

इन जातियों की भलाई के लिए आवंटित धन का सदैव उचित रीति से व्यय नहीं किया जाता ।

आदिम जातियों के विभिन्न स्तरों के लिये आर्थिक मापदण्ड नियत किया जाना चाहिये । धन का प्रयोग अधिकतर निम्न वर्गों के लिये किया जाय ।

आदिम जातियों के ज़मीनों के बारे में नीति सन्तोषजनक नहीं है । उन्हें अपनी भूमि से आहिस्ता आहिस्ता वंचित किया जा रहा है । आयोग ने जो सिफारिश दी है कि सारी कृषि योग्य भूमि को प्रयोग में लाया जाय तथा वहां के लोगों को दी जाय क्रियान्वित की जाय ।

सरकार आयोग की सारी सिफारिशों को क्रियान्वित करे । ऐसा करने के लिये सर्वप्रथम आदिम जातियों और उन के मनोविज्ञान को समझना चाहिये, तभी उन को सामाण्य जन समुदाय के बराबर उन्हें ला सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दशरथ देब** (त्रिपुरा पूर्व) : मैं इस बात से सहमत हूं कि आयोग ने कुछ बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं जिन्हें मानना चाहिये । यदि उन सुझावों को क्रियान्वित किया जायेगा तो लोगों को काफी सहायता होगी ।

इस प्रतिवेदन ने अधिकतर प्रशासनिक समस्याओं का ही उल्लेख किया है । लोगों की संस्कृति, रीतियों इत्यादि की ओर भी ध्यान देना चाहिये । इन लोगों को राजनैतिक शक्ति का दिया जाना जरूरी है तथा उन्हें स्वयं अपने मामलों के प्रबन्ध में कुछ सत्ता मिलनी चाहिये । जब तक यह नहीं किया जाता तब तक इन जातियों का कोई वास्तविक विकास-कार्य नहीं हो सकता ।

ढेबर आयोग ने यह सुझाव दिया है कि कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाय । त्रिपुरा प्रशासन को अनुसूचित क्षेत्रों का स्पष्ट रूप से सीमांकित करना चाहिये । त्रिपुरा में कुछ क्षेत्रों को गैर आदिम जाति क्षेत्रों के साथ मिला दिया गया है जिस से नये तरीके से बनाये गये क्षेत्रों में इन जातियों की संख्या में कमी हो गई है ।

आदिम जाति क्षेत्रों को अलग से प्रशासी एकक बनाया जाये । समस्त आदिम जाति क्षेत्रों में एक आदिमजाति विकास परिषद् होना चाहिये जिन में केवल इन जातियों के प्रतिनिधि हों जो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किये जायें । इन परिषदों को अपने-अपने क्षेत्रों में विकास कार्य सौंपा जाये । माननीय गृह-कार्य मंत्री ने कहा कि प्रशिक्षित व्यक्ति प्राप्त करने का प्रश्न है । प्रशिक्षित व्यक्ति कैसे मिल सकते हैं जबकि आप उन्हें शिक्षा और अन्य सुविधायें नहीं देंगे । सामाजिक काम और अन्य सेवाओं के लिए आदिम जाति के लोगों को नौकरी नहीं दी गई है, क्योंकि उन्होंने मैट्रिक नहीं पास की है । उन लोगों को जो मैट्रिक पास नहीं हैं और अन्य व्यक्तियों को भी नौकरी देनी चाहिये ।

आसाम, त्रिपुरा और मणीपुर और अन्य स्थानों में आदिम जाति क्षेत्रों को पृथक प्रशासी एकक बनाना चाहिये ।

वनों को सुरक्षित करना बड़ा खतरनाक प्रश्न है । मैं इस बात से सहमत हूं कि वनों को सुरक्षित करना चाहिये परन्तु मनुष्यों को अधिक महत्व देना चाहिये । झूम की खेती में लगे आदिम जाति के लोगों को अपनी ज़मीनों से तब तक न निकाला जाये जब तक और किसी स्थान पर भूमि न दी जाये । तब तक उस क्षेत्र को सुरक्षित वन क्षेत्र घोषित नहीं करना चाहिये ।

†**श्री बालकृष्ण वास्नीक** (गोंडिया) : ढेबर आयोग ने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है वह बहुत भारी भरकम है । उन्हों ने अपने प्रतिवेदन में २८५ सिफारिशें की हैं । तथापि हम इस की चर्चा को केवल साढ़े तीन घंटों का ही समय दे रहे हैं यह नितान्त अनुचित है ।

आयोग ने आदिम जातियों को तीन भागों में विभाजित किया है । (क) अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिम जाति के लोग (ख) अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिम जाति के लोग ; (ग) राज्य के अन्य भागों में रहने वाले लोग । राज्य के अन्य भागों में रहने वाले लोगों को 'पृथक्' कहा गया है । उन से बिल्कुल दूसरे प्रकार का व्यवहार होता है । सरकार को निश्चय करना चाहिये कि इन छोड़ी गई जातियों को भी सूची में लिया जाये तथा उन्हें भी समस्त लाभ प्रदान किये जावें ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री बालकृष्ण वास्नीक]

इस समय अनुसूचित क्षेत्रों से बाहर रहने वाली जातियों को विशेष सुविधायें प्राप्त नहीं हो रही हैं। उन्हें सरकारी सेवाओं में रक्षित स्थान नहीं दिये गये हैं। सरकार सुनिश्चित करे कि उन के प्रति न्याय हो।

यह खुशी की बात है कि आदिम जातियों के खंडों को ३२० से बढ़ा कर ४५० कर दिया गया है।

†श्री रिशांग किशिंग (बाह्य मनीपुर) : आयोग ने एक अत्यन्त प्रभावशाली प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। उन्हों ने समस्या का गहरा अध्ययन किया है और कई उपयोगी सुझाव दिये हैं।

आदिम जातियों की सब से बड़ी समस्या भूमि के सम्बन्ध में है। इन जातियों के लगभग ९० प्रतिशत लोग किसान हैं। तथापि काफी बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिन के पास अपनी कोई जमीन नहीं है। आसाम और मनीपुर की आदिम जातियों का, विशेषत: घाटी में रहने वाले लोगों का बहुत शोषण हो रहा है। यदि हम देश में समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं तो हमें प्रत्येक आदिम जाति के परिवार के लिये भूमि की व्यवस्था करनी चाहिये। झूम कृषि के अन्तर्गत कई लाख एकड़ भूमि को रक्षित बन घोषित कर दिया गया है। वहां से आदिम जाति के लोगों को निकाला जा रहा है। जिन जमीनों में खेती हो रही है उन्हें मुक्त कर दिया जाये तथा लोगों को भूमि वापस दे दी जाये।

सरकारी नौकरियों में न्यूनतम स्थान रक्षण आदिम जातियों की जनसंख्या के अनुपात से हो। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पृथक् पृथक् स्थान रक्षण हो। जिन आदिम जातियों के व्यक्तियों ने पांच वर्ष सेवा कर ली है उन की पदोन्नति की जाये।

सरकार को चाहिये कि प्रत्येक आदिम जाति क्षेत्र वाले गांवों में कम से कम प्रारम्भिक पाठ-शाला हो, जहां शिक्षा निशुल्क होती हो। इसी प्रकार इन आदिम जाति क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। मनीपुर क्षेत्र में ४१ डिस्पेंसरियों, ३ अस्पतालों तथा दो आरम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टर नहीं है। डाक्टरों को उन क्षेत्रों में जाने को प्रोत्साहन देना चाहिये।

†श्री वीरभद्र सिंह (महासू) : यह प्रतिवेदन अत्यन्त वृहद्, सम्पूर्ण, और सर्वांगीण है। हमें इस के लिये आयोग तथा उस के अध्यक्ष का कृतज्ञ होना चाहिये।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि दूरवर्ती आदिम जाति क्षेत्रों में काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों के प्रति विभेद का व्यवहार होता है। जहां बाहर से आने वाले कर्मचारियों को अपने वेतन का १०० प्रतिशत भाग भत्तों के रूप में दिया जाता है स्थानीय आदिम जातियों के व्यक्तियों को यह सुविधा नहीं दी जाती है। यद्यपि वे भी उसी हालत में काम करते हैं। इस से वहां के स्थानीय निवासियों में काफ़ी असन्तोष पैदा हो गया है। उसे दूर किया जाना चाहिये।

भारत तिब्बत सीमान्त के दूसरी ओर बदली हुई हालत से व्यापारियों, विशेषत: हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के व्यापारियों की दशा बहुत खराब हो गई है। उन के पुनर्वास के लिये तत्काल उपाय किए जायें।

---

†मूल अंग्रेजी में

आयोग ने यह सिफारिश की है कि कलक्टरों को आदिम जातियों की भलाई के लिये अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की जायें। मैं इस से सहमत नहीं हूं। मेरे विचार से कलक्टरों के पास पहिले ही बहुत कार्य हैं। इस के स्थान में हमें शक्तियों के विकेन्द्रीकरण और प्रत्यायोजित करने पर जोर देना चाहिये। इस बात का प्रयत्न किया जाय कि लोग अपने अपने क्षेत्र के विकास कार्यों में अधिक से अधिक भाग ले सकें।

मैं आशा करता हूं कि इस प्रतिवेदन पर अमल किया जायेगा और निकट भविष्य में भी अनुसूचित क्षेत्रों की जनता प्रगति कर के राष्ट्र के कार्यों में हिस्सा लेगी।

†**श्रीमती लक्ष्मी कान्तमा** (खम्मम): प्रतिवेदन से यह ज्ञात होगा कि आयोग ने इस दिशा में प्रशंसनीय कार्य किया है। आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों ने इस दिशा में बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है।

मुझे दुख है कि आयोग ने महिलाओं की दशा के सम्बन्ध में कोई विशेष प्रकाश नहीं डाला है। आंध्र के एक जिले में आदिम जाति की औरतों को पकड़ कर बेचा जाता है। मैं गृह मंत्री से यह अनुरोध करती हूं कि वे इस दिशा में उचित कदम उठायें।

आयोग ने आदिम जातियों की ऋण ग्रस्तता पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। इन क्षेत्रों के महाजन आदिम जातियों के लोगों को निर्दयता से लूटते हैं। अतः हमें चाहिये कि हम वहां सहकारी समितियों इत्यादि की व्यवस्था करें जिस से उन्हें सूदखोरों से छटकारा मिले।

आदिम जातियों के क्षेत्रों में संचार के साधनों की स्थापना को पूर्ववर्तिता दी जानी चाहिये। इस से उन्हें एक तो रोजगार प्राप्त करने में सहायता मिलेगी और दूसरे उन के जीवन का स्तर ऊंचा होगा।

आदिम जाति क्षेत्रों में ठेकेदारी की प्रथा को बन्द किया जाये। मकानों और सड़कों के निर्माण के लिये मजदूर सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाये।

आदिम जातियों के किसानों को एक ही स्थान पर बसाया जाये। कुछ सहकारी कृषिकरण की स्थापना की जाये।

†**श्री कोहर** (फूलबनी): यह प्रतिवेदन बहुत व्यापक है, मैं इस का स्वागत करता हूं। इन्हों ने बहुत योग्यता से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है।

तथापि यह बात स्वीकार करनी होगी कि दूसरी योजना के समाप्त होने पर भी अनुसूचित आदिम जातियों की वही दशा चली आ रही है जो वर्षों पहिले थी।

आदिम जातियों को इस आधार पर स्थानान्तरण कृषि करने से रोका जाता है कि इस से भूमि का कटाव होगा और इस प्रकार ऐसा करना राष्ट्र के लिये हानिकर है। तथापि ऐसा करना अनुचित है। इस प्रकार की खेती पश्चिमी देशों में भी की जा रही है। यदि इसे बन्द करने का फैसला किया गया तो हानि की पूर्ति के लिये पहाड़ी लोगों को उदारता से जमीनें दी जायें।

[**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** पीठासीन हुए]

जिले के अधिकारी अधिकांश अनुसूचित क्षेत्रों की भूमि अनुसूचित आदिम जातियों को न दे कर अन्य लोगों को देते हैं, उन्हें ऐसा करने से रोका जायै।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कोहर]

आदिम जातियों का बनों से घनिष्ट सम्पर्क है । तथापि उन से बन संबंधी अधिकार छीने जा रहे हैं । मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वहां लोक कल्याण के सम्बन्ध में केवल ऐसे ही अधिकारी भेजे जायें जो वहां की भाषा जानते हों और बहां के लोगों से सहानुभूति रखते हों ।

आदिम जातियों के क्षत्रों में कई स्थानों पर स्कूल तो खोले गये हैं किन्तु सरकार द्वारा उन का प्रबन्ध अव्यवस्थापूर्ण है । कुछ प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में इस शर्त पर अध्यापक रखे गये हैं कि स्कूल की सारी सामग्री की व्यवस्था वहां के लोग करें । उन दरिद्र लोगों के लिये यह संभव नहीं है । सरकार को यह सारी व्यवस्था करनी चाहिये ।

दण्डकारण्य योजना में कृषि योग्य बनाई गई भूमि का केवल २५ प्रतिशत आदिम जातियों को देने की सिफारिश आयोग की रिपोर्ट में की गई है । यह पक्षपात अनुचित है ।

आदिम जातियों की समस्या उन के हृदय परिबर्तन की समस्या है अतः इस काम के लिये अच्छे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है ।

श्री बेसरा (दुमका) : सभापति महोदय, इस सदन में जो ढेबर कमिशन रिपोर्ट विचार के लिये रखी गई है, मैं उस का समर्थन करता हूं । संथाल परगना ज़िले में आदिवासियों के ज्यादा से ज्यादा बाशिन्दे हैं, लेकिन बहां के लिये जितना रुपया दिया जाता है, उस रुपय को काम में न ला कर वापस कर दिया जाता है । थर्ड फाइव इअर प्लैन में जो रुपया वहां दिया गया है वह जनसंख्या के आधार पर नहीं दिया गया है । फर्स्ट और सेकेन्ड प्लैन्स में भी जो रुपया दिया गया था वह वापस हो गया । मैं कहना चाहता हूं कि जितना रुपया वहां पर प्लैन में दिया गया है वह बहुत कम है और उस से ज्यादा दिया जाना चाहिये ।

वहां पर आदिवासियों के लिये जमीन का ठीक से बन्दोबस्त नहीं हो रहा है । स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जैसा कहा गया है उस तरह से नहीं हो रहा है और जमीन की खुदाई के लिये भी जो रुपया खर्च किया जाता है वह भी ठीक से नहीं किया जाता है । संथाल परगना के जामताड़ा सबडिवीज़न में भी आदिवासियों को जो भूमि दी गई है वह ठीक से नहीं दी गई है । माईथान और मसानजोर के बांध के लिये हजारों लोगों को दूसरी जगह भेजा गया है लेकिन उन लोगों को सही तरीके से रुपया नहीं दिया गया है । उन के लिये नई जमीन का भी बन्दोबस्त नहीं किया गया है । वहां के लोग बिना जमीन के हैं । उन को बदले में जो जमीन दी जाने वाली थी वह भी पूरे तरीके से नहीं दी गई है ।

अब यह सुनने में आ रहा है कि संथाल परगना के अन्दर जामताड़ा के पास कुलडंगा में अजय नदी पर बांध बनाने के लिये स्टेट गवर्नमेंट सिफारिश कर रही है । वहां पर बांध बनाये जाने के कारण हजारों आदिवासियों को वहां से हटाया जायेगा लेकिन उन लोगों को ठीक तरीके से जमीन नहीं दी जाती है ।

अजय नदी के बारे में मुझे यह कहना है कि अप्रैल के महीने में प्लैनिंग कमिश्नर ने रिपोर्ट दी है कि बांध कुलडंगा में न हो कर सिकटिया में होना चाहिये । मेरा भी यही सजेशन है कि बांध बजाय कुलडंगा में होने के सिकटिया में होना चाहिये क्योंकि कुलडंगा में ११९ मौजे हैं जबकि सिकटिया में उस से कम हैं । कुलडंगा में आदिवासियों की संख्या भी ज्यादा है । इसलिय मेरा सुझाव है कि सिकटिया में बांध होना चाहिये क्योंकि वहां उस के होने से आदिवासियों का भी ज्यादा फ़ायदा होगा ।

इस के बाद मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं कि आदिवासियों को जो वृत्ति दी जाती है वह सब लड़कों को नहीं दी जाती है। किसी लड़के को दी जाती है और किसी को नहीं दी जाती। मैं कहना चाहता हूं कि जैसाकि आश्वासन दिया गया है, सब लड़कों को वृत्ति मिलनी चाहिये।

बिहार स्टेट के द्वारा आदिवासियों का एक सेवामंडल खोला गया है। उस में एक बोर्डिंग भी खोला गया है। उस बोर्डिंग में जो लड़के रहते है उन का स्कूलों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहता। एक आदमी वहां रक्खा गया है, लेकिन वह लड़कों को कंट्रोल नहीं कर सकता है। वहां पर लड़के जरूर रहते हैं लेकिन सुबह और शाम में वहां कभी पढ़ाई नहीं होती है। इसलिये वह जो बोर्डिंग है वह स्कूल के साथ शामिल किया जाय और स्कूल मास्टरों के द्वारा लड़कों को कंट्रोल किया जाय।

जामताड़ा में १०, १२ हाई स्कूल है लेकिन कालेज एक भी नहीं हैं और लड़के वहां से दूर पढ़ने के लिये कालेज नहीं जा सकते हैं। इसलिये मेरा कहना यह है कि जामताड़ा में सूटेबल पढ़ाई हो सके, वहां एक कालेज खोला जाना चाहिये और आदिवासियों के लड़कों को शिक्षा दी जानी चाहिये।

संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट जो है वह आदिवासियों का एरिया है। उस के लिये सुनने में आता है कि उसे दो भागों में राज्य सरकार बांटना चाहती है। मेरा यह विचार है कि उस को दो भागों में नहीं होना चाहिये बल्कि जैसा आज है वैसे ही रहना चाहिये। यह बात ढेबर कमिशन की रिपोर्ट में भी दी गई है।

ब्लाक्स के जरिये जो काम आदिवासियों को दिया जाता है वह अच्छी तरह से नहीं होता है। वह लोग ठीक तरह से काम नहीं करते हैं। इसलिये अगर वहां पर कोई काम होना है जमीन की खुदाई वगैरह का तो ब्लाक्स के बजाय जो आदिवासियों के जमींदार आदमी हैं जिन को चासी कहा जाता है, उन को लेकर एक कमेटी बना दी जाय गौर उस के जरिये से काम कराया जाय। ऐसा किया जायेगा तभी आदिवासियों का भला हो सकता है, नहीं तो नहीं।

सभापति महोदय : आप क्या अभी और बोलना चाहत हैं ?

श्री बेसरा : जी, हां।

सभापति महोदय : फिर इस पर बहस शुरू होगी तब बोलियेगा।

गैर सरकारी सदस्यों के बिलों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

आठवां प्रतिवेदन

†**श्री हेम राज** (कांगड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के बिलों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की आठवीं रिपोर्ट से जो ५ सितम्बर, १९६२ को सभा में पेश की गई थी, सहमत है।"

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव यह है कि:

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के बिलों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की आठवीं रिपोर्ट से जो ५ सितम्बर, १९६२ को सभा में पेश की गई थी, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसंधानकर्ताओं और वैज्ञानिक कर्मचारियों की काम की दशाओं के बारे में संकल्प (जारी)

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री हरिश्चन्द्र माथुर अपना भाषण जारी रखेंगे।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (जालोर) : ये जो २७ राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं वे तो केवल ऊपरि ढांचा है। वास्तव में आधार के निर्माण की आवश्यकता है जिस के लिये कालेजों और विश्वविद्यालयों में विज्ञान क्लबें स्थापित करनी चाहियें। ब्रिटेन में विश्वविद्यालय विज्ञान की प्रगति के लिये ५० प्रतिशत से अधिक व्यय करते हैं जबकि यहां २० प्रतिशत भी इस पर व्यय नहीं किया जाता। शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान में अधिक समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है।

हमारी राष्ट्रीय प्रयोगशालायें अनुसंधान के परिणामों को व्यवहार में लाने में असफल रही है। इस क्षेत्र में बहुत उपेक्षा की गई है। यदि ऐसा न होता तो हमारा कृषि उत्पादन दुगना हो जाता। वैज्ञानिकों में बहुत निराशा व्याप्त है जिन के कार्यों की उचित प्रशंसा नहीं की जाती।

वैज्ञानिकों का वेतन और सेवा की शर्तें ऐसी होनी चाहिये कि योग्यतम व्यक्तियों को आकृष्ट किया जा सके। वैज्ञानिकों की सेवानिवृत्ति की अवस्था बढ़ानी चाहिये। इस मामले पर विचार करने के लिय एक आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये जैसाकि संकल्प में सुझाव रखा गया है।

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : माननीय प्रस्तावक महोदय ने कहा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र हमारे प्रतिभावान नवयुवकों को आकर्षित करने में असफल हुए हैं। इस बात का समर्थन करना कठिन है।

सभा को विदित है कि हर वर्ष देश में अनेक इंजीनियरिंग कालेज खोले जा रहे हैं किन्तु फिर भी सर्वोत्तम छात्रों को प्रवेश नहीं मिलता। इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि आजकल देश में वैज्ञानिक और प्रविधिक शिक्षा की बहुत मांग है। विश्वविद्यालयों में सिवाय थोड़े से प्रतिभावान नवयुवकों को छोड़ कर सभी सुयोग्य छात्र आज कल इंजीनियर और वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति इस कथन का विरोध नहीं कर सकता।

माननीय प्रस्तावक ने विज्ञान के क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र बना देने के बारे में बहुत कुछ कहा है। कभी समय था जब विज्ञान केवल व्यक्तिगत विषय था। कुछ एक वैज्ञानिक अकेले ही या थोड़े से छात्रों और साथियों की सहायता से वैज्ञानिक अनुसंधान किया करते थे किन्तु अब वैज्ञानिक अनुसंधान सामूहिक रूप में किया जाता है। अतः जहां हजारों व्यक्ति नियुक्त किय जायें, करोड़ों रुपया व्यय किया जाय वहां उस के प्रशासन व्यवस्था की उपेक्षा नहीं की जा सकती। ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय मित्र को यह बुरा लगा है कि हमारे वैज्ञानिक ऊंचे सरकारी पदों के पीछे दौड़ते है। मुझे इस में कुछ भी अस्वाभादिक और अन्य देशों से भिन्न नहीं लगता। आखिर वैज्ञानिक भी मानव है और उन की अपनी रुचि अरुचि है, कुछ बातों के प्रति आकर्षण है तो कुछ के प्रति विकर्षण।

सर ऐज़क न्यूटन अपने युग का महानतम वैज्ञानिक था और विश्व के महानतम वैज्ञानिकों में गिना जाता है। उसके हृदय में सरकारी पदों के लिए विशेष आकर्षण था। जिन दिनों वह ख्याति के शिखर पर पहुंचा हुआ था उन दिनों भी वह अपने प्रभावशाली मित्रों से कहा करता था

†मूल अंग्रेजी में

कि उसे राजनैतिक पद दिलाया जाये । आखिर उसकी आकांक्षा पूरी हुई और उसे इंगलैंड के सम्राट् का एंसस्टेंट मिंट मास्टर नियुक्त किया गया । इंगलैंड के लोगों ने इसे पसन्द नहीं किया था और और उसका नाम उपहास का विषय बन गया था । यह तो चित्र का एक पहलू है और इसका दूसरा पहलू भी है ।

फ्रांस के महान वैज्ञानिक कूनियर को जो महानतम भूतत्व वैज्ञानिक और प्राणि विज्ञानवेत्ता था, उसकी ख्याति के दिनों में फ्रांसीसी मंत्रिमंडल का एक पद पेश किया गया किन्तु उसने विनम्रता-पूर्वक अस्वीकार कर दिया और अपने मित्रों को बताया कि वह नहीं चाहता कि उसके वैज्ञानिक प्रयोगों और अनुसंधान में कोई बाधा पहुंचे ।

लार्ड रथरफोर्ड प्रथम महायुद्ध में पनडुब्बी विरोधी समिति के सदस्य नियुक्त हुए । जर्मन पनडुब्बियां ब्रिटिश वाणिज्यिक समुद्र में आतंक पैदा कर रही थीं और ब्रिटिश सरकार ने पनडुब्बी कठिनाई समाप्त करने के उपाय खोजने के लिए उच्च शक्ति प्राप्त समिति बनाई । कदाचित् लार्ड रथफोर्ड सर्वाधिक महत्वपूर्ण सदस्य थे ।

मेरे मित्र श्री मल्होत्रा अपने जीवन के आरम्भ में अमरीका गये थे । अमरीका को तो दैव-वरदान प्राप्त है । उस देश में संसार की ६ प्रतिशत जनसंख्या है और प्राकृतिक संसाधन ४२ प्रतिशत है । अतः अमरीका की स्थितियों का इस देश की स्थितियों से तुलना करना बेकार है ।

हां, तो लार्ड रथफोर्ड समिति की एक बैठक में अनुपस्थित रहे और दूसरी बैठक में अनुपस्थित रहने का कारण पूछे जाने पर उन्होंने कहा "सज्जनों, मैं एक ऐसा अनुसन्धान कर रहा था जिससे यह पता लगा कि अणु का विभाजन किया जा सकता है । यदि यह बात सत्य हो जाये तो मैं कहता हूं कि वह युद्ध से अधिक महत्वपूर्ण होगी" । चौबीस वर्ष बाद ये शब्द सत्य हुए जबकि बर्लिन विश्वविद्यालय में उनके एक शिष्य, ओटो हन्स, रसायन शास्त्र के प्रो० ने अणु विभाजन करने में सफलता प्राप्त की और इस प्रकार वह अचानक ही अणु बम्ब का निर्माता बन गया । यदि डा० ओटो हन्स चाहते तो हिटलर उनके लिए प्रत्येक बात की व्यवस्था कर देता, परन्तु एक मात्र उद्देश्य अणु बम्ब को हिटलर से बचाना था । उन्होंने अपने एक साथी से कहा था कि यदि हिटलर को अणु बम्ब मिल गया, तो वह आत्म हत्या कर लेगा ।

तथ्यों के बारे में संकल्प के प्रस्तुतकर्त्ता के साथ मेरा कोई विवाद नहीं है परन्तु निष्कर्षों के मामले में मैं एकदम उनके प्रतिकूल हूं । पिछले बारह वर्ष में इस देश की सरकार ने अनेक कार्य किये हैं और वैज्ञानिक शिक्षा तथा अनुसन्धान कार्य में सराहनीय सफलता प्राप्त की है ।

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: मुझे प्रसन्नता है कि श्री मल्होत्रा ने यह विषय सभा में उठाया है और हमें अवसर दिया है कि हम कुछ तथ्य सभा के समक्ष रखें । मैं अपने आपको भी एक रूप में वैज्ञानिक मानता हूं क्योंकि जो भी व्यक्ति जानकरी तथा सत्यता को उसी के लिए मानता है वह वैज्ञानिक है । मुझे आशा है कि श्री माथुर मुझे सुनने के बाद इस बात से सहमत होंगे कि केवल सचाई ही रहती है । आज उन्होंने स्वयं कहा है कि इंगलिश विश्वविद्यालयों में कुल व्यय का लगभग ५० प्रतिशत धन स्नातकोत्तर अनुसधान पर व्यय होता है । यह बात इससे सर्वथा भिन्न है कि पचास प्रतिशत विद्यार्थी स्नातकोत्तर विद्यार्थी हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हुमायून् कबिर]

मुख्य बातें वैज्ञानिकों के कार्य की स्थितियों के बारे में उठाई गई थी कि उनकी उचित देख-भाल होती है या नहीं, अर्थात् सुविधायें प्रदान की गई हैं या नहीं । दूसरी बात यह है कि विज्ञान सम्बन्धी अनुसन्धान के परिणाम हमारे व्यावहारिक जीवन में कार्यान्वित हो गये हैं और उनका उस पर क्या प्रभाव पड़ा है ? इन दोनों बातों के बारे में मैं सभा के समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूं । मेरे माननीय मित्र श्री माथुर ने पिछली बार और आज भी इस बात का उल्लेख किया था कि मैं ने कहा था कि उनकी सेवा की शर्तें, भारत में वैज्ञानिकों की वर्तमान स्थितियां, उतनी अच्छी हैं जितनी कि सरकारी सेवा में किसी भी व्यक्ति की हैं । वे निश्चय ही आई० ए० एस० और आई० एफ० एस० से अच्छे हैं । मैं नहीं जानता कि श्री माथुर ने यह आंकड़े कहां से प्राप्त किये कि आई० ए० एस० ८०० रु० पर सेवा आरम्भ करता है । वे ४०० रुपये पर आरम्भ करते हैं और १८०० तक जाते हैं । जबकि वैज्ञानिकों में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ७०० रु० से आरम्भ करता है १२५० रु० तक जाता है . . . . (**अन्तर्बाधा**) । कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ३५० रु० पर आरम्भ करता है और ९०० रु० तक जाता है । सहायक निदेशक १३००-१६०० रु० पर होते हैं । अन्तर यह है । कोई व्यक्ति २८, २९ या ३० वर्ष की अवस्था में सहायक निदेशक बन सकता है । राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में ८० सहायक निदेशकों में से २१ या २२ अधिकारियों की आयु ३०–४० वर्ष तक है और उन में कई ऐसे हैं जिनकी आयु ३० वर्ष से थोड़ी अधिक है । वैज्ञानिकों के पदोन्नति की दर प्रशंसनीय है । हाल में २९३ जे० एस० ओ० को पदोन्नति मिली है । श्रेणी एक और दो के अधिकांश एस० एस० ओ०, जे० एस० ओ० पद से आये हैं । १३००–१६०० रुपये वेतन पाने वाले अधिकांश सहायक निदेशक ४० वर्ष से कम आयु के हैं उन में से कुछ ही ५० साल से ज्यादा के हैं । ये वेतन कम विश्वविद्यालयों और भारतीय प्रशासनिक सेवा की तुलना में अच्छे हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : गृह कार्य मंत्रालय के प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को यह वेतन पाने में ४–६ वर्ष लग जाते हैं ।

†**श्री हुमायून् कबिर** : १९४७ के तुरन्त बाद ऐसा हुआ होगा जब तेज़ी से पदोन्नतियां हुई थीं । किन्तु आजकल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थाओं में २४ वर्ष की आयु का युवक जो ४०० रुपये वेतन से आरम्भ करता है वह १२५० रुपये के वेतन तक पहुंच पाता है यदि वह काफी अच्छा हो । इस प्रकार की सेवाओं में शर्तें दूसरी सेवाओं की तुलना में कम आकर्षक नहीं हैं । इसका प्रमाण है कि योग्य छात्र प्रौद्योगिक और वैज्ञानिक पाठ्यक्रमों के लिए जाते हैं और संघ लोक सेवा आयोग तथा गृह कार्य मंत्रालय की शिकायत है कि अच्छे छात्र भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए नहीं आते ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : संघ लोक सेवा आयोग का अन्तिम प्रतिवेदन आप के मत के विरुद्ध है ।

†**श्री हुमायून् कबिर** : मैं तथ्यों के आधार पर बोल रहा हूं । सेवा की शर्तों में और भी अन्तर हैं । परिषद् में सेवा निवृत्ति की आयु ६० है, अन्य सेवाओं में यह ५५ है । अनुसंधान के परिणाम प्रकाशित करने और सम्मेलनों आदि में सम्मिलित होने की भी स्वतंत्रता है । औसतन ५० वैज्ञानिक विदेशों में प्रत्यायोजित किये जाते हैं । इन के अतिरिक्त २० वरिष्ठ वैज्ञानिक और

†मूल अंग्रेजी में

इंजीनियर थोड़े समय के लिए भेजे जाते हैं। सब से बड़ा संतोष यह है कि वैज्ञानिक प्रशासनीय कार्य के बदले में रचनात्मक कार्य कर सकते हैं।

कार्य की शर्तों में बहुत सुधार हुआ है। किन्तु वैज्ञानिकों में अधिक सहयोग की आवश्यकता है। पिछले दो तीन वर्षों में हम ने कुछ पग उठाये हैं जिन से वैज्ञानिकों का असंतोष दूर हो सकेगा।

हाल में यह निर्णय किया गया है कि बाहर भेजे जाने वाले प्रतिनिधि मंडलों में आधे वैज्ञानिक ४० से कम आयु के होने चाहियें। यह भी निर्णय किया गया है कि कोई वरिष्ठ वैज्ञानिक और राष्ट्रीय प्रयोगशाला का निदेशक दस से अधिक समितियों का सदस्य न बने। ऐसा करने से जवान वैज्ञानिकों को अवसर मिल सकेगा।

हमने यह भी नियम बनाया है कि अधिकृत पत्रिकाओं में लोग अपने अनुसंधान के परिणाम बिना अनुमति लिए हुए प्रकाशित कर सकते हैं। इस से हमारे छोटे वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन मिलेगा। यदि श्री माथुर प्रयोगशालाएं जा कर देखें, तो उन्हें मालूम होगा कि हमारी ओर से सहानुभूति का अभाव नहीं है।

श्री इन्द्रजीतलाल मल्होत्रा ने कहा था कि विज्ञान का काम कार्यालय के काम की तरह बना दिया गया है। मेरे विचार में कुछ हद तक ऐसा होना अनिवार्य भी है। पहले वैज्ञानिक अनुसंधान एक व्यक्ति विशेष का काम होता था। अब इसे संगठित रूप दे दिया गया है और इस में कई लोग भाग लेते हैं। इसी प्रकार के सहयोग के बिना वैज्ञानिक अनुसंधान आगे नहीं बढ़ सकता।

इस के अतिरिक्त विज्ञान अब उद्योग, वाणिज्य, कृषि, संचार, परिवहन और प्रतिरक्षा में प्रवेश कर रहा है जीवन के किसी क्षेत्र में विज्ञान के बिना उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए यह अनिवार्य है, कि कुछ संगठन और किया जाये और सरकारी कार्यालय की तरह काम किया जाये। अमेरिका जैसे देश में जहां लोग नौकरशाही से अत्यधिक घबराते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान को बड़े भाग के लिए सरकार ही धन देती है और वह भी कुछ शर्तों पर। इस लिए कुछ सीमा तक संगठन आवश्यक है। किन्तु हम ने एक और पग उठाया है। हमने यह करने का प्रयत्न किया है कि प्रत्येक मामले में उच्चतम अधिकारी एक वैज्ञानिक हो। इस समय राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं वैज्ञानिकों द्वारा चलाई जा रही हैं और प्रशासक उनके अधीन काम करते हैं।

यह बड़ी विचित्र बात है कि एक ओर तो यह कहा जाता है कि वैज्ञानिकों को कोई प्रशासनीय काम न दिया जाये। दूसरी ओर यदि उन्हें प्रशासनीय शक्ति न दी जाये, तो वह अच्छी तरह काम नहीं कर सकते। आधुनिक युग में यह अनिवार्य है कि प्रमुख वैज्ञानिकों को प्रशासन का भी कुछ भार संभालना पड़ेगा।

कहा गया था कि अनुसंधान काफी नहीं हो रहा और इस के लिए जितना प्रयत्न किया जाता है, उससे उतने परिणाम नहीं निकले। यह याद रखना चाहिये कि वैज्ञानिक अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया है, जो धीरे धीरे जोर पकड़ती है। हमारे देश में इस प्रकार की संगठित गवेषणा हाल की बात है।

सदन को याद रखना चाहिये कि २७ प्रयोगशालाओं में से केवल ७ या ८ दस साल पुरानी हैं। किन्हीं परिणामों के लिए दस साल तो कम से कम अवधि है। फिर भी जो काम हुआ है वह कम नहीं है। बुनियादी और व्यवहारिक अनुसंधान के क्षेत्रों में काफ़ी काम हुआ है, किन्तु यह ऐसा काम नहीं है जो सारी दुनिया का अन्त कर सके। पिछले १२ वर्षों में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं से

[श्री हुमायून् कबिर]

लगभग ६००० अनुसंधान पत्र प्रकाशित किये गये हैं। यह संख्या कम नहीं है। ८०० पेटेन्ट भी लिये जा चुके हैं।

लाइसेंसों के प्रार्थनापत्रों के बारे में जानकारी रुचिकर है। १९५७-५८ में उद्योग को १७ लाइसेंस दिये गये थे, १९५८-५९ में इन की संख्या २४ थी, १९५९-६० में ३०, १९६०-६१ में ५० और १९६१-६२ में ८०। इस से प्रकट होता है कि बहुत वृद्धि हुई है और उद्योग प्रयोगशालाओं के काम को मान्यता दे रहे हैं।

१९५९-६० में प्रक्रियाओं से तैयार उत्पादन का मूल्य जो राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के अनुसंधान के आधार पर हुआ था, लगभग २० लाख रुपये था। १९६०-६१ में यह २९ लाख रुपये था। १९६१-६२ में यह १ करोड़ था, इसमें से ८० लाख रुपये की बचत विदेशी मुद्रा की थी। यह प्रयत्न भी कोई मामूली नहीं है।

दूसरी योजना की अवधि में अनेक चीज़ों का उत्पादन शुरू किया गया है जैसे कारबियन्स, केमिकल पोसेलेन, अभ्रक, विसंवाही इंटें और कुपरस आक्साइड आदि। तीसरी याजना की अवधि में तीन महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं। ये गाइन तेल, बच्चों के खाद्य और कार्बाक्सी मीथाइल सेलुलोज के तैयार करने के लिए हैं। इन का उत्पादन शुरू हो चुका है। चश्मों के शीशों के उत्पादन का उल्लेख मैं ने गत वर्ष किया था। इस से हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिष्ठा बढ़ी है। इस समय सेंट्रल ग्लास एंड सीरेमिक्स रिसर्च इन्स्टीच्यूट इस शीशे की सारी आवश्यकता पूरी कर रहा है और संभवतः हम कुछ शीशा निर्यात भी कर सकें।

अभ्रक की विसंवाही इंटों का प्रयोग भिलाई इस्पात संयंत्र और गोहाटी तेल शोधक कार्यालय में किया जा रहा है। यदि इन का प्रयोग न किया गया होता, तो बहुत सा खर्च करना पड़ता। कार्बियन का प्रयोग भिलाई में पानी को हल्का करने के लिए किया जाता है।

तीसरी योजना के अन्तर्गत और भी बहुत से उत्पादन होने की आशा है। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि वैज्ञानिक अनुसन्धान ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्रमशः गति आती है। प्रकाशित कृतियों की संख्या और हमारे वैज्ञानिकों द्वारा खोज की गई नई युक्तियों के आधार पर लिये गये पेटेन्टों और लाइसेंसों की संख्या प्रयोगशालाओं के कार्य के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। इसका मतलब यह है कि उनके कार्य के उद्योगों ने माना है और उन प्रक्रियाओं के आधार पर उत्पादन का मूल्य बढ़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। अनेक नई चीजों का उत्पादन शुरू किया गया है जैसे कारबियन्स, कमिकल पोरसेलेन, अभ्रक विसंवही ईंटें (माईका इनस्युलेटिंग ब्रिक्स) और कपरस आक्साइड आदि। देश में चश्मे के कांच का उत्पादन समस्त जरूरत को पूरा करने के लिये पर्याप्त है। मैसूर में वनस्पति प्रोटीन के संबंध में किये गये कार्य ने समस्त संसार का ध्यान आकर्षित किया है। भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था ने भी अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है।

अनुमान है कि तीसरी योजना के अन्त तक इन राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की सहायता से लगभग बीस करोड़ रुपये का उत्पादन हो जायेगा। जिससे दस करोड़ से लेकर पन्द्रह करोड़ रुपये तक के विदेशी विनिमय का लाभ होगा। यह ऐसे १०१ कामों के परिणामस्वरूप है जिन्हें की लीज़ पर दिया गया है। १०९ ऐसे और काम लीज़ पर दिये गये हैं जिनसे कोई फीस इत्यादि नहीं ली गयी। यह सारे कार्य हमारी राष्ट्रीय संपत्ति में वृद्धि करने का कारण बने हैं। भारतीय और जापानी थान

के समिक्षण से जो बीज विकसित किया गया है उससे धान की पैदावार काफी बढ़ी है। यदि इसका उपयोग बड़े पैमाने पर किया जायेगा तो इससे उपज दुगुनी हो सकती है।

इसी प्रकार कीड़ा न लगने वाले गेहूं की दो किस्में तैयार की गयी हैं जिनसे ५ से १० प्रतिशत तक नुकसान नहीं होता है।

मक्कमा के संबंध में जो नयी किस्में तैयार की गयी हैं उनसे २० से ४० प्रतिशत तक उत्पादन में वृद्धि होने की आशा है।

जहां तक वनस्पति को रंगने का प्रश्न है हम नहीं चाहते हैं कि इस संबंध में शीघ्रता की जाये तथापि वह एक ऐसा प्रश्न है जिसे विदेशी वैज्ञानिक भी हल नहीं कर सके हैं।

हमने विज्ञान मंदिरों द्वारा विज्ञान के प्रचार का पूरा प्रयत्न किया है। हमने विज्ञान में दिलचस्पी पैदा करने के लिये छात्रवृत्तियां आरम्भ की हैं। आशा है इससे विज्ञान के संबंध में उत्सहा बढ़ेगा।

अतः मेरे विचार से इस संबंध में एक आयोग नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने इस संबंध में वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन बुलाया है जो हमारी विज्ञान संस्थाओं द्वारा किये गये कार्य का सर्वेक्षण करेगा।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

विज्ञान की प्रगति की देख रेख के लिए हमारे मंत्रिमंडल की वैज्ञानिक सलाहकार समिति भी है। वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा परिषद तो है ही। भारतीय विज्ञान कांग्रेस भी है। राष्ट्रीय विज्ञान संस्था भी है। ये सब संस्थायें मिल कर कार्य कर रही है। अतः सरकार द्वारा जो कार्य किये गये हैं उसे देखते हुए किसी आयोग के नियुक्त किये जाने की जरूरत नहीं है जैसी कि संकल्प में की गयी है। मेरा निवेदन है कि उसे वापिस ले लिया जाये।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि आई० ए० एस० अधिकारी १८०० रुपये के वेतन तक १० अथवा १२ वर्षों तक पहुंचते हैं। परन्तु मैंने कहा था कि नहीं वह छः सात वर्षों में पहुंचे जाते हैं। क्या माननीय गृह कार्य मंत्री इस बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : मेरे संकल्प के साथ मंत्री महोदय ने जो व्यवहार किया है, उसकी मुझे आशा नहीं थी। मैं चाहता था कि कम से कम वह इतना तो कह देते कि वैज्ञानिकों की सेवा दशा में सुधार किये जाने की और गुंजाइश है।

†**श्री हुमायून् कबिर** : यह गुंजाइश तो हमेशा रहती है।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : मंत्री महोदय ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की कुछ सफलताओं का उल्लेख किया है। मैंने भी अपने भाषण में परिषद् के गवेषणा कार्यों का उल्लेख किया था। जो कुछ मंत्री महोदय ने कहा है वे सारी बातें हो जाती तो देश में खाद्यान्नों की कमी न रहती। मेरा निवेदन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का कार्य अभी प्रयोगात्मक अवस्था में है और इस सम्बन्ध में दी गयी सूचना गलत है। २४ अगस्त और ७ सितम्बर को यह जो संकल्प सभा के सामने मैं ने रखा है, इस बारे में मुझे बहुत वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं

†मूल अंग्रेजी में

[श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा]

के पत्र आये हैं। उनमें इसी बात पर जोर दिया गया है कि आज वह समय आ गया है कि हम एक आयोग की नियुक्ति करें ताकि इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जायें। यही बात संकल्प में कही गयी है।

माननीय मंत्री ने मुझे संकल्प वापिस लेने के लिए कहा है। मैं नहीं चाहता कि मेरा संकल्प अस्वीकृत हो और इससे हजारों वैज्ञानिकों को निराशा का मुंह देखना पड़े। परन्तु मुझे इस पर खेद बहुत है। मैं संकल्प वापिस लेता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य को संकल्प वापिस लेने की अनुमति है।

†**बहुत माननीय सदस्य** : हां जी।

संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

उत्तर प्रदेश में भूमि का लगान बढ़ाने के बारे में स्थिति

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने प्रातः एक स्थगन प्रस्ताव का नोटिस श्री स० मो० बनर्जी की ओर से प्राप्त किया था, परन्तु मैंने उसे स्वीकृति नहीं दी थी। इसे अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने का नोटिस माना जा सकता है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : (कानपुर) नियम १९७ के अन्तर्गत में प्रधान मंत्री का ध्यान निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करता हूं और निवेदन करता हूं कि वह इस पर वक्तव्य दें :—

"उत्तर प्रदेश में भूमि का लगान बढ़ाने के लिये योजना आयोग के सुझाव से उत्पन्न गम्भीर स्थिति"

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : यह मामला उत्तर प्रदेश का है। परन्तु यह बात लगभग सभी राज्यों में लागू होती है। सामान्यतः केन्द्रीय सरकार इस तरह के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती। यह भी समझ में नहीं आया कि क्यों योजना आयोग ने ऐसा किया। हम आयोग को इस बात पर पुनः विचार करने के लिए कह सकते हैं। सभा की उत्सुकता को देखते हुए इस मामले को विचार एवं सलाह के हेतु योजना आयोग को भेज देना ठीक होगा। कुछ राज्य इस मामले पर विधान पारित कर चुके हैं और कुछ ऐसा कर रहे हैं। इस मामले में केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। वह ऐसा कोई आश्वासन नहीं दे सकती है कि उत्तर प्रदेश के प्रस्तावित विधेयक को आस्थगित कर दिया जायेगा परन्तु इस विषय को योजना आयोग को निर्दिष्ट किया गया है। सम्भव है इस कारण उत्तर प्रदेश में उस विधेयक पर विचार कुछ समय तक स्थगित कर दिया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रघुनाथ सिंह** (वाराणसी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा की यह राय है कि साम्प्रदायिक अथवा वर्ग विशेष के लिए काम करने वाले सब संगठनों पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जिस भाषा में बोलना चाहते हैं, उसमें बोलें ।

श्री रघुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज इस प्रस्ताव को उपस्थित करने का प्रयोजन यह है कि हिन्दुस्तान के स्वतंत्र होने के पश्चात् उसकी स्वतंत्रता में कुछ ऐसी शक्तियां बाधक हो रही हैं, जिनसे यह भय उत्पन्न हो गया है कि कहीं हमारी स्वतंत्रता का ही लोप न हो जाये । मैंने यह संकल्प इसलिये उपस्थित किया है कि हमने जो स्वतंत्रता प्राप्त की है, वह स्थायी रहे । आज यह आवश्यक है कि भारत में हिन्दू राष्ट्रीयता या मुस्लिम राष्ट्रीयता या सिख राष्ट्रीयता या ईसाई राष्ट्रीयता के स्थान पर भारतीय राष्ट्रीयता कायम हो । यही इस संकल्प का मुख्य उद्देश्य है । भारत को . . . .

†**श्री बदरुद्दुजा** (मुर्शिदाबाद) : मेरा एक औचित्य प्रश्न है ।

†**डा० पं० शा० देशमुख** (अमरावती) : जब तक प्रस्ताव सदन के समक्ष नहीं आ जाता औचित्य प्रश्न नहीं प्रस्तुत किया जा सकता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री बदरुद्दुजा** : जो प्रस्ताव संविधान के विरुद्ध है उस पर यहां चर्चा नहीं हो सकती । यह प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद १९ के विरुद्ध है ।

†**श्री मु० इस्माइल** (मंजेरी) : इस प्रस्ताव पर तब तक चर्चा नहीं होनी चाहिए जब तक राष्ट्रीय एकता समिति का प्रतिवेदन न आ जाये ।

श्री कृ० चं० शर्मा (सरदाना) : प्रस्तावक महोदय को बताना होगा कि साम्प्रदायिक संस्था से उनका क्या मतलब है । देश की एकता को हानि पहुंचाने वाली संस्थाओं पर प्रतिबन्ध लगना चाहिए ।

†**श्रीमती सुभद्रा जोशी** (बलरामपुर) : मेरा निवेदन हैं कि इस प्रहताव में संविधान के विरुद्ध कुछ नहीं । इस प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति मिलनी चाहिए ।

†**श्री मनोहरन्** (मद्रास दक्षिण) : संसद का यह अधिकार है कि वह किसी भी प्रस्ताव पर चर्चा कर सकते हैं । राष्ट्रीय एकता समिति के प्रतिवेदन आने तक हमें इस प्रस्ताव पर चर्चा नहीं करनी चाहिए ।

†**श्री कपूर सिंह** (लुधियाना) प्रस्ताव में ऐसी कोई बात नहीं जिससे इसकी चर्चा के राह में कोई संवैधानिक रुकावट होती हो ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह प्रस्ताव देश की रक्षा के लिए और देश के आन्तरिक वातावरण को संभालने के लिए अत्यन्त आवश्यक है, इसलिए इस प्रस्ताव का समय दो घंटे और बढ़ा दिया जाए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : अब आपने यह अमेंडमेंट दे दिया कि इस के लिए दो घंटे का वक्त और बढ़ा दिया जाये यानी इसके लिए साढे तीन घंटे का वक्त कर दिया जाए ।

एक माननीय सदस्य : चार घंटे ।

अध्यक्ष महोदय : तो फिर वारियर साहब के लिये वक्त कहां बचेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि १$^{१}/_{२}$ घंटे के स्थान पर इस संकल्प पर चर्चा का समय ४ घंटे कर दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : एक बात मैं और कहना चाहता हूं । अगर हाउस की सम्मति हो और हाउस मंजूर करे तो आज इस डिसकशन को साढ़े पांच बजे तक चलाया जाए और फिर इसको अगले सेशन में जारी रखा जाए ।

†**श्री वारियर** : मेरा सुझाव है कि आध घंटे की चर्चा के बाद हम ५.३० पर सभा स्थगित कर दें ।

श्रीमती सुभद्रा जोशी : मैं यह रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि जैसे आनरेबल मेम्बर वारियर साहब के डिसकशन को छोड़ने का सजेशन दे रहे हैं, उसी तरह से आज लिंक वाले डिसकशन को न ले कर उसके आधे घंटे में और इसी को चलाया जाए क्योंकि यह सवाल देश की रक्षा से सम्बन्ध रखता है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : यह आधे घंठे में समाप्त नहीं होगा । लिंक वाला डिसकशन आज होना चाहिए क्योंकि वह देश के पैसे का सवाल है ।

अध्यक्ष महोदय : इधर से कहा गया है कि इस डिसकशन को पांच बजे तक चलाया जाए, उसके बाद आध घंटे का डिसकशन ले लिया जाए । तो ऐसा ही किया जाए ।

श्री रघुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सब माननीय सदस्यों को नमस्कार करता हूं क्योंकि सभी भारतीय नागरिक हैं । इसमें बिल्कुल भेद नहीं है । यह हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी का कोई प्रश्न नहीं है । इसका सम्बन्ध केवल भारत के नागरिकों से है और इस सदन में हम सब भारतीय नागरिक हैं, हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी आदि नहीं हैं ।

श्री मुजफ्फर हुसैन (मुरादाबाद) : ऐसी जबान में बोलिये जिसको सब समझ सकें ।

श्री रघुनाथ सिंह : भारत को एक राष्ट्र के रुप में देखने के लिए, भारतवर्ष की भावात्मक और संकल्पात्मक एकता को कायम रखने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि जो सम्प्रदाय और जातीय संस्थायें भारत की प्रभुसत्ता में विश्वास नहीं करती हैं उनको अवश्य बैन करना चाहिए । ऐसी किसी भी संस्था को, ऐसे किसी भी व्यक्ति को भारत में रहने का अधिकार नहीं है जो भारत की प्रभुसत्ता में विश्वास नहीं करता ।

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : यदि कोई संस्था भारत की प्रभुसत्ता में विश्वास रखे पर साथ ही साथ सम्प्रदायिक हो, तो क्या आप उसको बरदाश्त करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रघुनाथ सिंह : हमारे सामने आजादी के बाद बहुत से प्रश्न उठे हैं, और उनमें एक प्रश्न यह है कि जिस साम्प्रदायिकता के कारण देश का विभाजन हुआ और जिस साम्प्रदायिकता के कारण भारत वर्ष की आजादी भारत माता के पुत्रों की लोथों पर कायम हुई, चाहे वह पाकिस्तान हो चाहे हिन्दुस्तान हो, उस आग को हम हिन्दुस्तान में नहीं फैलने देंगे। यह प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है कि वह यह निश्चय कर ले कि भारतवर्ष में सिक्यूलर स्टेट होगी या थियाक्रेसी होगी। मैं कहता हूं कि भारतवर्ष में थियाक्रेसी नहीं हो सकती। भारतवर्ष में थियाक्रेसी की कल्पना को भी बरदाश्त नहीं किया जा सकता। आज से सात सौ वर्ष पहले मध्य यूरोप में थियाक्रेसी थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बराबर लड़ते रहे और पेरिस, लन्दन, बर्लिन में खूंरेज़ी होती रही, और यह चीज सात सौ वर्ष तक चली।

मैं आपको कनाडा और आस्ट्रेलिया के कांस्टीट्यूशन का हवाला देकर बतलाना चाहता हूं—यद्यपि इन देशों में ईसाई बसते हैं—किन्तु यहां पर एजूकेशन सिक्यूलर है। यहां के कांस्टीट्यूशन में निहित है कि शिक्षा सिक्यूलर होगी। वहां, जैसा कि मैंने आपको बतलाया, सब एक धर्म के मानने वाले हैं। अमरीका, कनाडा, और आस्ट्रेलिया के कांस्टीट्यूशन में दिया हुआ है कि उस संविधान का उद्देश्य है सिक्यूलरिज्म। आज भी फांस में, अमरीका में, कनाडा में जो स्कूल या कालिज किसी धर्म से सम्बन्धित हैं उनको सरकारी खजाने से एक पैसा नहीं दिया जाता।

साम्प्रदायिकता एक मानसिक बीमारी है जो हिन्दू में भी हो सकती है, मुसलमान में भी हो सकती है, ईसाई में भी हो सकती है, पारसी में भी हो सकती है। इस बीमारी को दूर करना है। अतएव मैंने यह प्रस्ताव सदन के सामने उपस्थित किया है।

मुस्लिम लीग के भाई ने बहुत सुन्दर शब्दों में कुछ कहने की कोशिश की। मैं उनको कुरान शरीफ का हवाला देना चाहता हूं। हजरत मुहम्मद साहब ने कहा है : सुनो लोगो, प्रत्येक नागरिक एक दूसरे का भाई है, भगवान की दृष्टि सब में बराबर हैं, अनन्त कालीन कृपाशील भ्रातृत्व की तुम एक इकाई हो।

मुहम्मद साहब ने और कहा है :

'मुझे भारत की ओर से ईश्वरीय सुगन्ध आती है।'

श्री मुजफ्फर हुसैन : मैं कहूंगा कि आनरेबल मेम्बर तनहा अपने समझने के लिए बोलते हैं या दूसरों को समझाने के लिए बोलते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य क्या कहना चाहते हैं ?

श्री मुज़फ़्फ़र हुसैन : मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि मेरे दोस्त मुहब्बत, एकता और यकजहती कमेटी के मुताबिक यह सब लैक्चर दे रहे हैं कि ईसाई, सिख, हिन्दू, मुसलमान सब एक हैं, तो फिर उन को उसी अन्दाज़ से और वही जुबाँन बोलनी चाहिये, जो कि सब समझें। लेकिन उन्होंने तो ऐसी जुबान बोलनी शुरू कर दी है, जो कि तन्हा वही समझ रहे हैं। (**अन्तर्बाधा**)।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर। अब माननीय सदस्य बैठ जायें। (**अन्तर्बाधा**) : मैंने उन की बात सुन ली है, अब वह खड़े न रहें (**अन्तर्बाधा**) जिस वक्त माननीय सदस्य अपनी बात कह ले, तो उन को बैठ जाना चाहिये, खड़े नहीं रहना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

माननीय सदस्य, श्री रघुनाथ सिंह से मैं कहूंगा कि जिस वक्त वह बोलें, वह सीधे खड़े हो कर मेरी तरफ़ मुहं कर के बोलते जायें। उन का अन्दाज़ कुछ ऐसा होता है कि जैसे वह पब्लिक प्लेटफार्म पर हों। उस से ज्यादा ग़लतफहमी होती है। वह इधर-उधर हाथ भी न हिलायें और सीधे खड़े हो कर मेरी तरफ मुखातिब हों।

श्री बागड़ी : उन का बनारसी अन्दाज़ है।

श्री रघुनाथ सिंह : मेरे भाई ने भाषा के बारे में कहा। मैं उन को याद दिलाना चाहता हूं कि जातियां धर्म वदल देती हैं, भाषा नहीं बदलती है। जो भाषा मैं सीख चुका हूं, जो मेरी मातृ-भाषा है, उस मैं इस अवस्था मैं परिवर्तन करना बहुत मुश्किल है। (अन्तर्बाधाएं) इस लिये अगर मेरे शब्दों मैं कोई दिक्कत हो, तो चूंकि पांच बज गये हैं, इस लिये आगे मैं अंग्रेजी में बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अभी माननीय सदस्य थोड़ा सा चलें।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं कह रहा था कि हज़रत मुहम्मद ने क्या कहा। भारतवर्ष के प्रति उन्होंने बड़ी शुभवाणी का प्रयोग किया और कहा कि "मुझे भारतवर्ष की तरफ से ईश्वरीय सुगन्धि आती दिखाई देती है"। क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि मुहम्मद साहब की वह बात झठी हो जाये? भारत से जो सुगन्धि उठती है, वह कायम रहे या उसका लोप हो जाये? भारतवर्ष की सुगन्धि क्या थी? वह थी सहिष्णुता और धर्म-निरपेक्षता।

भारतवर्ष मैं जो भी आया, चाहे वह मुसलमान हो, ईसाई हो या पारसी हो, भारत वालों ने उसका स्वागत किया। कभी धर्म के नाम पर उन पर अत्याचार नहीं किया गया। भारत की यह शिक्षा है, यह परम्परा है। इस देश में मराठों के हाथों में भी ताकत आई और सिखों के हाथों मैं भी ताकत आई। क्या कोई कह सकता है कि उन्होंने अपना कांस्टीट्यूशन, अपना निज़ाम ऐसा बनाया, जिस में मुसलमानों के लिये स्थान न हो? क्या माननीय सदस्य कोई भी उदाहरण दे सकते हैं? मैं आप के सामने काशी का उदाहरण दे सकता हूं। जब मराठों के हाथ में ताकत आई, तो उन में एक ऐसा सैक्शन था, जो यह चाहता था कि काशी के विश्वनाथ मन्दिर को, जो कि तोड़ दिया गया था, जहां मसजिद बनी थी, ल लिया जाये, लेकिन मराठों ने कहा कि नहीं, उस को नहीं लेना चाहिये। वह धार्मिक स्थान है और धार्मिक स्थान उसी तरह कायम रहेगा। भारतवर्ष की यह सहिष्णुता है और आज उसी सहिष्णुता का हमें अनुकरण करना है।

इस्लाम का क्या अर्थ है? इस्लाम का शाब्दिक अर्थ है "शान्ति"। अगर कोई आदमी कहता है कि मैं इस्लाम धर्म का मानने वाला हूं और उस के हृदय में शान्ति नहीं है, तो मैं कहता हूं कि वह मुसलमान नहीं है। इस्लाम का शाब्दिक अर्थ है "शान्ति"। ईश्वर एवम् मनुष्य के साथ पूर्ण शान्ति स्थापित करना इस्लाम का उद्देश्य और प्रयोजन है। अतएव इस्लाम शान्ति का धर्म है।

आज जो थोड़े से भाई—सभी भाई नहीं—इस्लाम के नाम पर यह कहते हैं कि हिन्दुस्तान में हुकूमते-इलाही कायम हो, हिन्दुस्तान मैं थियोक्रेसी कायम हो, मैं उन को कहना चाहता हूं कि यह इस्लाम का प्रयोजन नहीं था। इस्लाम धर्म शान्ति पर आधारित था, प्रेम पर आधारित था। आज उसी शान्ति और उसी प्रेम की हिन्दुस्तान में आवश्यकता है। आज से सात सौ बरस पहले

अलफरवी ने कहा कि "प्रकृतितः मानव ऐसा नहीं बनाया गया है कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति बिना किसी मदद के कर सके। यदि मानव अपनी पूर्णता को चाहता है, तो उसे कवा अर्थात् समाज से सम्बन्धित अपने साथियों के साथ सहयोग से रहना चाहिये"। इसलिये अगर आप को समाज में रहना है, तो समाज का आप को ध्यान रखना होगा।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य यह बात मुझे कह रहे हैं? अगर वह मुझे नहीं कह रहे हैं, तो उन्होंने जो कहना है, वह मुझे कहें।

श्री रघुनाथ सिंह : मिस्र में जब ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में संघर्ष हुआ, तो अलफ़रवी ने इस सिद्धान्त को विश्व के सम्मुख रखा था। मैं यही कहूंगा कि वही मुस्लिम सिद्धान्त हिन्दुस्तान के मुसलमान आज अपने सामने रखें।

अकबर का शासन क्यों सफल हुआ? इसके बारे में जब जहांगीर से पूछा गया कि "आख़िरकार आप के पिता ने पचास बरस तक हिन्दुस्तान में कैसे शासन किया, जब कि दूसरे बादशाहों ने सिर्फ पांच, सात या आठ बरस ही शासन किया" तो जहांगीर ने उत्तर दिया कि "हमारे पिता सभी धर्मावलम्बियों से मेल रखते हैं। हर जाति तथा धर्म के मानने वालों के साथ सत्संग करते हैं।" यह वह भावना थी, जिस के कारण अकबर का साम्राज्य कायम था। लेकिन जब जब भारतवर्ष में धर्म-निरपेक्षता की भावना, सैकुलर भावना, कम हुई, तब भारतवर्ष में घोर अत्याचार शुरू हुए।

मैं आप के सामने एक और उदाहरण रखना चाहता हूं। औरंगज़ेब बड़े अच्छे बादशाह थे, लेकिन उन्होंने जो नीति अपनाई, उसके कारण सारा हिन्दुस्तान डूब गया। औरंगजेग के बाद मुग़ल साम्राज्य नहीं रहा और अंग्रेज़ों के लिये उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया।

अब मैं आप के सामने शिवाजी महाराज और गुरु गोविन्द सिंह, इन दो महात्माओं द्वारा औरंगज़ेब को लिखे गये पत्र पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। वे दोनों मानते थे कि औरंगज़ेग बादशाह है और उन्होंने उन को यह सलाह दी थी। मैं अपने भाइयों को कहता हूं कि वे उस को सुनें।

श्री बागड़ी : माननीय सदस्य भाइयों को सुना रहे हैं या स्पीकर साहब को?

अध्यक्ष महोदय : यह ग़लत बात है। यह नहीं कहना चाहिये। मुझे भी इस पर एतराज है। यहां नहीं कहना चाहिये कि "सुनो, भाइयो"। माननीय सदस्य जो कुछ भी सुनाना चाहते हैं, वह सब मुझे सुनायेंगे।

श्री रघुनाथ सिंह : शिवाजी महाराज ने औरंगजेग को जो पत्र लिखा था, वह मैं आपके सामने पढ़ कर सुनाता हूं। उन्होंने लिखा था :

> "यदि आप कुरान में विश्वास करते हैं, तो उस में ईश्वर के लिये "रवीउलआलमीन" का संबोधन किया गया है। उस में कहीं "रवीउल मुसलमीन" अर्थात् वह केवल मुसलमानों का ईश्वर है, नहीं प्रयोग किया गया है। हिन्दू और इस्लाम केवल शब्दों में भेद है। वे अनेक प्रकार के रंग हैं। इन को दैवी चित्रकार ने अपने चित्र में जैसे रंग भरने के लिये बनाया है। मसजिद से उठती अज़ां की आवाज़ उसी की याद दिलाती है। मन्दिर का घंटा उसी का स्मरण कराता है। धर्मों के प्रति असहिष्णुता का अर्थ है कुरान के आदेशों की अवहेलना करना"।

[श्री रघुनाथ सिंह]

मैंने औरंगज़ेब के नाम शिवाजी महाराज का पत्र इस लिये यहां पर उपस्थित किया है कि उन्होंने औरंगज़ेब को बादशाह मानते हुए उन को एक सलाह दी थी कि आप में असहिष्णुता की भावना नहीं होनी चाहिये, आप में धर्म-निरपेक्षता की भावना होनी चाहिये ।

अब मैं गुरु गोविन्द सिंह द्वारा सुल्तान औरंगज़ेब को लिखे गये पत्र को पढ़ कर सुनाना चाहता हूं : उन्होंने लिखा था :

"ईश्वर को पहचानना तुम्हारा कर्त्तव्य है । उस ने दूसरों को सताने की तुम्हें आज्ञा नहीं दी है---किसी पर तलवार का वार जुल्म के साथ न कर, अन्यथा तू ऊपर से आने वाली कृपाण के प्रहार से बच न सकेगा । क्या जीवन का पौरुष कुछ ज्योतियों को बुझा देने में है ?"

आज कहा जाता है कि साम्प्रदायिकता क्या है । मैं कहना चाहता हूं कि गुरु गोविन्द सिंह के शब्दों में जीवन की ज्योतियों को बुझा देने का प्रयास ही साम्प्रदायिकता है । मैं गुरु गोविन्द सिंह की उसी परिभाषा को इस सदन के सम्मुख रखता हूं और कहता हूं कि इससे बढ़ कर साम्प्रदायिकता की कोई दूसरी परिभाषा नहीं हो सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अगली दफ़ा अपने भाषण को जारी रखें ।

---

*लिंक भवन के लिये दिया गया अग्रिम धन ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, इस पार्लियामेंट को जहां कुछ कानून बनाये और देश की सुरक्षा तथा वैदेशिक नीतियों के सम्बन्ध में कुछ निर्णय लने का अधिकार है, वहां इस देश की ग़रीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा, जो सरकारी कोष में आता है, उसकी सुरक्षा के लिये भी प्रबन्ध करना है (**अन्तर्बाधा**)

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य ज़रा ज़ोर से बोलें ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि इस देश की पार्लियामेंट को जहां कुछ कानून बनाने का और देश की सुरक्षा का और वैदेशिक नीतियों के सम्बन्ध में कुछ निर्णय लेने का विशेष अधिकार है वहां जो इस देश की गरीब जनता है और उसकी गाढ़ी कमाई का जो पैसा सरकारी कोष में आता है अथवा विदेशों से भारी भारी शर्तों पर जो ऋण लिये जाते हैं, उन सब को सम्भालने और उसकी देख, रेख करने का भी इस पार्लियामेंट को पूर्ण अधिकार है । अब से कुछ समय पूर्व २९ अगस्त को इसी सदन में मैं ने एक प्रश्न पूछा था जिसमें मैं ने यहां दिल्ली में मथुरा रोड पर जो भूमि है, उसके बारे में जानकारी चाही थी । इस भूमि के सम्बन्ध में सरकार ने कुछ समय पूर्व इस प्रकार का निर्णय किया था कि जो समाचारपत्र प्रकाशित होते हैं अथवा

---

*आधे घंटे की चर्चा ।

कुछ जरनल जो निकलते हैं, यदि वे अपने भवन यहां बनाना चाहें तो उनको रियायती दर पर कुछ स्थान दिये जायेंगे। उसी आधार पर कुछ पत्रों ने स्थान लिये थे। मुझे इस बात को कहते हुए दुःख प्रतीत होता है कि जो छोटे छोटे व्यक्ति अथवा पत्र थे जिन के पास कोई बहुत बड़े सिफारिश नहीं थी, वे तो भूमि प्राप्त करने में सफल नहीं हो सके लेकिन जिनके पास अच्छे रिसोर्सिस थे, उनको वहां पर स्थान मिल गया। इसी सम्बन्ध में मैं ने एक प्रश्न पूछा था कि लिंक अखबार का अपना जो भवन बना है, उसके अन्दर क्या सरकार के किसी संगठन का भी कुछ पैसा अगाऊ धन के रूप में लगा है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उप-वित्त मंत्री महोदय ने यह बताया था कि ३ लाख ४४ हजार १३१ रुपये और २५ नये पैसे इंडियन रिफाइनरीज ने अगाऊ धन के रूप में इस भवन में कुछ स्थान किराये पर लेने के लिए दिए हैं।

मैं आपको यह भी बता दूं कि इसी सड़क के ऊपर कुछ ही गज की दूरी पर इंडियन एक्सप्रेस की भी एक बिल्डिंग बनी है और उसके सम्बन्ध में शायद सदन को याद होगा कि कुछ समय पूर्व जब स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन का आफिस यहां खोला गया था और इसी प्रकार से अगाऊ धन के रूप में कुछ धनराशि दी गई थी तो किस प्रकार से उस समय इस सदन में क्षोभ और रोष व्यक्त किया गया था, इसको जो पुराने माननीय सदस्य हैं, वे भूले नहीं होंगे। उस समय सदन के माननीय सदस्यों ने सरकार तक अपनी यह भावना पहुंचाई थी कि जब सरकार इतनी भारी भारी राशियां अगाऊ धन के रूप में दे कर किराये पर मकान लेती हैं तो क्यों नहीं वह अपने भवन बना लेती और उन में से जो स्थान खाली रह जाये, उसको ओरों को किराये पर उठा देती?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य मुझे माफ करें अगर मैं एक मिनट के लिए कुछ कह दूं। मैं बता देना चाहता हूं कि पांच बज कर दस मिनट पर यह डिसक्शन शुरु हुआ है। मैं माननीय सदस्य को दस बारह मिनट से ज्यादा नहीं दे सकूंगा और दस बारह मिनट ही मिनिस्टर साहब को बोलने के लिए दूंगा। पांच छः मैम्बर साहिबान ने सवाल पूछने के बारे में नोटिस दिए हैं, उनको भी मैं सवाल करने के लिए एक एक मिनट से ज्यादा नहीं दे सकूंगा। इस वास्ते माननीय सदस्य दस बारह मिनट में खत्म कर दें।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जी हां, मैं दस बारह मिनत में समाप्त कर दूंगा।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि जिस समय इंडियन एक्सप्रेस की बिल्डिंग में स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन का कार्यालय खोला गया था तो उस वक्त जो रोष व्यक्त किया गया था वह, जो पुराने माननीय सदस्य हैं, उनको याद होगा। यह कहा गया था कि सरकार अपनी ओर से इस प्रकार के मकान क्यों नहीं बनवाती। लेकिन इतना होने पर भी और इस सदन की भावनाओं को जानते हुए भी एक सरकारी संगठन की ओर से इतनी भारी राशि का वहां दिया जाना समझ में नहीं आता है और पता नहीं क्यों सरकार इस सदन की भावनाओं का तिरस्कार अथवा निरादर करती है :

दूसरी बात जो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं यह है कि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन को जो एक्सप्रेस बिल्डिंग में स्थान दिया गया इसीलिए रियायती दर पर सवा लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जो भूमि दी गई थी सरकार ने उस भूमि का मूल्य बढ़ा करके बाद में सौलह लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से लिया। लेकिन इसके साथ ही साथ सदन

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

की जानकारी के लिए मैं बतलाना चाहता हूं कि यह जो युनाइटेड इंडिया पीरियोडिकल्ज कम्पनी है जिस की ओर से यह पत्र निकलता है इसको पांच लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से भूमि दी गई । मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार उस भूमि पर जो भवन बनना था उस में से कोई खास किस्म की खुशबू आनी थी । या खास हवा बहनी थी कि इस सस्ते दर पर दी गई जबकि चन्द गज के फासले पर सोलह लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जगह दी गई और यह भी व्यापारिक संस्थानों को जो कि इसी प्रकार किराये पर उठाते हैं और उसके ही बगल में इस प्रकार का भवन बनाते हैं। उसको पांच लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से भूमि दी गई और ढाई लाख में आधा एकड़ जमीन उसको दी गई । यह जो जहांगीरी इंसाफ उसके साथ किया गया है, उसके क्या रहस्य हैं ? साथ ही साथ एक और बात भी जानने की है। अगर मैं कुछ प्रसंग से बारह न चला जाऊं तो मैं कहूंगा कि इस देश में कुछ साप्ताहिक पत्रों की नीति इस प्रकार की हो गई है कि वे सरकार की मशीनरी में एक दो व्यक्तियों की तो विशेष रूप से प्रशंसा करते हैं और फिर उसकी आड़ ले कर सरकारी नीति और सरकार की जी भर भर के आलोचना करते हैं, और तिरस्कार करते हैं। क्या किसी एक ऐसे ही पत्र को इस प्रकार से रियायती दर पर भूमि देना और बाद में चल कर भवन निर्माण के लिए भारी राशि देना, न्याय संगत हो सकता है और अगर हो सकता है तो कहां तक हो सकता है, यह मैं जानना चाहूंगा।

सब से बड़ी हैरानी की बात तो यह है जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं, कि इसी एक्सप्रेस बिल्डिंग में स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के कार्यालय के लिए जो स्थान दिया गया है, उसके लिए उनसे ६० नये पैसे प्रति स्क्वेयर फीट किराया चार्ज किया गया है । लेकिन इस लिंक हाउस में जहां इंडियन रिफाइनरीज का आफिस खोला गया है जिस के बारे में प्रश्न उसके उत्तर में उप-वित्त मंत्री ने बताया है कि सोलह प्रतिशत हम को कंसेशन दिया गया है किराये में। जो किराया वहां दिया जा रहा है वह एक रुपया पच्चीस नए पैसे प्रति स्क्वेयर फीट के हिसाब से दिया जा रहा है जबकि पार्लियामेंट स्ट्रीट पर जोकि नई दिल्ली की सब से मुख्य सड़क मानी जाती है, सरकार की एक कम्पनी, इंडियन ड्रग्ज कम्पनी है, वह बिना एडवांस के जो किराया देती है वह एक रुपया प्रति स्क्वेयर फीट के हिसाब से देती है । ऐसी स्थिति में सोलह प्रतिशत की उदार छट देने का अभिप्राय क्या यह तो नहीं था कि वह मन माना किराया इंडियन रिफाइनरीज से प्राप्त करना चाहते थे, जहां तक हो सकता था, परिचय का लाभ उठाना चाहते थे ?

इसी इंडियन रिफाइनरीज का दफ्तर पार्लियामेंट स्ट्रीट के ऊपर जो स्टेट बैंक की बिल्डिंग है, उस में था । मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि वह अपने उत्तर में बतायें कि उस समय क्या किराया दिया जाता था और क्यों इतना महंगा किराया दे कर के यह फिर भी एहसान लिया गया है कि सोलह परसेंट की छट इसमें हुई है ।

जब यह धन दिया गया और जब तक यह आफिस उस बिल्डिंग में नहीं गया था, तो क्या इस बीच में छः महीने का अवसर दिया गया था और अगर दिया गया था तो तो क्यों नहीं उस अवधि में यह आफिस वहां चला गया और क्यों प्रतिमास ७,१६६ रुपये के हिसाब से ४२,९९६ रुपये हानि उठाने की नौबत आई। इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? छः महीने तक वह आफिस तो वहां नहीं गया और जो पैसा उनकी जेब में चला गया, वह क्यों नहीं पहले वह आफिस वहां चला गया, यह मैं जानना चाहूंगा।

चार साल का जब किराया एडवांस दे कर के लिंक हाउस में जगह ली गई, तो उसी समय इसी पार्लियामेंट स्ट्रीट के ऊपर लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन की बिल्डिंग भी बन रही थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस प्रकार का प्रयास किया था कि लाइफ इंश्यारेंस कारपोरेशन के अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया जाये और उसमें इंडियन रिफाइनरीज के लिए जगह लेने की कोशिश की जाए और पता लगाया जाये कि वहां जगह मिल सकती है या नहीं मिल सकती है और अगर मिल सकती है तो किस किराये पर मिल सकती है। मैं जनाना चाहता हूं कि उसको छोड़ कर के लिंक हाउस में विशेष रूप से क्यों जगह ली गई।

एक और जिस आश्चर्यजनक बात ने मस्तिष्क में आ कर के सन्देह पैदा किया वह यह है कि यह पत्र जिसका सीमित क्षेत्र है और कुछ हजार की संख्या में ही निकलता है और इस पत्र ने चालीस लाख रुपये की अपनी बिल्डिंग को खड़ा कैसे कर लिया है। मैं जानना चाहता हूं कि जब सरकार की यह नीति है कि उस सड़क पर उन्हीं संगठनों को भूमि दी जाए जो समाचारपत्र प्रकाशित करेंगे न कि उस जगह को किराये पर उठायेंगे तो क्या बजह है कि आज उस चालीस लाख के विशाल भवन के एक कौने में तो इस समाचार-पत्र का कार्यालय है और बाकी का सारे का सारा जितना स्थान है, उसको वह किराये पर उठाये हुए हैं। एक ओर तो सरकार स्वयं यह नीति घोषित करती है कि उस सड़क पर केवल उन्हीं को स्थान दिया जाएगा जो समाचारपत्र प्रकाशित करते हैं और दूसरी ओर सरकार के ही कार्यालय उन में जा कर किराये देते हैं और सरकारी नीति की अवहेलना करते हैं तो मैं नहीं समझ सकता कि इस प्रकार से सरकार कैसे अपनी नीतियों को सुरक्षित रख सकेगी।

प्रश्न के उत्तर में यह भी बताया गया है कि जो शर्तें लिखी हैं, उनको कुछ उदार बनाया गया है, उनमें कुछ सहूलियतें दी गई हैं और उसी में इतनी भारी राशि उसको दी गई है। जहां तक इन शर्तों का सम्बन्ध है, जो सोलह प्रतिशत वाली बात है वह तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लेकिन एक और कमजोर शर्त की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। उस में सब से कमजोर शर्त यह है कि इस इमारत का पट्टा तीन महीने के नोटिस पर खत्म किया जा सकता है। इतनी भारी रकम लगाने के बावजूद भी यह कहा गया है कि वें जब चाहें तीन महीने का नोटिस दे कर इंडियन रिफाइनरीज़ को वहां से निकाल सकते हैं। ऐसी हालत में मैं नहीं समझ पाया हूं कि सरकार धन की रक्षा कैसे हो सकती है और जो गरीब जनता का धन यहां आता है, उसको कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है।

मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहूंगा कि वह अपने उत्तर में बतायें कि जो इतनी भारी राशि वहां लगाई गई है, उसके लिए क्या वित्त मंत्रालय से स्वीकृति ले ली गई थी या वित्त मंत्रालय ने इस के सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित की हुई है और यदि की हुई है और उसका पालन नहीं किया गया है तो किस तरह से इतनी भारी राशि वहां पर लगा दी गई।

एक बात और मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं। यह जो अखबार है यह पहले थेटर कम्युनिकेशन बिल्डिंग में चलता था। उस समय देहली की एक तथाकथित सम्मानित महिला जिन्होंने काश्मीर कमेटी के दाम पर कुछ कमरे एस्टेट आफिस से किराय पर लिए

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

हुए थे, उनमें इस अखबार का कार्यालय इन्होंने रखा हुआ था। फिर यह अखबार उसके पश्चात हट करके मथुरा रोड़ गया। इस अखबार की नीति के सम्बन्ध में मैं कुछ कहूं तो यह प्रसंग के बाहर की बात होगी। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि इस अखबार का जो बोर्ड आफ डायरेक्टर्ज़ हैं, जो उनकी नीति है और जिस आधार पर उन्होंने पत्र चला रखा है उससे प्रभावित हो करके तो माननीय मंत्री जी ने कहीं इतनी बड़ी धनराशि वहां नहीं लगा दी है? यह एक सन्देह है जो आज हर मस्तिष्क को बैचेन कर रहा है, और मैं चाहूंगा कि इस चर्चा का उत्तर देते समय, इन बातों का स्पष्टीकरण भी किया जाय जिस से कि यह चर्चा सदन के माननीय सदस्यों को ही सन्तोष न दे सके बल्कि देशवासियों के लिये सन्तोषजनक हो सके।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : क्या किन्हीं सरकारी उपक्रमों द्वारा अन्य पत्रों को वित्तीय सहायता दिये जाने के कोई अन्य उदाहरण भी हैं?

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : क्या "नेफा" क्षेत्र में खाद्यान्न का ठेका कलिंग एयरलाइन्स को रियायती दर पर इस समझौते पर दिया गया था कि उसके लाभ की पर्याप्त राशि लिंक की इमारत को दी जायगी?

†**श्री मुरारका** (झुंझनू) : चूंकि निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्रालय द्वारा निश्चित किया गया किराया ६० नये पैसे प्रति वर्ग फीट है, क्या १.२५ रुपये को दर का उसने अनुमोदन कर दिया था?

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (जालोर) : 'इंडियन रिफाइनेरीज़' की इमारत को किराय पर लेने के लिय 'लिंक' से सम्पर्क किस प्रकार हुआ? क्या करार किये जाने के पूर्व कोई जांच की गई थी?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री क० दे० मालवीय)** : प्रश्नों के उत्तर में मेरा निवेदन है कि जब 'इंडियन रिफाईनेरीज़' का काम बहुत बढ़ गया है और उनके पास पार्लियामेंट स्ट्रीट पर राज्य बैंक की इमारत में जो जगह थी वह कम पड़ने लगी तो उसने १९६० के अन्त में स्थान की सामान्य तलाश शुरू की। 'युनाईटेड इंडिया पीरियोडिकल्स लिमिटेड' से एक प्रस्ताव आया था जिसमें चार साल का पेशगी किराया मांगा गया था। १९५८ में कम्पनी के निगमन के पश्चात दिल्ली के अजमेरी गेट एक्स्टेंशन क्षेत्र में स्थित सनलाइट इंश्योरेंस बिल्डिग में कुछ स्थान किराये पर लिया गया और एक वर्ष पश्चात पार्लियामेंट स्ट्रीट की स्टेट बैंक की बिल्डिग में ७५ नये पैसे प्रति वर्ग फुट के हिसाब से ५२३८ वर्ग फुट स्थान किराय पर लिया गया। १९५९–६० के पश्चात इंडियन रिफाइनरीज़ लिमिटेड का काम काफी बढ़ गया और इसके लिये अनेकों कर्मचारी नियुक्त करने पड़े और स्टेट बैंक बिल्डिग में ली गई जगह कम पड़ गई। इसके अतिरिक्त इंडियन रिफाइनरीज़ लिमिटड को तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का सदश्य नियुक्त कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप गुजरात की एक रिफाइनरी का कार्य भार उन्हें संभालना पड़ा और कुछ दिन बाद उन्हें पाइप लाइन निर्माण की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने का काम भी सौंपा गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

इन सब कामों के लिये रखे गये टेक्निकल तथा प्रशासकीय कर्मचारियों के लिय स्थान पर्याप्त न होने के कारण कम्पनी ने दिसम्बर, १९६० में भारत सरकार के सम्पत्ति निदेशक से रेल भवन में स्थान मांगा। स्थान के लिये कम्पनी ने विज्ञापन भी निकाले, परन्तु कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिल पाया। इसी बीच लिंक हाउस के मालिकों ने अपनी इमारत में स्थान उपलब्ध होने की सूचना दी। परन्तु उन्होंने यह शर्त बताई कि यदि ४ वर्ष का किराया पेशगी दिया गया, तभी वे अक्टूबर, १९६१ तक इमारत पूरी कर सकेंगे।

तब तक सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि इंडियन रिफाइनरीज़ लिमिटेड और लिंक हाउस के मालिकों के बीच कोई बातचीत हुई है। इस प्रकार पेशगी किराया देना दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम के अनुकूल है। इसलिए इंडियन रिफाइनरीज़ इस प्रकार की बातचीत कर सकती थी चूंकि उसके काम में हानि हो रही थी।

इसके विकल्प में उन्हें या तो दिल्ली छोड़ना पड़ता अथवा अपनी इमारत बनानी पड़ती जो कि एक गंभीर प्रश्न था। लिंक हाउस के मालिकों द्वारा बताई गई दरों की तुलना पार्लियामेंट स्ट्रीट आसफ अली रोड और इंडियन एक्सप्रस बिल्डिग से की गयी।

लिंक बिल्डिग के निर्माण की इजाजत भारत सरकार ने इस आधार पर दी थी कि चौथी मंजिल में भारत सरकार के दफ्तर बिना किराया दिये रखे जायेंगे। अन्यथा उन्हें स्वीकृति नहीं दी जायगी। उन्होंने २॥ लाख रुपया प्रीमियम दे दिया है और अब वह ६२६० रुपय के लगभग ग्राउंट रेन्ट दे रहे हैं। इन शर्तों पर उन्हें इमारत बनाने की स्वीकृति दीगई थी। इंडियन रिफाइनरीज़ के लिए इसके सिवाय और कोई चारा न था क्योंकि इंडियन ऑयल कम्पनी ने पार्लियामेंट स्ट्रीट में १ रु० २० नये पैसे प्रति वर्ग फुट के हिसाब से स्थान किराये पर लिया था और हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने १ रु० ५० नये पैसे प्रति वर्ग फुट के हिसाब से। यह ठीक है कि राज्य व्यापार निगम इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिग में कम किराया दे रहा है परन्तु उसकी कुछ विशेष परिस्थितियां है। और उनकी तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस बिल्डिग में लारसन टुब्रो और हिन्दुस्तान लीवर्स क्रमश: १०० रुपये और ८० रुपये प्रति वर्ग फुट के हिसाब से किराया दे रहे हैं। इस प्रकार वह राज्य व्यापार निगम से अधिक किराया दे रहे हैं।

इस प्रकार आप देखेंगे कि किराये की दरों में विभिन्न स्थानों पर बड़ा अन्तर था। और हमारे सामने मुख्य प्रश्न यह था कि काम की हानि न हो। प्रभारी अधिकारियों का यह भी एक कर्त्तव्य था कि वे कार्यालय के लिए स्थान ढूंढ़े।

काफी पूछताछ करने के पश्चात इंडियन रिफाइनरीज़ लि० ने लिंक बिल्डिग के मालिकों से बात की और पट्टे का करार लिख दिया गया और इसके अनुसार पेशगी के रूप में ३,४४,१३१ रु० २५ नये पैसे उन्हें दे दिये गये। और किराये की अवधि १ जनवरी, १९६२ से आरम्भ हुई। इस विषय में श्री शास्त्री ने यह कहा कि तथ्यों को तोड़मरोड़ कर बताया जा रहा है। इंडियन रिफाइनरीज़ ते अपते बचाव के लिए लिंक हाउस के मालिकों से यह भी करार किया कि यदि उनसे ४ वर्ष से पहले जगह खाली कराई गई, तो पेशगी में से बाकी रकम वे वापस लेने के हकदार होंगे। या इसकी बजाय उस स्थान को किसी अन्य व्यक्ति को किराये पर दे सकेंगे। इस प्रकार इंडियन रिफाइनरीज़ लिमिटेड को हानि पहुंचने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता था। पट्टे का करार ३ महिने की नोटिस देकर दोनों पक्षों में से कोई भी समाप्त कर सकता है।

[श्री के० दे० मालवीय]

कम्पनी ने पेशगी किराये पर जो छूट ली है वह १६% है और यह कुछ कम नहीं है क्योंकि दिल्ली बिजली सप्लाई उपक्रम को ५% और नेसले कम्पनी को १२ प्रतिशत की छूट मिली है। इन संस्थाओं या इंडियन रिफाइनरीज़ को लिंक की नीति से कोई मतलब नहीं है।

३.४४ लाख रु० की रकम पर हमें ६% की दर से जो व्याज मिलता वह ५१,६०० रु० होता जब कि छूट के रूप में हमने ६५,५४८ रु० प्राप्त किये। अतः यह सौदा भी हमें लाभ प्रद ही रहा। मैं नहीं समझता कि यह सभा या सरकार इस लाभप्रद काम के लिए आज्ञा न देती।

†**श्री कामत :** पूंजी अच्छे ढंग से लगाई गयी ।

†**श्री के० दे० मालवीय :** किसी भी समय माननीय सदस्य इस विषय में आपत्ति उठा सकते है।

†**श्री कामत :** यह गलत बात है ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** सभा सरकारी उद्योग क्षत्र के पक्ष में है।

†**श्री के० दे० मालवीय :** इंडियन रिफाइनरीज़ लिमिटेड को इस सौदे में कोई हानि नहीं हुई है। लिंक ने सामान्यतया भारत सरकार की नीति का समर्थन किया है। यह बात हमें बाद में मालूम हुई फिर भी इंडियन रिफाइनरीज़ लिमिटेड के इस औचित्य संगत निर्णय में आपत्ति उठाने का कोई कारण नहीं है।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** आप ने सरकारी नीति का समर्थन करने वाले पत्र की सहायता की है।

†**श्री कामत :** प्रधान मंत्री इस बात से सहमत हैं।

†**श्री क० दे० मालवीय :** 'लिंक' भवन में इस कार्यालय को स्थान देने से संबंधित स्थिति का मैंने स्पष्टीकरण कर दिया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** चर्चा समाप्त हो गई। सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।

लोक-सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[दैनिक संक्षेपिका]

[शुक्रवार, ७ सितम्बर, १९६२ / १६ भाद्र १८८४ (शक)]

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		३१२५—४६
तारांकित प्रश्न संख्या		
८४८	पश्चिम बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों को केन्द्रीय सहायता	३१२५—२७
८५१	पटसन का उत्पादन	३१२७—२९
८५२	पाकिस्तान को फिल्मों का निर्यात	३१२९–३०
८५३	पाकिस्तानी सीमा सैनिकों द्वारा मारे गये भारतीय मछुए	३१३०—३३
८५४	रूसी अन्तरिक्ष यात्री	३१३३—३५
९५५	कारतूस आदि का आयात	३१३५—३६
८५६	बस्तर में रेयन की लुगदी और प्लाईवुड बनाने के कारखाने	३१३६—३७
८५८	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स लिमिटेड	३१३७—३९
८५९	योजना की परियोजनाओं का मूल्यांकन	३१३९—४२
८६०	अमरीका को "जूट बैंकिंग क्लाथ" का निर्यात	३१४२–४३
८६१	नागपुर से विविध भारती कार्यक्रम	३१४३–४४
८६२	विश्व युवक समारोह	३१४४—४६
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
१३	नेपाल के विमान की दुर्घटना	३१४६—४८
१४	करनूल जिले में खाद्याभाव की स्थिति	३१४९–५०
प्रश्नों के लिखित उत्तर		३१५०—९५
तारांकित प्रश्न संख्या		
८४९	नेपाल को भारतीय तीर्थयात्री	३१५०
८५०	रेशम का आयात	३१५०–५१

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर--जारी	
	अतारांकित प्रश्न संख्या	
८५७	दिल्ली में होटल	३१५१
८६३	अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार	३१५१–५२
८६४	मध्य प्रदेश में औद्योगिक बस्तियां	३१५२
८६५	पश्चिम पाकिस्तान से प्रव्रजन	३१५२
८६६	लौह अयस्क, डोलोमाइट तथा चूने के पत्थर की खानों के लिए मजूरी बोर्ड	३१५३
८६७	चीन-पाकिस्तान सीमा सम्बन्धी बातचीत	३१५३
८६८	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर	३१५३–५४
८६९	काश्मीर में तोड़ फोड़ की कार्यवाही करने वाले पाकिस्तानी	३१५४
८७०	हड़तालें तथा ताला बन्दी	३१५४–५५
८७१	विकास शाखा के लिए त्रिसदस्यीय तालिका	३१५५–५६
८७२	चीन-भारत सीमा विवाद	३१५६
८७३	पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश	३१५६–५७
८७४	परमाणु परीक्षण	३१५७
	अतारांकित प्रश्न संख्या	
२४६४	शरणार्थियों के लिए वैकल्पिक स्थान	३१५७–५८
२४६५	मकानों से निकाले गये शरणार्थियों के लिए निवास स्थान	३१५८
२४६६	निष्क्रान्त सम्पत्तियों का आवंटन	३१५८
२४६७	उड़ीसा राज्य को सहायता	३१५९
२४६८	ग्राम्य आवास योजनाओं के लिए राज्यों को धन दिया जाना	३१५९
२४७०	उड़ीसा में श्रम कल्याण केन्द्र	३१५९
२४७१	उड़ीसा के लिए वार्षिक आवंटन	३१५९–६०
१४७२	उड़ीसा में तेल की घानियां	३१६०
२४७३	उड़ीसा में बिजली के करघे	३१६०
२४७४	उड़ीसा में शिक्षित बेरोजगार लोग	३१६१
२४७५	आन्ध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रेडियो	३१६१–६२
२४७६	आन्ध्र प्रदेश में दस्तकारी उद्योग	३१६२
२४७७	आन्ध्र प्रदेश में अम्बर चर्खा प्रशिक्षण कोर्स	३१६२

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित प्रश्न संख्या

२४७८	आन्ध्र प्रदेश में रेशम के कीड़े पालने का उद्योग	३१६३
२४७९	आन्ध्र प्रदेश में नवीन उद्योग	३१६३
२४८०	अन्तरिक्ष की खोज	३१६३–६४
२४८१	दक्षिण पूर्वी एश्याई देशों द्वारा उद्योगों की स्थापना	३१६४
२४८२	परादीप कच्चा लोहा निर्यात योजना	३१६४–६५
२४८३	फसल उठाने के सम्बन्ध में भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता	३१६५
२४८४	औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत कलकत्ता में बनाए गए मकान	३१६५–६६
२४८५	मिकिर पहाड़ियों से शरणार्थी	३१६६
२४८६	चैबासा सीमेंट वर्क्स	३१६६
२४८७	भारत—नेपाल सीमान्त आक्रमण	३१६६–६७
२४८८	विनय नगर—नई दिल्ली में दूकानों का किराया	३१६७
२४८९	आचार्य विनोबा भावे की पूर्वी पाकिस्तान की यात्रा	३१६७–६८
२४९०	केरल में सरकार के उद्योग	३१६८
२४९१	रामकृष्णपुरम् नई दिल्ली में जल संभरण	३१६८–६९
२४९२	निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रबन्ध अधिनियन १९५० के अधीन मामले	३१६९
२४९३	निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रबन्ध अधिनियम, १९५०	३१६९–७०
२४९४	आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से पंजाबी कार्यक्रमों का प्रसारण	३१७०
२४९५	रेमिंगटन टाइपराइटर	३१७०
२४९६	कैलाश और मानसरोवर के लिए भारतीय यात्री	३१७०–७१
२४९७	नायलान का उपयोग करने वाले छोटे कारखाने	३१७१
२४९८	भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ के द्वारा ज्ञापन	३१७१–७२
२४९९	पिछड़े क्षेत्रों का विकास	३१७२
२५००	बिहार में यूरेनियम की खान	३१७२
२५०१	'पर्सपेक्टिव प्लानिंग डिवीजन'	३१७२–७३
२५०२	नई दिल्ली स्थित उत्तर कोरिया का व्यापार मिशन	३१७३
२५०३	देशी भाषाओं के समाचारपत्रों में सरकारी विज्ञापन	३१७३–७४
२५०४	टायरों का उत्पादन और निर्यात	३१७४–७५
२५०५	उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों का विकास	३१७५
२५०६	दिल्ली में विस्थापित व्यक्ति	३१७५–७६
२५०७	विकास सेवाओं और संस्थाओं पर व्यय	३१७६

1815 (Ai). LSD—9.

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--जारी		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२५०८	नेशनल कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता . . .	३१७७–७८
२५०९	आसाम-पूर्व पाकिस्तान सम्मेलन	३१७८
२५१०	कांच, खनिज ऊन तथा संबद्ध उत्पाद उद्योग . .	३१७८–७९
२५११	निवेली लिग्नाइट परियोजना का उद्घाटन . . .	३१७९
२५१२	गन्दी बस्ती सफाई योजनायें	३१७९–८०
२५१३	नागपुर में आकाशवाणी भवन	३१८१
२४१४	नागपुर स्टेशन से श्रमिकों के लिए कार्यक्रम का प्रसारण .	३१८१
२५१५	आकाशवाणी के नागपुर केन्द्र से श्रमिकों के लिए कार्यक्रम .	३१८१–८२
२५१६	कुथ का निर्यात	३१८२
२५१७	चिन पहाड़ी, बर्मा के शिण्टमण्डल का नागा पहाड़ी का दौरा	३१८२
२५१८	चाय उत्पादन	३१८३
२५१९	निर्यात प्रोत्साहन	३१८३
२५२१	हज यात्री	३१८३
२५२२	दिल्ली प्लास्टिक तार निर्माता संस्था . . .	३१८४
२५२३	ग्राम सेवक	३१८४
२५२४	चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के लिए पंखे . .	३१८५
२५२६	टांगानीका के भारतीय . . .	३१८५
२५२७	भारतीय समाज कल्याण और व्यापार प्रबन्ध संस्था, कलकत्ता	३१८५–८६
२५२८	क्षेत्रीय श्रम संस्थानों म प्रशिक्षण . .	३१८६
२५२९	विद्रोही नागा	३१८६
२५३०	गोआ . . .	३१८६
२५३१	पंजिय (गोआ) में औद्योगिक प्रदर्शनीय . . .	३१८६–८७
२५३२	लद्दाख और नेफा के सीमान्त प्रदेशों के विकास अधिकारी .	३१८७
२५३३	मध्य प्रदेश में सूती कपड़ा मिल	३१८७
२५३४	इन्द्रा मार्केट, दिल्ली में पानी के मीटरों के चैम्बरों का निर्माण	३१८८
२५३५	औद्योगिक उपक्रम	३१८८–८९
२५३६	इन्द्रा मार्केट दिल्ली में दो कमरों वाले फ्लैट . .	३१८९
२५३७	मिन्टो रोड नई दिल्ली पर खाली क्वार्टर . . .	३१८९–९०
२५३९	रिंग्यूजी मार्केट, लोदी रोड़, नई दिल्ली के स्टाल वाले . .	३१९०

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२५४० भारत नेपाल सीमा पर छापे . ३१९०
२५४१ रेयन निर्माण कारखाने . . . ३१९१
२५४२ कास्टिक सोडा ३१९१–९२
२५४३ मध्य प्रदेश में कपड़ा मिलें ३१९३
२५४४ मध्य प्रदेश में कपड़ा मिलों के श्रमिकों को बोनस . . ३१९३
२५४५ सारनाथ में आकाशवाणी भवन ३१९३
२५४६ राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि . . . ३१९४
२५४७ चीनियों द्वारा लिये गये भारतीय सीमा के फोटो . ३१९४
२५४८ संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ३१९५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना . . ३१९५—९९

(१) श्री विश्राम प्रसाद ने नकली रेशम के धागे के आयात पर स्थित प्रतिबन्ध की ओर, जिसके फलस्वरूप एक लाख से अधिक बुनकर बेकार हो गये हैं, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री का ध्यान दिलाया।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया और एक विस्तृत विवरण सभा-पटल पर भी रखा।

(१) श्री स० मो० बनर्जी ने उत्तर प्रदेश में भूमि का लगान बढ़ाने के लिये योजना आयोग द्वारा दिये गये सुझाव से उत्पन्न स्थिति की ओर प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३२००—०३

(१) विभिन्न सत्रों में जो कि प्रत्येक के सामने बताये गये मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरण :—

(एक) विवरण संख्या १ दूसरा सत्र, १९६२ (तीसरी लोक-सभा)

(दो) अनुपूरक विवरण संख्या ३ पहला सत्र १९६२ (तीसरी लोक-सभा)

(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या ६ पन्द्रहवां सत्र, १९६१ (दूसरी लोक-सभा)

(चार) अनुपूरक विवरण संख्या ७ चौदहवां सत्र, १९६२ (दूसरी लोक-सभा)

विषय] पृष्ठ

(पांच) अनुपूरक विवरण तेरहवां सत्र, १९६१ (दूसरी लोक-संख्या १५ सभा)

(२) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) नारियल जटा उद्योग अधिनियम, १९५३ की धारा १७ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत वर्ष १९६०–६१ के लिये नारियल-जटा बोर्ड एरणाकुलम के प्रमाणित लेखे और उन पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट ।

(दो) रबड़ अधिनियम, १९४७ की धारा २५ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १ सितम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११६२ में प्रकाशित रबड़ (दूसरा संशोधन) नियम, १९६२ ।

(३) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) कंपनीज़ अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये हिन्दुस्तान आरगनिक केमिकल्स लिमिटेड, बंबई की वार्षिक लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक टिप्पणियों सहित ।

(दो) उपरोक्त कंपनी के कार्य-संचालन के बारे में सरकार की समीक्षा ।

(४) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक १९ मई, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ६७८ ।

(दो) दिनांक २६ मई, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ७०२ ।

(तीन) दिनांक ९ जून, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ७५५ ।

(चार) दिनांक २८ जुलाई, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ९९६ ।

(५) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ की धारा ४ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत उक्त एक्ट को काजू उद्योग पर लागू करने वाली दिनांक २५ अगस्त, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११२५ की एक प्रति ।

(६) वर्ष १९६०-६१ के लिये केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों के कार्य-संचालन पर वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(७) भारतीय और राज्य प्रशासन सेवाओं तथा जिला प्रशासन की समस्या के बारे में श्री वी० टी० कृष्णामचारी की प्रतिवेदन की एक प्रति ।

विषय पृष्ठ

(८) भारत के समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार के वार्षिक प्रतिवेदन, १९६२ (भाग १) की एक प्रति।

(९) वायु निगम एक्ट, १९५३ की धारा १५ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के वर्ष १९५९-६० के वार्षिक लेखे की एक प्रति उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सहित।

संसदीय समितियों के कार्यवाही सारांश—पटल पर रखे गये . . ३२०४

(१) अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की दूसरे सत्र में हुई बैठकों (पहिली से तीसरी) के कार्यवाही सारांश

(२) सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति की तीसरी लोक सभा के दूसरे सत्र में हुई पहली बैठक के कार्यवाही का सारांश

राज्य सभा से सन्देश ३२०४-०५

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी :

(१) कि राज्य सभा अधिवक्ता (तीसरा संशोधन) विधेयक १९६२ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गयी है।

(२) कि राज्य सभा प्रत्यर्पण विधयक १९६२ से बिना किसी संशोधन सहमत हो गयी है।

(३) कि राज्य सभा भूमि अर्जन संशोधन विधेयक १९६२ से बिना किसी संशोधन सहमत हो गयी है।

(४) कि राज्य सभा भारत का रक्षित बैंक संशोधन विधेयक, १९६२ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गयी है।

(५) कि राज्य सभा ईसाई विवाह और वैवाहिक कारण विधेयक १९६२ संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित होने की लोक सभा की सिफारिश से सहमत हो गयी है।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ३२०५

सचिव ने ६ अगस्त १९६२ को सभा को दी गयी अंतिम प्रतिवेदन के बाद संसद की दोनों सभाओं द्वारा चालू सत्र में पारित किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयकों को पटल पर रखा :—

(१) विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९६२।

(२) विनियोग (रेलवे) संख्या ४ विधेयक, १९६२।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित ३२०५

पहिला प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

विषय	पृष्ठ
प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . .	३२०५–०६
प्राक्कलन समिति द्वारा दूसरी लोक सभा के इक्यास्सीवें प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में पहिला प्रतिवेदन तथा प्राक्कलन समिति द्वारा दूसरी लोक-सभा के तैंतीसवें और सत्तास्सीवें प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में दूसरा प्रतिवेदन ।	
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	३२०६–०९
(१) खाद्य उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) ने भूमि अर्जन के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या १४११ पर श्री उ० मू० त्रिवेदी द्वारा पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के १२ जून, १९६२ को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया ।	
(२) सूचना और प्रसारण उपमंत्री (श्री शाम नाथ) ने त्रिचुर में स्टूडियो-सेंटर के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या १६२६ पर श्री मे० क० कुमारन द्वारा पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के २२ जन, १९६२ को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया ।	
(३) रेलवे मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) ने डुमरांव रेल दुर्घटना संबंधी जांच आयोग के बारे में एक वक्तव्य दिया ।	
(४) इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) ने १ अप्रैल, १९६० से ३१ मार्च, १९६२ की अवधि के लिये कारखाने पर कच्चे लोहे और इस्पात उचित प्रतिधारण मूल्यों के बारे में एक वक्तव्य दिया ।	
परिसीमन विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव . .	३२०९–१९
श्री अ० कु० सेन ने यह प्रस्ताव किया कि राज्य सभा की इस सिफारिश से कि लोक सभा मुकदमों तथा अन्य कार्यवाहियों के परिसीमन सम्बन्धी विधि को समेकित और संशोधित करने तथा तत्सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो, सहमत होते हुए बुधवार ५ सितम्बर १९६२ को स्वीकार किये गिये प्रस्ताव में से दस सदस्यों के नाम जो उपर्युक्त संयुक्त समिति में काम करने के लिये मनोनीत किये जाने वाले लोक सभा के सदस्यों की संख्या से अधिक हैं, निकाल दिये जायें । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।	
विधेयक पुरस्थापित	३२१३–१४
श्रमजीवी पत्रकार (संशोधन) विधेयक १९६२	
अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव .	३२१४–३१
अनुसूचित क्षेत्री और अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।	
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन—स्वीकृत	३२३१
आठवां प्रतिवेदन स्वीकृत किया गया ।	

विषय	पृष्ठ
गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प वापस लिया गया . . .	३२३२—३८

. श्री इन्द्र जीत लाल मल्होत्रा द्वारा २४ अगस्त १९६२ को प्रस्तुत अनुसंधान कर्त्ताओं और वैज्ञानिक कर्मचारियों के काम की दशा की जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त करने के संकल्प के बारे में अग्रेतर चर्चा पुनः आरम्भ हुई।

संकल्प सभा की अनमति से वापस ले लिया गया।

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प विचाराधीन	३२३९—४४

श्री रघुनाथ सिंह ने साम्प्रदायिक अथवा वर्ग विशेष के लिए काम करने वाले सब संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

आधे घंटे की चर्चा	३२४४—५०

श्री प्रकाश वीर शास्त्री ने अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र "लिंक" के भवन के लिये दिये गये अग्रिम धन के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ६९४ के २९ अगस्त, १९६२ को दिये गये उत्तर से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठायी।

खान और ईंधन मंत्री (श्री केशवदेव मालवीय) ने चर्चा का उत्तर दिया।

लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

तीसरी लोक सभा के दूसरे सत्र की कार्यवाही का संक्षेप

१. सत्र की अवधि	६ अगस्त से ७ सितम्बर १९६२/ १५ श्रावण से १६ भाद्र, १८८४ (शक)
२. बैठकों की संख्या	२५
३. बैठकों के कुल घंटों की संख्या	१६२ घंटे ३० मिनट
४. मत विभाजनों की संख्या	२०
५. सरकारी विधेयक	
(१) सत्र के आरम्भ में विचाराधीन	८
(२) पुरस्थापित किये गये	१८
(३) राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखे गये	कोई नहीं
(४) प्रवर समिति को सौंप गये	१
(५) संयुक्त समिति को सौंपे गये	२
(६) राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति को सौंपे गये जिनमें लोक सभा सहमत हुई	१
(७) प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित	कोई नहीं
(८) संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित	कोई नहीं
(९) राज्य सभा द्वारा बिना सिफारिश के लौटाये गये	२
(१०) राज्य सभा द्वारा संशोधन सहित लौटाये गये	कोई नहीं
(११) पारित किये गये	१७
(१२) सत्र की समाप्ति पर विचाराधीन	९
६. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक	
(१) सत्र के आरम्भ में विचाराधीन	३६
(२) पुरस्थापित किये गये	५
(३) जिन पर चर्चा हुई	५
(४) वापस लिये गये	२
(५) अस्वीकृत	कोई नहीं

(६) पारित किया गया — कोई नहीं

(७) जिन पर आंशिक रूप से चर्चा हुई — १

(८) सत्र की समाप्ति पर विचाराधीन — ३९

(९) गैर सरकारी सदस्य का विधेयक राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति को भेजा गया जिससे लोक सभा सहमत हुई — १

(१०) विधेयक पर चर्चा स्थगित हुई — १

७. नियम १९३ के अन्तर्गत हुई चर्चाओं की संख्या

(अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय)

(१) सूचनायें प्राप्त हुईं — २१

(२) चर्चायें हुईं — ३

८. नियम १९७ के अन्तर्गत दिये गये वक्तव्यों की संख्या (अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना)

(१) सूचनायें प्राप्त हुई — ३५८

(२) मंत्रियों द्वारा दिये गये वक्तव्य — २३

९. आधे घंटे की चर्चा

१०. सरकारी संकल्प

(१) प्रस्तुत किये गये — कोई नहीं

(२) स्वीकृत — कोई नहीं

११. गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प

(१) प्राप्त हुए — १०६१

(२) गृहीत किये कये — ७०१

(३) जिन पर चर्चा हुई — ५

(४) वापस लिये गये — २

(५) अस्वीकृत हुए — २

(६) स्वीकृत हुए — कोई नहीं

(७) आंशिक रूपे से चर्चा हुई — १

१२. सरकारी प्रस्ताव

(१) प्रस्ताव किये गये — ५

(२) स्वीकृत हुए — ४

१३. गैर-सरकारी सदस्यों के प्रस्ताव

(१) प्राप्त हुए — ७६ विषयों पर १५६ सूचनायें